हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 मार्च, 1978

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत– विवरण

विषय सूची.

वीरवार, 2 मार्च, 1978

पृष्ठसंख्या

तंराकित प्रश्नएवं उत्तर (4)1

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर

रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर।

(4) 47

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर (4)54

गैर–सरकारी संकल्प :–

(1) राज्य में एच0 सी 0 एस 0 कार्यपालिका

तथा एच0 सी0 एस0 न्याय पालिका सेवाओं

के सदस्यों के वेतनमानों में विभेद को तत्काल

दूर करने सम्बन्धी । (4)

60

(2) मार्किट कमेटियों को होने वाली कुल आमदन

ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च किए जाने तथा ऐसी

मार्किट कमेटियों द्वारा अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यय की गई राशि का विवरण प्रत्येक वर्ष सदन की मेज पर रखे जाने सम्बन्धी ।

(4) 87

बैठक का समय बढ़ाना

(4) 93

गैर–सरकारी संकल्प –

(ii) मार्किट कमेटियों को होंने वाली कुल आमदन ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च किए जाने तथा ऐसी मार्किट कमेटियों द्वारा अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यय की गई राशिका विवरण प्रत्येक वर्ष सदन की मेज पर रखे जाने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

(4)93–95

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 2 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में 9.30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 195

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, मास्टर जोगी राम, सदन मे उपस्थित नहीं थे ।

Buses in Jind Depot

***208. Shri Shamsher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of buses in Jind Depot and Narwana Sub-depot respectively during the current year togetherwith the number of buses which have outrun the prescribed period upto 31st December, 1977 ;

(b) the categorywise strength of the sanctioned staff at the above two places alongwith the vacancies existing as on 31st Dec., 1977 ;

(c) the total receipts from booking of the entire Jind Depot including its Narwana Sub-depot from Jan., 77 to

Dec., 77 and the total number of routes covered alongwith the number of breakdowns from July to Dec., 1977 monthwise ; and

(d) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a bus stand at Narwana ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ :) :

(क) जींद तथा नरवाना सब–डिपो में बसों की कुल संख्या दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 तक क्रमशः 131 तथा 26 थी । जिन में से 7 बसे कंडम हो चुकी है ।

(ख) कथन 1 सदन की मेज पर रखा जाता है ।

(ग) कथन 2 सदन की मेज पर रखा जाता है ।

(घ) हां । नगरपालिका बस स्टेण्ड को लेने के बारे में बातचीत चूल रही है और इसे बाद में उस के साथ वाली जमीन 3500 गज लेने के पश्चात रिमौडल किया जायेगा ।

STATEMENT —I

Statement showing the category-wise strength of sanctioned staff at Jind and Narwana Sub-depot alongwith the vacancies existing as on 31-12 -1977.

Sr.No	Name of Posts	Postssan	Posts	Posts

.		cti-oned			vacant
			Jind	Narwana	
1.	General Manager	1	1	—	-
2.	Traffic Manager	1	1	—	
3.	Works Manager	1	1	—	-
4.	Asstt. Accounts Officer	1	1	—	-
5.	Store P. Officer	1	1	—	-
6.	R. Senior Auditor	1	1	—	-
7.	Legal Advisor	1	1	—	-
8.	Superintendent	1	1	—	-
9.	Statistical Asstt.	1	1	—	-
10.	Junior Auditor	3	3	—	—
11.	Assistant	3	2	—	1
12.	Accountant	1	1	—	-
13.	Store P. Asstt.	1	1	—	-
14.	Chief Store Keeper	1	1	—	-
15.	Stenographer	1	1	—	-
16.	Cashier	1	1	—	-

17.	Asstt. Cashier	4	4	—	-
18.	Stenotypist	2	2		-
19.	P.M.A.	1	1	—	-
20.	Ledger Keeper	3	3	—	-
21.	Store Keeper	4	2	1	1
22.	Clerks	32	32	—	—
23.	D.P.A.	2	2	-	-
24.	Daftri	2	2	-	
25.	Peon	5	5	-	-
26.	S.S. 1st grade	2	2	-	-
27.	Chief Inspector	1	1	-	-
28.	Welfare Inspector	1	-	-	1
29.	Inspectors	32	24	2	6
30.	Yard Master	2	2	-	
31.	Foreman	1	1	-	-
32.	S.S.I.	2	1	1	-
33.	Head Mechanic	4	4	-	-
34.	Head Electrician	1	1	-	-
35.	Head Carpenter	I	1	-	-

36.	Head Welder	1	1	-	-
37.	Head Blacksmith	1	1	-	-
38.	Car Driver	2	1	-	1
39.	Drivers	224	187	37	-
40.	Conductors	223	186	37	-
41.	Adda Conductor	61	55	6	-
42.	Computor	1	1	-	-
43.	Sweeper	12	9	3	-
44.	Gunman	6	4	2	-
45.	Chowkidar	9	8	1	-
46.	Mechanics	29	17	4	8
47.	Borer	1	-	-	1
48.	Fitters	26	23	2	1
49.	Carpenters	6	6	-	-
50.	Electrician	10	5	1	4
51.	Upholster	2	1	-	1
52.	Welders	2	2	-	-
53.	Blacksmith	6	5	-	1
54.	Radiator Repairer	4	2	-	2

55.	Battery Attendent	3	2		1
56.	Painters	2	2	—	-
57.	Tyreman	7	5	1	1
58.	Asstt. Fitter	23	17	3	.3
59.	Asstt. Turner	1	1		-
60.	Asstt. Electrician	7	5	2	-
61.	Asstt. Carpenter	7	3	2	2
62.	Asstt. Welder	2	2	—	-
63.	Asstt. Painter	2	—	—	2
64.	Asstt. Tyreman	2	1	1	-
65.	Asstt. Upholster	2	1	—	1
66.	Asstt. Balcksmith	3	1	—	2
67.	Asstt. R. Repairer	2	—	—	2
68.	Helpers	33	26	6	1
69.	Cleaners	4	4	—	-
70.	Store Boy	5	4	1	-
71,	Washing Boy	9	5	1	3
	Total:	862	702	114	46

STATEMENT—II

Statement showing the total receipt from

booking of the Jind Depot including its Narwana Sub-depot from January, 1977 to Dec., 1977 and the total number of routes covered alongwith the number of break-downs from July to Dec., 1977 month-wise.

	Total receipt from Booking (Rs. in Lacs)		Total number of routes covered	Number of break-downs
1	2	3	4	5
Jan., 77	15.93	July, 77	90	69
Feb., 77	16. 40	A ug., 77	90	60
March, 77	19.74	Sept., 77	90	57
April, 77	17.24	Oct., 77	90	56
May, 77	20.37	Nov., 77	90	57
June, 77	22.04	Dec., 77	90	56
July, 77	18.29			
Aug., 77	15.64			
Sept., 77	16.33			
Oct., 77	17.32			
Nov.,77	17.37			
Dec., 77	18.26			

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस बस स्टैण्ड की कंस्ट्रक्शन कब तक शुरू करवाने का विचार है?

श्री जगन नाथ :: हम डी 0सी0 जींद से बातचीत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं । अगर वह जगह हमे मिल गई तो ठीक है और अगर नहीं मिलती है तो किसी दूसरी जगह जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएंगे ।

श्री शमशेर सिंह : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि 7 बसे कंडम हो चुकी हैं । क्या इन कंडम बसों को कंडम होने के बावजूद भी रूटों पर चलाया जा रहा है या नही?

श्री जगन नाथ : यह बात मेरी नालेज में नही है, पता करके बता दूंगा ।

चौधरी भजन लाल : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि हिसार डिपो में कितनी व सें हैं और उन के माडल क्या–क्या हैं?

श्री जगन नाथ : सैप्रेट नोटिस दे दें, थोड़ी देर में बता दूंगा ।

श्री शमशेर सिंह : जैसा कि मन्द्री महोदय ने स्टेटमैंट नं 0 1 पर बेकेट पोस्टें बताई हैं कि मकैनिक्स की 8 पोस्टें खाली हैं और इसी तरह से फिटर और इलैक्ट्रिशियन की खाली हैं और भी वर्कशाप में काम करने वाले कर्मचारियों की पोस्टें खाली हैं

जिनकी वजह से बसों में ब्रेक–डाउन होता है क्योंकि बसों की रिपेयर नही हो पाती क्या इन को जल्दी भरने का इन्तजाम करेंगे?

श्री जगन नाथ : सारी पोस्टें खाली नहीं हैं, हम डेली वेजिज पर रख लेते हैं । हमने एम्पलायमैंट एक्सचेंज को लिखा है कि टैक्नीकल हैंड दें लेकिन वे भेज नही रहे है । हम बोर्ड को भी लिख रहे हैं और जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेंगे । मेन कारण यह है कि पहले वे पोस्टें एस 0एस0एस0 बोर्ड के परव्यू से बाहर थीं और ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट का बोर्ड बना हुआ था जो रिक्रूटमेंट करता था । लेकिन दो साल से उन के परव्यू से हटाकर बोर्ड के नीचे कर दिया है लेकिन उन से कैंडीडेट आने में देरी हो जाती है इसी लिए हम डेली वेजिज पर रख लेते हैं ।

श्री देवी दास : सोनीपत में सब–डिपो हैं, बड़ा डिपो नहीं है । जब तक डिपो नही बन जाता तब तक चण्डीगढ से दिल्ली जाने वाली बसों को वाया सोनीपत भेजने का सरकार इन्तजाम करेगी?

श्री जगन नाम : इसके लिए अलग नोटिस दें । वैसे मैं बता देता हूं कि आप सोनीपत से होकर दिल्ली जाने की मांग करते हैं लेकिन पैसेन्जर कहते हैं कि बसें सीधी जाएं क्योंकि सोनीपत से होकर जाने में उनका एक घंटा ज्यादा लगता है, टाईम ज्यादा लगता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं । इसलिए यह काम सोच समझ कर करेंगे ।

चौधरी राम किशन : स्पीकर साहब, देखा गया है कि जहां बसों का स्टोपेज होता है वहां सवारियां खड़ी होती हैं लेकिन बसें एक किल्ला दूर जाकर खड़ी होती हैं । क्या मन्त्री महोदय बसों को स्टोपेज पर खड़ा होने के लिए हिदायत देंगे?

श्री जगन नाथ : डिपोज के जनरल मैनेजरों को कहा गया है कि पैसेन्जरों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे ।

चौधरी संत कंवर : कितनी बार मैं मन्त्री महोदय के नोटिम में ला चुका हूं, पिछले आठ महीने से कह रहा हूं कि मेरे हल्के के 8 गांवों में जाने के लिए बस का इन्तजाम करें, क्या मन्त्री महोदय इस तरफ फौरन ध्यान देंगे?

श्री जगन नाथ : इनकी बात सही है, हर एक एम 0एल0ए0 चाहता है कि जितने गांव उनकी कांस्टीच्यूएंसी में है, हर एक में बस जाए और उसके बाद हर एक मोहल्ले में बस ले जाने की बात चल रही है, लेकिन सारी स्टेट को ध्यान में रखते हुए ही बस चलाने की कोशिश की जाएगी ।

चौधरी पीर चन्द : हरियाणाकी काफी बसें खराब हो चुकी है । क्या नई बसे मंगवाने की कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है?

श्री जगन नाथ : इस महीने के आखिर तक या अप्रैल कें पहले सप्ताह तक नई बसें आ जाएगी ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि नारायणगढ का बस अड्डा जिसको पहली सरकार ने कागजों' में मन्जूर किया था, बनाया जाएगा या नहीं?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जब नारायण : जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बैठाने के लिए बस नहीं रोकी जाती ।

क्या मन्त्री महोदय बच्चों के लिए कोई इन्तजाम करेंगे ।

श्री जगन नाथ : इनके लिए कोशिश कर रहे हैं, पहले भी कंसैशन दिया है ।

चौधरी हरस्वरुप बूरा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे किं जींद में जितनी बसें हैं, उनमें कितनी डीलक्स हैं और च्हिपी आर्ड़िनरी हैं?

श्री जगन माथ : डीलक्स तो दुहा कोई नहीं है ।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, नौवीं और दसवी के बच्चो को वसों में नहीं बैठाते, – छोटे बच्चों को बैठाते हैं, क्या सरकार ने इन के लिए कुछ सोचा है?

श्री जगन नाथ : एक कमेटी बनाई है, हैडिड बाई डा 0 मंगल सैन । जो समस्या है इसके बारे में जल्दी ही गवर्नमैट को रिपोर्ट देंगे, उसके बाद कार्यवाही होगी ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया है कि टैक्लीकल हैंड डेली वेजिज – पर लगाए जाते है जहां जहां जगह खाली हो । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड कलासिज को रखने के लिए भी कोई कंसिडेरशन है ताकि उन को भी डेली वेजिज पर रखा जा सके?

श्री जगन नाथ : हरेक साईड से लगाए जाते हैं, टैक्नीकल आदमी अगर कोई शिडयूल्ड कास्ट हो तो उसको भी लगाया जाता है ।

श्री लहरी सिंह मेहरा: क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कैथल डिपो को सारे हरियाणा से छांट कर रद्दी से रद्दी बसे क्यों दी गई हें?

श्री जगन नाथ : इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नही किया गया ।

मास्टर शिव प्रसाद : जो नाईट बस–सर्विस चण्डीगढ से दिल्ली जाती हुं, क्या मन्त्री महोदय यह हिदायत करेंगे कि यह नाईट सर्विस अम्बाला बस–अड्डे से होकर जाएं?

श्री जगन नाथ : सवारिया मांग करती हैं कि सीधी ड़स जाए और इनकी मांग है कि वहां से होकर जाए सवारियों की इच्छा भी तो देखनी पड़ती है ।

चौधरी ईश्वर सिंह : शहरों में रात को अड्डों पर ज्यादा बसे खड़ी रहती है, सड्कों के किनारे खड़ी रहती हैं, क्या मन्त्री महोदय विचार करेंगे कि ये बसे गावों में खड़ी कर मे जाएं? गांवों में क्यों नहीं खड़ी कर देते?

श्री जगन नाथ : जो बसें गांवों में जाती हैं वे गांवों में खडी होती हैं और जो शहरो में जाती हैं वे शहरों में बड़ी होती है ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : स्पीकर साहब, बसे तो है लेकिन कई जगहो पर बस–स्टाप का बोर्ड नहीं लगाया हुआ और जो सवारियां हैं वे दूर दूर खड़ी होगी हैं, बस कहीं खड़ी होती है सवारियां कहीं होती हैं । इस डिफिकल्टी को दूर करबे के लिए सरकार क्या एक्शन ले रही है?

श्री जगन नाथ : बस स्टाप के बोर्ड तो लगाए जाते है लेकिन बच्चे उसको उखाड़ कर से जाते हैं । इसके बारे में कोई स्पैसिफिक इन्स्टांस बताएं, एक्शन ले लेग ।

चौधरी राज पीपली : बस–स्टैड बरसात के दिनों मे खराब हो जाता है, क्या सरकार उसका सुधार करने का इन्तजाम करेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी हरि चन्द हूडा : रोहतक का बस–स्टैड बहुत तंग है । तकरीबन 15– 20 दिन हो गए हैं 5 लड़के भी मरे है और इसके इलावा रोहतक रोड पर एक्सीडैट के और भी कई वाकियात हो गए हैं । क्या मन्त्री महोदय हुस अड्डे को चेंज करने के लिए विचार करेंगे ताकि इस तरह के नुक्सान न हों?

श्री जगन नाथ : रोहतक के जितने एम0एल0ए0 हैं, उन से सलाह मशवरा करके ही चेंज करेंगे ।

Percentage of posts reserved for the persons belonging to Scheduled Castes

***221. Chaudhri Sher Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the percentage of posts reserved cadrewise for the persons belonging to Scheduled Castes in the service of Haryana Government ;

(b) whether it is a fact that the posts so reserved as in part (a) above have been completely filled up ; if not, the number of such posts, separately which have not been filled up so far togetherwith the steps taken or proposed to be taken by the Govt. to fill up the aforesaid posts ; and

(c) the time by which the said posts are likely to be filled up ?

Mr. Speaker : *Extension has been asked for in

respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister for Revenue is as follows :—

D.O. No. 3/4/78-SW(1)

"Prit Singh

Minister,

Welfare of Scheduled

Castes & Backward Classes.

March 1st, 1978.

Subject :—Starred Assembly Question. No. 221 asked by Shri Sher Singh M.L.A. regarding percentage of posts reserved for persons belonging to Scheduled Castes.

My dear Shri Brig. Ran Singh Ji,

1 write to inform you that Starred Assembly Question No. 221, to be asked by Shri Sher Singh M.L.A., was received in the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department on 30-1-1978. The required information is being collected. I, however feel that it would not be possible to collect the information asked for within the short period to answer the question on 2-3-78.

2. **I** would, therefore, be grateful if you could kindly allow extension of one month and fix another date for

answering this question.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/—

(PRIT SINGH)

Brig. Ran Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh."

Water Supply Scheme

***227. Swami Aditya Vesh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the district-wise number of water supply schemes on which the work has been started so far ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to supply drinking water to the villages in the State having scarcity of drinking water ; if so, the time by which the schemes are likely to materialise ; and

(c) whether there is also any scheme under consideration of the Govt. to supply drinking water temporarily to villages as referred to in part (b) above ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह :) :

(क) 31—12— 77 तक 381 योजनायें आरम्भ की गई हैं और उनका जिला अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

जिले का नाम 3 1— 1 2— 77 तक आरम्भ की गई योजनाओं की संख्या

अम्बाला	40
भिवानी	88
गुडगावां	38
हिसार	68
जींद	30
करनाल	7
कुरुक्षेत्र	15
महेन्द्रगढ	37
रोहतक	28
सिरसा	45
सोनीपत	5

(ख) ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम में पीने के पानी की कमी वाले ग्रामों को प्राथमिकता दी जा रही है । योजनाओं का कार्य पूरा होना धन राशि की प्राप्ति पर निर्भर है ।

(ग) नही ।

स्वामी आदित्य वेश : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आगामी वित्त वर्ष में हथीन ब्लाक में, जो वाटर स्केयरसिटी। एरिया में आता– है, कोई वाटर सरलाई स्कीम चालू होगी?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन ब्लाकों के बारे में परसों भी काफी विस्तारपूर्वक बतायागया था । बार–बार सवाल दोहराने से उस सवाल का कोई महत्व नहीं रहता । लेकिन आज फिर जिन–जिन ब्लाकों को वर्ल्ड बैक स्कीम में शामिल किया राया है उनके नाम मैं जता देता हूं । उनके नाम इस प्रक्रार हैं:––

1 डिस्ट्रिक्ट हिसार – हिसार, 1, हिसार 2, फतेहाबाद, भूना, नारनौंद और हांसी ।

2. डिस्ट्रिक्ट सिरसा – बडागुड्ढा और डबवाली

3. डिस्ट्रिक्ट जींद – कलायत

4. डिस्ट्रिक्ट रोहतक – चिड़ी और सांपला

5. डिस्ट्रिक्ट सोनीपत – कथूरा

6. डिस्ट्रिक्ट गुडगांव – फिरोजपुर झिरका, नूह और हथीन

7. डिस्ट्रिक्ट अम्बाला – रायपुर रानी और पिंजौर ।

चौधरी खुरशीद अहमद : मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि 31–12–77 तक ये स्कीमें शुरू की गई । क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये कौन से फाइनैन्शल ईयर में शुरू हुई, कब से शुरू हुई और कब तक डनके कम्प्लीट करने का इरादा है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . स्कीमें तो 1954 से शुरू हों चुकी हैं । इनमें से कुछ तो कम्पलीट होचुकी है और कुछ कम्पलीट होनी बाकी –हैं । यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्कीम के बारे में पूछना चाहें तो जवाब देदिया जाएगा ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम के तहत लोगों से कैश और जमीन की शक्ल में 12 परसैन्ट राशि ऐडवांस में ली जाती है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई स्कीम हैजिसके तहत केवल जमीन ही ली जा सके जिसे सरकार खुद बेच ले?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस समय ऐसी स्कीम नहीं है । पांच परसैट राशि की जमीन ली जाती है और सात परसैट कैश और लेबर की शक्ल में लिया जाता है ।

मास्टर शिव प्रसाद : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि गांव के अलावा जिन शहरों में पानी की क्रोनिक प्रौब्लम है वहां पर भी वाटर सप्लाई करेंगे?

श्री.वीरेन्द्र सिंह : यह रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में सवाल है । आप 'शहरों के बारे में नोटिस दे, जवाब दे दिया जाएगा ।

श्री हीरानन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बताया कि वाटर सप्लाई स्कीम्ज सन् 1954 से शुरू की गई थीं और कुछ गांवों में पानी दिया जा चुका है लेकिन जिन गांवों में काफी अर्सा पहले पानी दिया गया था उनमें अब आबादी बढ़ जाने के कारण पूरा पीनी उपलब्ध नहीं है । क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे गांव को पूरा पानी उपलब्ध करवाने के लिए वे नए सिरे से गौर करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अवश्य किया जाएगा जहां से शिकायत आएगी ।

कंवर राम पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, शहरी घरों में वाटर पाईप लाईन ले जाने की इजाजत है लेकिन देहात में नहीं है । क्या मंत्री जी बताएंगे कि शहरों की भांति गांव में भी वाटर पाईप लाईन ले जाने की इजाजत मिलेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस किस्म की कोई स्कीम जेरे गौर नहीं है और न अभी ऐसा करने का इरादा है ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, जो पुरानी स्कीमें गांव में चालू हैं उनके तहत तो प्राईवेट नल्के दिए हुए हैं लेकिन अब

नहीं देते । इससे डिसक्रिमिनेशन होती है । क्या मंत्री महोदय इसमें पैरिटी लाने की कोशिश करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . कुछ कुनैक्शन पिछली सरकार ने दिए हुए हैं लेकिन वे नैगलिजिबल हैं । अगर गांव के लोग विशेष तौर पर कोई शिकायत करेंगे तो उस पर ध्यान दिया जाएगा ।

चौधरी गया लाल : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि गुड़गांव जिले के नूह, फिरोजपुर झिरका और हथीन ब्लाक को इस स्कीम के तहत लिया गया है । क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि हसनपुर क्षेत्र को, जहां जमुना के किनारे–किनारे, पूरे एरिया में खारी पानी है, भी इस स्कीम में रखा जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . मौजूदा स्कीम में तो वह नहीं है लेकिन उसकी भी बारी आ जाएगी क्योंकि जनता सरकार हर गांव को पानी देने के लिए वचनबद्ध है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए कुरुक्षेत्र जिले, करनाल जिले और अम्बाला जिले को मुकम्मल तौर पर क्यों इग्नोर कर दिया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अम्बाला जिला तो इसमें है । उनकी सिफारिश आप न करें, आप अपनी बात कीजिए । अम्बाला जिले के तो पिंजौर और रायपुर रानी ब्लाक्स का मैंने नाम लिया है । जहां तक कुरुक्षेत्र और करनाल जिले का ताल्लुक है, वहां जो

स्केयरसिटी विलेजिज की लिस्ट बनाई गई उसमें उनका रकबा बहुत नैगलिजिबल है । इर्म्पोटैसं तो उन गांवों को दी जो रही है जो स्केयरसिटी कैटेगरी में आते हैं ।

चौधरी संत कंवर : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वर्ल्ड बैक स्कीम के तहत जो गांव लिए गए हैं, इसमें दो–दो, तीन–तीन गांव को इकट्ठा किया जाएगा या एक–एक गांव को अलग–अलग स्कीम दी जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अगर दो–दो, तीन–तीन और चार–चार गांवों को इकट्ठा किया जा सके तो प्रैफरैन्स उनको दी जाएगी ।

सरदार सुखदेव सिंह : स्पीकर साहब, सिरसा जिले में मन्त्री महोदय ने 45 गांव बताए हैं । क्या वे बताएंगे कि इन गांवों के नाम क्या हैं? क्या वे यह भी बताएंगे कि जो गांव इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं वे कब तक शामिल कर लिए जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : गांवों की लिस्ट तो इस समय मेरे पास नही है ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या मंत्री जी फरमायेंगे कि अम्बाला जिले में जिस तरह 'का एरिया उन्होंने सिलैक्ट किया है उसी तरह का एरिया अगर कोई और हो तो उसे वे अपनी स्कीम में इंकलूड करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वर्ल्ड बैंक प्रोजैक्ट की यह स्कीम है । इसका फैसला अब होने ही वाला है । एक और स्कीम जब बनेगी तो उसमें ऐसे गांवों को जरुर शामिल करेंगे क्योंकि हम एक–एक गांव को पानी देंगे ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि फाईनैन्शल ईयर 1977–78 में गुडगाव जिला में कौन सी नई स्कीमें चालू की गई? कृपया यह भी बताएं कि नूह ब्लाक में, जो कि स्केयरसिटी एरिया है, कौन सी स्कीम चालू की गई?

श्री वीरेन्द्र सिंह : कौन सी स्कीम किस ब्लाक में चालू की गई इसके लिए अलहिदा नोटिस चाहिए ।

चौधरी भजन लाल : मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैक प्रोजैक्ट के नीचे इन्होंने जो व्लाक्स छांटे हैं, उन ब्लाक्स के सारे गांवों में पानी दिया जाएगा या उनमें से कुछ गांव छांटे जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने उन एम0एल 0एक 0 साहेबान को एक पत लिखा था, जिनकी कांस्टिचुऐंसी में वे ब्लाक्स पड़ते हैं, कि वे अपने तौर पर दस–दस गांव छांट कर दें क्योंकि 175 गांव बनते हैं जिनको पानी प्रोवाइड किया जाना है । कुछ साहेबान ने जवाब दे दिया है और कुछ ने नहीं दिया है । अगर कोई जवाब नहीं देगा तो उन ब्लाक्स के गांव के नाम मैं स्वयं छांटूगा । (विघ्न एवं शोर)

कुछ माननीय सदस्य : हमें कोई चिट्ठी नहीं मिंत्री ।

कुछ अन्य माननीय सदस्य : हमें मिंत्री है । (विध्न)

Mr: Speaker : Incidentally I also did not get the letter.

श्री वीरेन्द्र सिंह : : शायद आपके ब्लाक शामिल नहीं होंगे ।

स्वामी आदित्य वेश : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हथीन बल्कि में, जौ कि वाटर स्केयरसिटी एरिया है, आगामी वित्त वर्ष में कोई स्कीम चालू होगी?

श्री विरेन्द्र सिंह : इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, हरियाणा में लाइनिंग आफ कैनाल्ज एंड वाटर कोर्सिज से सीपेज का पानी न जाने के कारण सारे देहात में जहां पानी मीठा था खारी हो चुका है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो लिस्ट वना रखी है यह पुरानी है या इन्होंने कोई रिसैन्ट सर्वे करवाया है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह पहले का सर्वे है लेकिन ऐसे कोई गांव जिनमें कैनाल्ज और वाटर कोर्सिज की लाइनिंग की

वजह से पानी खारी हुआ हो यदि मैम्बर साहिबान हमारे नोटिस में लाएंगे तो उनको ऐग्जामिन करवा लेंगे ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके बारे में पहले भी हाउस में डिस्कशन हुई है कि लाइनिंग आफ कैनाल्ज एन्ड वाटर कोर्सिज की वजह से उन एरियाज में जो नहरी इलाका था उसमें सीपेज का पानी बन्द होने ' से उन गांवों में जहां मीठा पानी था खारी पानी हो चुका है । यह तो नोटिस में लाने की कोई बात ही नही है । तो क्या मिनिस्टर साहब इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वे कराने का जायजा लेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : कई जगह मैं भी गया हूं पहले जहां लाइनिंग नही थी लेकिन मुझे तो वहां पर मीठा पानी नजर आया है । जहां पर चौधरी रिजक राम जी गये हैं, वे नोटिस में लौ दें वहां पर सर्वे करवा देंगे ।

चौधरी रिजक राम : मैं ऐसे कितने गांव बता सकता हूं जहां पर यह हालत है । जो वैस्टर्न जमुना कैनाल के साथ साथ का एरिया है जहां पर लाइनिग होने के बाद सैकडो में खारी पानी हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष : बारी पानी की बैल्ट तो जीन्द से झज्जर तक है ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडिया : मन्त्री महोदय बतायेगे कि वर्ल्ड बैंककी स्कीम के तहत महेन्द्रगढ़ जिला जिस को बिस्कूल छोड़ दिया गया है तो क्या किसी और स्कीमज के तहत उस जिले के गांवों को भी पानी दिया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जहां तक महेन्द्रगढ जिले का ताल्लुक है वहां पर लगभग' 70 परसैन्ट गांवों में पहले ही पानी दिया जा चुका है । अब जो नयी स्कीमें हैं उनमें सें काफी से ज्यादा चालू हो चूकी हैं चिन्ता करने की कोई बात है । क्ये साल में जो नार्मल पैसा हमे मिलता है उसमें से सब हल्कों में बराबर का पैसा तकसीम किया आयेगा ।

श्री जयनारायण वर्मा. : मिनिस्टर साहब बतायेगे कि जिन–जिन. एम.एल0एज0 ने दस गांवों के नाम दिये हैं । उन गांवों में कब तक यह योजना कार्यान्वित की जा रही हैं?.

श्री वीरेन्द्र सिंह : उनका एस्टीमेट तैयार है । पैसा आया तो काम. चालू कर दिया जायेगा ।

श्री शमशेर सिंह : मिनिस्टर साहब ने चिट्ठी का जिक्र किया । उन्होंने मुझे भी एक ऐसा पल लिखा था और मैंने उसका जवाब भी दिया था लेकिन मेरे नरवाना ब्लाक को इस स्कीम के तहत शामिल नहीं किया गया । तो. मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि इसको क्यों नहीं शामिल किया गया और क्या आगे शामिल करने का कष्ट करेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : गलती से लिखी गयी होगी?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब नारायणगढ तहसील का सरकार को पता है और मैंने भी कई बार लिख कर दिया है कि वहां के लोगों को पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है । वहां पर दूध तो मिल जाता है लेकिन पानी नही मिलता है । मेरे इलाके के 15 गावों को हिमाचल. के चश्में से पानी दिया गया है, वह छरू महीने चलता है और छ महीने लोग पानी के लिए तरसते, है । मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब सें–पूछना चाहता–हूं कि वहां के लोगों क्ये पीने का पानी कब तक मिल सकेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आपका ब्लाक रायपुर रानी वाली स्कीम में इनकलूडिड है । व्य वर्ल्ड बैंक की स्कीम है ।

चौधरी लाल सिंहः जिस ब्लाक में यह स्कीम चालू की गईहै, वह सरदार लछमन सिंह का हल्का है । मेरे नारायणगढ़ एरिया के उसमें तो थोड़े ही गांव हैं ।

श्री लछमन सिंह : जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाटा है कि एक–एक ब्लाक लिया है लेकिन उन्होंने दोबारा कलियर किया एं कि एक ब्लाक में भी एम0 एम0 ए0 की सलाह पर दस–दस गांव लिये जायेंगे । उन्होंने यह भी बताया कि चिट्ठी लिखी थी, मुझे तो वह मिंत्री नहीं । तो मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि एक ब्लाक में तो 1 00– 125 गांव होते हैं और स्कीम आप दस गांव में चालू कर रहे हैं, ऐसे कैसे पानी सब

गांवों को दे सकेगे? जनता–पार्टी तो बदनाथ हो जायेगी तो इन बाकी के गांव में कब तक पानी दिया जायेगा ?

श्री कन्हैया साल पोसवाल : मिनिस्टर .साहव फरमा रहे हैं कि गलती से चिट्ठी लिखी गई होगी । कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को लिखनी हो और इनको लिख दीं हौ । मेरा एरिया सरदार लछमन सिंह जैसा ही एरिया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : इनके कुछ गांव कलायत के पास पड़ते हैं । मैंने समझा कि इनके गांव भी इस ब्लाक में पड़ते होंगे ।

चौधरी खुरशीद अहमद : मिनिस्टर साहब की जो चिट्ठी इशू हुई है और मैम्बर साहेबान ने उसको पढ कर जवाब भी उनकी खिदमत में भेज दिया है । मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक से पैसा आने से पहले उन गांवों का एस्टीमेट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रुवल और सैनीटरी बोर्ड की सैकशन ले ली गई है और अगर नही ली है तो कब तक ले ली जायेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वर्ल्ड बैंक से पैसा आने से पहले तमाम फार्मेलिटीज को पूरा करलिया जायेगा ।

श्री फतेह चन्द विज : जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि सारे हल्कों को पानी दिया जायेगा उधर यह वर्ल्ड बैक की स्कीम में करनाल के इलाके को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया । क्या इनको फिर शामिल किया जायेगा?

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैम्बर साहेबान को कुछ कनफ्यूजन हो गया है । तीन तरह की स्कीमें होती है एक तो वर्ल्ड बैकं वाटर सप्लाई स्कीम, दूसरी सैन्टर की एक्सलरेटिड स्कीम और तीसरी है जो नार्मली सरकार की ओर से जो बजट हमें दिया जाता है उसके हिसाब से चलती हैं । ये तो वर्ल्ड बैंक की स्कीम है । जो हमारी नार्मल स्कीमें हैं, एक्सलरेटिड स्कीम है उनके तहत हर कांस्टीच्यूसी में काम शुरू किया जायेगा । सब गांवों में पानी पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपया चाहिए । हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि आप जब सन् 1982 में वोट मांगने के लिए जायें तो पानी की कोई दिक्कत लोगों को नहीं मिले ।

राव राम नारायण : मंत्री महोदय बतायेंगे कि नाहड ब्लाक को वर्ल्ड बैक स्कीम में शामिल नहीं किया गया है, क्या उसको अपनी लिस्ट में शामिल करने की कृपा करेगे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वर्ल्ड बैक का प्रोजैक्ट तो जा चुका है । बाकी स्कीमों से पानी देंगे ।

Getting Areas Back from Punjab

***259. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken or proposed to be taken by the.. Government to get those areas back from the Punjab which were recommended by the Shah Commission but actually were not given to the State of Haryana ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल :) : पंजाब सीमा आयोग, जिसे शाह कमीशन भी कहा जाता है और जिसे भारत सरकार ने स्थापित किया था, ने अपनी रिपोर्ट 31 मई, 1966 को प्रस्तुत की थी । यह एक सिफारिशी प्रकारकी रिपोर्टथी जिसके पश्चात पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1968 बनाया गया था । शाहू कमीशन की सिफारिशों पर हरियाणा सरकार द्वारा कोई पग नहीं उठाये गये । क्योंकि बाद में सीमा सम्बन्धी दावों का निर्णय भारत सरकार द्वारा उनकी प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 29 जनवरी, 1970 द्वारा जो कि प्रधान मन्त्री एवार्ड के नाम से प्रसिद्ध है, किया गया था । यह एवार्ड अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार तो इस रिपोर्ट को इम्पलीमैंट नही कर सकी और नही करवा सकी और न ही उनकी कराने की नीयत थी तो जो जनता सरकार है और चीफ –मिनिस्टर साहब का बनाया हुआ हरियाणा है, हम भी कुर्बानी देने में थे तो कब तक इसको इम्पलीमेंट करवा देंगे?

चौधरी देवी लाल : यह रिपोर्ट सन् 1970 में पेश की गई थी । जो प्राईम मिनिस्टर एवार्ड है उसे दीमक लग चुका है । दस साल वह सरकार बैठी रही । अब दर्द उठा है । यह दर्द तो मुझे और बादल साहब को ज्यादा है । फाजिल्का तहसील के आप पांच गांवों के नाम नहीं गिना सकेंगे ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या चीफ मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि उस इलाके को लेने के लिए मौजूदा सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

चौधरी देवी लाल : मौजूदा सरकार आपसी मामलों को ऐमीकेबली सैटल करेगी । सारे मसले हमने हल किये हैं, यह भी हल हो जायेगा ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आप बैठ कर तो हल करेंगे लेकिन क्या कोई मीटिंग हुई है, क्या सैन्टर के किसी मिनिस्टर से मिले हैं, क्या कदम उठाये है?

चौधरी देवी लाल : मैं उम्मीद करता हूं । आप पोलिटिकल हालात को साजगार होने दें । ज्यों ही हालात साजगार होगे बैठ कर फैसला कर लेंगे ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं अपन आनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि अगर इनके दिल में दर्द उठेगा तो मेरे दिल में भी जरूर दर्द उठेगा । जब भी कभी चंडीगढ़ लेने के लिये जलूस निकला, मैंने भी उसमें बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया यही नहीं जेल भी गया ।

श्री अध्यक्षः आप सवाल पूछिये ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : सवाल ही पूछ रहा हूं । मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि शाह कमशिन की रिपोर्ट

इम्पलीमैंट कराने के लिए हां पर उनक। पसीना हेग। वहां पर हमारा खून होगा । कही उनके दर्द होगा तो हमारे पहले होगा । उनको यह भी पता है कि हम जेलों में भी इकट्ठे रहे है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह ठीक है कि प्राईम मिनिस्टर अवार्ड तो पुराना हो चुका है और यह बात उनकी ठीक है कि मैं तो फाजिल्का अबोहर के 5 गांव भी नहीं गिना सकता उनको पता होंगे, क्योंकि वहां पर उनकी रिश्तेदारियां हैं क्या शाह कमीशन का अवार्ड लागू कराने की कोशिश करेंगे?

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहब, **चौधरी** जगजीत सिंह पोहलू को खून बहाने की जरुरत नही पड़ेगी हम बड़े आराम से इस मसले को हल कर लेंगे ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मन्त्री ने जो पिछले दिनों अवार्ड दिया था, वह लोगों को बहकाने के लिये दिया था या वाकई इम्पलीमैंट कराने के लिये दिया था? लेकिन अब जो शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ हरियाणा को दिया हुआ है, वह इम्पलीमैंट होगा या नही होगा ।

चौधरी देवी लाल : वह तो आप पोसवाल साहब या चौधरी शमशेर सिंह जी से पूछ लें जिनकी उस समय सरकार थी ।

Hospitals/Dispensaries in District Rohtak

*248. Chaudhri Sant Kalmar : Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) the total number of Hospitals/Dispensaries in District Rohtak at present together with their location ; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to open new Hospitals/Dispensaries in District Rohtak particularly, in Hassangarh Constituency of District. Rohtak ?

खाद्य एवं पूति मंत्री (श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा :) :

(क) विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती एं ।

(ख) एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहाजगढ में खोलने का निर्णय लिया गया हं । जहा तक हसनगढ चुनाव क्षेत्र का सम्बन्ध है कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है । विवरणी

(1) अस्पताल :

1. जनरल अस्पताल, रोहतक ।

2. जनरल अस्पताल, बहादुरगढ़ ।

3. जनरल अस्पताल, झज्जर ।

4. महिला आश्रम इनफरमरी अस्पताल, रोहतक ।

5. पोलिश अस्पताल, रोहतक ।

6. जेल अस्पताल, रोहतक ।

7. मैडिकल कालेज अस्पताल, रोहतक ।

8. जनरल अस्पताल, वेरी ।

9. सीरू आररू दास मोबाईल अस्पताल, रोहतक ।

10. बाबा मस्तनाथ आई अस्पताल, अस्थल बोहर ।

(2) डिस्पैंसरियां

1. राजकीय ग्रामीण औषधालय, सांघी ।

2. राजकीय ग्रामीण औषधालय, मातनहेल ।

3. राजकीय ग्रामीण औषधालय, मछरौली ।

4. राजकीय ग्रामीण औषधालय, दुजाना ।

5. राजकीय ग्रामीण औषधालय, भालोट ।

6. राजकीय ग्रामीण औषधालय, भंभेवा ।

7. राजकीय ग्रामीण औषधालय, गिरावड ।

8. राजकीय ग्रामीण औषधालय, कोसली ।

9. राजकीय ग्रामीण औषधालय, छुड़ानी ।

10. राजकीय ग्रामीण औषधालय, बिरोहड ।

11. राजकीय ग्रामीण औषधालय, सिलानी ।

12. राजकीय शहरी औषधालय, महम ।

13. राजकीय शहरी औषधालय, कलानौर ।

14. राजकीय शहरी औषधालय, शिवाजी कालोनी । –न् अं'

15. राजकीय शहरी औषधालय, मड हट कालोनी, रोहतक ।

18. जिला टी. बी. नियलण केन्द्र, रोहतक ।

17 ई. एस. आई. डिस्पैसंरी, बहादुरगढ़ ।

18. ई. एस. आई. डिस्पैसंरी, बहादुरगढ़ –2 ।

19. ई. एस. आई. डिस्पैसंरी, रोहतक ।

20. मोबाईल औपथलमिक, कलीनिक, रोहतक ।

21. सबसीडाईज डिस्पैसरी, बापरोदा ।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदीना ।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किलोई ।

3. प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, कहानौर ।

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छारा ।

5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बादली ।

6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढाकला ।

7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाहडु ।

8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांपला ।

9. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीगल ।

10. प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, चिड़ी ।

Chaudhri Sant Kanwar : Will the Hon. Minister be pleased to state as to how many Government Hospitals Dispensaries buildings were damaged in the floods ?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : उपरोक्त प्रश्न के साथ इसका कोई संबंध नहीं, यह सैपरेट कवैश्चन है, लिखकर दे दिया जाये तो जवाब दे दिया जायेगा ।

चौधरी शेर सिंह : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि किस जिले में डिस्पैंसरिया और अस्पताल सब से ज्यादा हए और किस जिले में डिस्पैसंरियां और अस्पताल सब से कम हैं?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इसका भी वास्तव प्रश्न से संबंध नहीं । इसके लिये सैपरेट नोटिस चाहिये ।

चौधरी संत कंवर : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि सांपला प्राइमरी शैलर सैन्टर मैं स्टाफ पूरा है या कम हे?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा :. लगभग पूरा है लेकिन जो थोड़ा सा कम है, उसके लिये हम प्रयत्नशील है और जल्दी ही भर रहे हैं ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या म ली महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि मेहम में भी कोई डिस्पैसरी या पी 0 एच0 सी 0 खोलने का विचार है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : जी हां है । हमने 12 सब्सीडियरी हैल्थ सैटर खोलने हैं 198 सब–सैटर खोलने की प्रोपोजल है । एक गोहाना का जो प्राइमरी हैल्थ सैटर 25 बैड का है उसे 30 बैड का करने का विचार है । इसके अलावा 5 आयुवैंर्दिक डिस्पैसंरियां खोलने का भी विचार है । इसके अलावा दो नये अस्पतालों, एक जगाधरी में और एक चोटाला मे की बिल्डिगे भी बनाने का विचार हो चुका है ।

चौधरी गया लाल : मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि होडल में सैकड़ों साल पुरानी डिस्पैसरी है जिसमें केवल एक डाक्टर है जबकि होडल की आबादी 2 0, 000 की है और 5 0, 000 के लगभग इर्द गिर्द के लोग वहां पर इलाज करवाने के लिये आते है, वहां पर डिलीवरी के लिये कोई लेडी

डाक्टर भी नहीं है और लोगों को डिलीवरी करवाने के लिये होडल से दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि वहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है, क्या इसके लिये कोई प्रबन्ध वहां पर करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : जी हां, जैसे ही हमें कुछ पैसा सरकार देगी तो इस बारे में जरूर विचार किया जायेगा ।

चौधरी गजराज बहादुर नागर : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि फरीदाबाद के एरिया में भी कोई नई डिस्पैंसरी बोलने का विचार है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : अभी तो नहीं लेकिन जब भी हम नई डिस्पैंसरिया खोलने का विचार करेंगे तो जहां–जहां पर माननीय– सदस्य बतायेगे, वहां पर खोलने के लिये विचार कर लेंगे ।

मास्टर शिव प्रसाद : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि अम्बाला में जो सिविल हस्पताल है और लोगों द्वारा जिसको कत्लगाह का नाम दिया जाता है, को बनाने की कोई तजबीज है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री लहरी सिंह मेहरा : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या कोई प्रपोजल कुरुक्षेत्र जिले में रादौर कांस्टीएंसी में डिस्पैंसरी खोलने की है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : अभी तो नहीं है लेकिन यह सारा कुछ पैसे के पर आधारित है । हमें जितना बजट मिलेगा हम उसके अनुसार सब कांस्टीच्युएंसी में चिकित्सा सुविधा देने का प्रबन्ध करेगे ।

श्री मूल चन्द मंगला : क्या भली महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि पलवल कांस्टीच्युएंसी में जो डिस्पैसरी है, वह नाकाफी है जबकि वहां की आबादी इतनी ज्यादा है । क्या उसको देखते हुए वहां पर कोई नयी डिस्पैसरी खोलने का प्रबन्ध करेंगी?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : इस बारे उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

चौधरी हरस्वरूप बूराः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि मेहम में जो डिस्पैसरी है, उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत खस्ता है, वह किसी के भी रहने के काबिल नहीं है, क्या उसकी मुरम्मत के लिये कोई प्रबन्ध करेंगे?

श्री मंत्री डाक्टर कमला वर्मा : उसकी रिपेयर के लिये पैसा दे दिया जायेगा ।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि जितनी दवाइयां इस साल मिल रही हैं, अगले साल भी उतनी ही मिलती रहेंगी या उसमें कुछ बढ़ौतरी होगी?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : यह तो उस पैसे पर डिपैन्ड करेगा जितना हमें इस काम के लिये एलोकेट होगा । सब–सैटंर्ज, प्राइमरी–हैल्थ–सैटंर्ज और डिस्पैसरियों के लिये जितनी अब मिल रही हैं उतनी तो मिलेंगी ही –लेकिन इसके अति– रिक्त 20 लाख रुपये अलग सैक्शन हुए हैं । हम यह कोशिश करेंगे कि अन्य अधिक रु 0 मिलें जिससे अधिक दवाइयां देने का प्रयास करेंगे ।

श्री जय नारायण : मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि कलानौर के अन्दर 1 5, 000 की आबादी है लेकिन अब तक वहां पर कोई अच्छी डिस्पैसरी नहीं है, क्या वहां पर कोई डिस्पैसरी बनाने की कोशिश करेंगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी शेर सिंह : क्या मन्त्री महोदया यह बताने की कृ पा करेंगी कि जो इन्होंने बताया है कि वे 5 आयुर्वेदिक डिस्पैसरियां खोलने जा रहे हैं, ये कहां–कहां पर खोलने जा रहे हैं, और इनके खोलने का क्राइटेरिया क्या है?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : जहां पर लोगों की ज्यादा मांग होगी और मैडीकल एड कम होगी, वहां पर ही खोली जायेंगी ।

श्रीमती शान्ति देवा : मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूं कि पी0 एच0सी 0 गन्नौर में स्टाफ पहले ही कम है, वह कब तक प्रा वहां पर पहुंच जायेगा?

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : अतिशीघ्र ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि नारायणगढ़ में भी कोई प्राइमरी हैल्थ सैटर खोलने का विचार है?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

Model of each of the buses allotted to Rohtak Depot

***269. Chaudhri Har Swarup Bura :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the yearwise model of each of the buses allotted to Rohtak depot ; and

(b) the time by which the old buses are to be replaced by the new ones ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री जगन नाथ) :

(क) कथन सदन की मेज पर रखा जाता है ।

(ख) शीघ्र ही ।

कथन

(क) वार्षिक माडल अनुसार रोहतक डिपो को अलाट की गई बसें ।

माडल	बसों की संख्या
1969	18
1970	34
1971	31
1972	27
1973	25
1974	12
1975	38
1976	39
1977	12

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अलग–अलग डिपो में अलग–अलग तरह की बसे हैं कहीं पर ले–लैंड हैं और किसी डिपो में टाटा मरसरी हैं । क्या मंत्री महोदय बतान की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है और अलग–अलग बसे रखने का क्या क्राईटेरिया रखा गया हु?

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब! चंडीगढ़, अम्बाला, करनाल, कैथल, जींद के डिपोज में तो टाटा हैं और बाकी डिपोज में लै–लैड हैं । इसका कारण यह है कि अलग–अलग डिपोज की वर्क शाप्स में अलग–अलग पु जें होते है । वह आ पस में मिल न जाए इस चीज से बचने के लिए अलग–अलग डिपो में अलग–अलग बसें रखी गई है?

चौधरी हरस्वरूप बूरा : चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो बसिज हैं, क्या उनके स्पेयर पार्टस मुकम्मल होते हैं?

श्री जगन नाम : आमतौर पर मुकम्मल होते हैं तभी तो चलती है वरना अगर पुर्जे न हों तो बस चल नही सकती ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय दसाने की कृपा करेंगे कि कैथल के डिपो में बसिज की बहुत बुरी हालत है और वहां पर बसों की काफी शार्टेज है । यह शार्टेज कब तक पूरी हो जाएगी और बसों की मुरम्मत कब हकहो जायेगी?

श्री जगन नाथ : मुरम्मत का काम तकरीबन एक महीने के अन्दर पूरा हो जाएगा और जो शार्टेज है उसको भी जल्दी ही पूरा कर देंगे ।

श्री जय नारायण वर्मा : स्पीकर साहब, यहसामान्य बात है कि रास्ते में बसें ब्रेकडाउन हो जाती हैं । वर्कशाप्स में जो

लोग काम करते हैं वे पूरी तरह से उनको अटैन्ड नहीं करते और ड्रॉईवर्ज तथा कन्डक्टर्ज जब रास्ते में बस खराब हो जाती है तो वे अलग खड़े हो जाते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते । मुसाफिरों को बडी दिक्कत आती है । मुसाफिरों को ही अपना सामान खुद दूसरी बस में चडाना पड़ता है । क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय इस दिक्कत को दूर करने की तरफ कोई ध्यान देंगे?

श्री जगन नाथ : यह बात भी ठीक है कि रास्ते में बसें खराब हो जाती हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है यह बात भी सच है । वैसे मैं यह बात बता द् कि हरियाणा की बसों की सर्विस सब से अच्छी है ।

श्री लहरी सिंह मेहरा : बहुत सी जगहों पर बसें बहुत. खराब हैं जैसे सोनीपत लाइन पर सब से गन्दी बसे लगी हुई है और आमतौर पर खराब हो जातीहैं, क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय इसकी तरफ कुछ ध्यान देंगे?

श्री जगन नाथ : ऐसी कोई बात नहीं है । सारे प्रांत में अच्छी बसे चल रही हैं ।

चौधरी मेहर सिंह राठी : स्पीकर साहब, पहले एक बस खरखोदा से वाया केरोलीं, प्रल्हादपुर, बहादुरगढ़ आती थी । वह फ्लड की वजह से बन्द कर दी गई । क्या मती महोदय उसको

फिर चलाने के बारे में विचार करेंगे? श्री जगन नाथ रू उसका पता कर लेंगे और जल्दी ही कार्यवाही करेंगे ।

चौधरी हरिचंद हुड्डा : क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ड्राईवर बसें ठीक चलाते हैं उनको कोई फैसिलीटीज या स्पैशल प्रिबिलेज देने के बारे में सरकार सोच रही हे?

श्री जगन नाथ : जो अच्छे ड्राईवर्ज हैं उनको इनाम दिया जाता है और जो निकम्मे है, उनको सजा दी जाती है ।

सरदार सुखदेव सिंह : डबवाली, कालांवाली से चंडीगढ़ आने के लिए बस को काफी लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है और उसमें काफी टाईम लग जाता है । क्या चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब से बात करके कोई रास्ता निकाला जाए जिमसे चंडीगढ़ पहुंचने में कम समय लगे और रास्ता भी कम हो जाए?

श्री जगन नाथ : सात तारीख को एक मीटिंग हुई थी और उसेमें यह जिक्र आया था । हिमाचल और पंजाब के बारे में भी यह सवाल उठा था । उसमें यह तय हुआ कि इस मामले में स्टेट टू स्टेट बात की जाए जाएगी और उसके बाद हुस बासं को कैंसींडर किया जाएगा ।.

चौधरी गंशा राम : अभी बताया गया है कि हरियाणा की बसो 'की सर्विस सब से अच्छी है लेकिन हाउस मेंबैठे हुए सारे

सदस्य जानते है कि जब बस किसी जगह से चलती है तो उसकी सफाई भी हम लोगों को अपने कपड़ो से करनी पड़ती है । क्या पार्लियामैटरी सचिव महोदय बताने की कृपा करेंने कि सफाई के लिए क्या अलग से कोर्ट कर्मचारीय खं हुए है?

श्री जगन नाथ : सफाई के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं और समय समय पर इस चीज के इंस्पैक्शन हे रहते है । जब 'पिछले दिनो मैं मैंम्बर साहब के साथ गोहाना गया था, उस समय उन्होंने कोई ऐसी बात नही बताई थी ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या पार्लियामैंटरी सचिव महोदय बताने. की कृपा करेमें कि रोहतक डिपो में 234 बसों में से कितनी अन–सर्विसेबल डिक्लेयर की गई है?

श्री जगन नाथ : इस साल यानी 1 97 7– 78 में 3 1 बसे कन्डेम की जानी थी । उनमें से 12 कन्डेम की जा चुकी हैं । 16 काम के लायक नही है और तीन बसें आन रूट है ।

श्री देवी दास : सोनीपत जो बसे जाती है वे काफी खराब होती है । क्या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी साहब बताने की छुपा करेंगे कि जो हरियाणा की बसे दूसरे सूबों में या दिल्ली जाती हैं या यों कहिए कि लम्बे रूट्स पर जाती हैं तो क्या वहां पर भी इसी किस्म की बसे होती हैं?

श्री जगन नाथ : जो लम्बे रूट्स हैं उन पर हम अच्छी और मजबूत बस भेजते है और छोटे रूटस पर कमजोर बसें लगाते हैं ।

Misuse of Funds in the Co-operative Societies in District Jind.

*237. Chaudhri Ram Kishan : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of cases of misuse of funds and embezzlement pending at present against various co-operative societies in District Jind togetherwith the names of villages where these societies exist ; and

(b) whether enquiries are being held in the cases referred to in part (a) above, if so, the time by which the said enquiries are likely to be completed ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए तथा बी) स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी जाती है ।

स्टेटमैंट

क्र. सं.	गांव का नाम	समिति का नाम	31—1—78 को दुरुपयोग/गबन की राशि	क्या मामला जांच अधीन है या नही

1	2	3	4	5
1	खडकम राम जी	खडकराम जी सी. ए एस. एस.	12,114.18	न्यायालय में
2	सिद्धवी खेडा	सिंध्दव खेड़ा सी. ए. एस. एस.	8,384.29	″
3	कमच खेड़ा	कमाच खेड़ा सी. ए. एस. एस.	9,811.26	″
4	किला जफरगढ	किला जफरगढ सी. ए. एस. एस.	11,260.80	″
5	गतौली	गतौली सी. एय एस. एस.	4,770.00	″
6	शामलौं कलां	शामलों सी. ए. एस. एस.	7,155.00	″
7	भरौखेडा	भरौखेडा सी. ए. एस. एस.	23,772.24	″

8	बाघडूकली	बाधडू कलां सी. ए . एस. एस.	30500.00	″
9	कालवां	कालवां सी. ए. एस. एस.	39,018.85	″
10	बाघडू खुर्द	बाघडू खुर्द सी. ए . एस. ए सः	2,585.38	″
11	भिडताना	भिडताना सी. ए. एस. एस.	8,2 50.00	″
12	होशियारपुरा	होशिया रपुरा सी. ए. एस. एस.	22000.00	″
13	खटकड	खटकड सी. ए. एस. एस.	1,016.00	″
14	खटकड	खटकड सी. ए. एस. एस.	15111.00	″
15	कालवां	कालवां सी. ए. एस. एस.	8,534.21	″

16	बडन पुर	बडन पुर सी. ए. एस. एस.	13,674.00	″
17	दुर्जन पुर	दुर्जन पुर सी. ए. एस. एस.	14,445.00	″
18	खेडी सफा	खेडी सफा सी. ए. एस. एस.	856.14	″
19	पदारथ बड़ा	पदारथ खेड़ा सी. ए. एस. एस.	6,690.05	″
20	दबलायन	दबलायन सी. ए. एस. एस.	3,203.40	″
21	दबलायन	दबलायन सी. ए. एस. एस.	436.00	″
22	दबलायन	दबलायन सी. ए. एस. एस.	1,574.00	″
23	पीपलथा	पी पलथा सी. ए.एस.एस.	1,928.00	″
24	कालवां	कालवां सी.ए. एस.एस.	17,858.63	″

25	कालवां	कालवां सी.ए. एस.एस.	15,767.29	″
26	खानपुर	खानपुर सी.ए. एस.एस. –	50,139.00	″
27	लीन	लीन सी.ए.एस. एस.	4,500.81	″
28	उझाना	उझाना हरिजन सीएएस. एस.	7,860.29	″
29	कुराड	कुराड सी.ए. एस.एस.	3,048.65	″
30	कैलरम	कैलरम सी.ए. एस.एस.	3561.00	″
31	नगूरा	नगूरा सी.ए. एस.एस.	22,488.00	″
32	बढ़ाना	बढ़ाना सी. ए. एस.एस.	24,981.00	″
33	मौहम्मद खेडा	मौहमद खेड़ा सी.ए.एस.एस.	13,466.00	″

34	रिटौली	रिटौली सी.ए. एस.एस.	66,234.56	"
35	सूरबूरा	सूरबूरा सी.ए. एस.एस.	29,036.10	"
36	नरवाणा	नवरवाणा सहकारी विपणन समिति लि0	3,445.00	"
37	नरवाणा	नवरवाणा सहकारी विपणन समिति लि0	2,785.00	"
38	नरवाणा	नवरवाणा सहकारी विपणन समिति लि0	5,000.00	"
39	नरवाणा	नवरवाणा सहकारी विपणन समिति लि0	4,451.85	"

40	खाण्डा	खाण्डा दुग्ध वितरण	4,281.00	"
41	सिडवी खेड़ा	सिद्धवी खेड़ा दुग्ध वितरण	2,635.00	"
42	भम्भेवा राजू मांखू,	भम्भेवा राजू मांखू दुग्धवितरण	927.00	"
43	भम्भेवा राजू मांखू,	भम्भेवा राजू मांखू दुग्धवितरण	8,400.00	"
44	खेडी सफा	खेडी सफादुग्ध वितरण	3,281.00	"
45	निडानी	निडानीदुग्ध वितरण	8568. 00	"
46	खरक रामजी	खरक रामजीदग्ध वितरण	400. 00	"
47	बेड़ी सफा	खेडी सफा दुग्ध वितरण	14,296.00	"

48	मखण्ड	मखण्ड सी.ए. एस.एस.	6823.43	पुलिस में
49	बड़ौदा	बड़ौदा सी.ए. एस.एस.	900.00	″
50	उझाना	उझाना हरिजन सी.ए. एसएस.	12,652.00	″
51	नरवाणा	नरवाणा जनता सी.ए. एसएस.	19,617. 92	″
52	रोड	रोढ सी.ए.एस. एस.	22,100.28	″
53	बांगडा	बांगदा सी.ए. एस.एस.	150.00	″
54	जुलाना	जुलाना सहकारी विपणन समिति	4,787.15	″
55	जीन्द	जीन्द केन्द्रीय सह. उपभोक्ता भंडार	77,417.07	″
56	बरसाना	बरसाना सी.ए.	11,040.17	″

		एस.एस.		
57	जीन्द	जीन्द प्राथमिक सहः उपभोक्ता भंडार	5,801.98	"
58	खुरडा	खुरडा सी.ए. एस.एस.	775.00	"
59	सूरेवाला	सूरेवाला सी.ए. एस.एस.	7,120. 65	"
60	जाजनवाला	जाजनवाला सी. ए.एस.एस	3796.00	"
61	सुदकन कला	सुदकत कली सी.ए.एस.एस.	3,786.00	"
62	ढाबी टेक सिंह	ढाबी टेक सिंह सीएएस. एन.	815.00	"
63	ढाबी टेक सिंह	ढाबी टेक सिंह सीएएस. एन.	6,001.84	"
64	डबलायन	डबलायन सी.ए. एस.एस.	1857.00	"

65	बलर खा	बेलर–था सी. ए..एस.एस	8899.25	"
66	फूलियां कलां	फिलक कलां सीएएस–एसे.	38280.42	"
67	धरौदी	धरौदी सी.ए. एस.एस.	2,471.00	"
68	कालवा	कालवा सी.ए. एस.एस.	4,077.71	"
69	लदाना	लदाना सी.ए. एस.एस.	700.00	"
70	होशियार पुरा	होशियार पुरा सीएएस. एस.	24295.00	"
71	शिला खेडी	शिला खेडी सी.ए.एस.एस.	200.00	"
72	कानी खेडी	काना खेडी दुग्ध वितरण	872.17	"
73	हथवाला	हथवाला दुग्ध वितरण	4,417.00	"

74	निडानी	निडानी दुग्ध वितरण	3,258. 00	"
75	पडाना	पडाना दुग्ध वितरण	1122. 00	"
76	अरडाना	अरडाना सी.ए. एस.एस.	30,926. 57	जांच और सालसी कार्यवाह पूर्ण हो मई है । एवार्ड क दिया गया है ।
77	शिला बेड़ी	शिला खेडी सी .ए.एस.एस.	39,881.22	"
78	रोझला	रोझला स.ए. एस.एस.	47,635.63	"
79	लोवा	लोक सी एएस. एस.	17268.58	"
80	उचाना कलां	उचाना कलां सी. ए.एस.एस.	23808.84	"
81	दनौदा कलां	दनौदा कलासी एएस. एस	11503.33	जांच और सालसी कार्यवाह पूर्ण हो गई है । एवार्ड क दिया गया है ।
82	डूमर खां	डूमर खां सी.ए.	19,350.85	"

		एस.एस.		
83	कलावान	कलावान सह दुग्ध समिति	14500.00	″
84	मरदाना	अरदाना जीन्द सह. प्राथमिक भूमि विकास बैक	34,675.00	″
85	काकड़ौद	नरवाना सह. भूमि विकास बैक	18,636.00	″
86	नरवाना	नैशनल सह. श्रम तथा निर्माण समिति लि. ढानी	19045.40	मामला 2 8–2–78 तक समाप्त हो जाएगा ।
87	सफीदों	जब भारत ब्रिक किलन सह. औद्योगिक समिति लि. सफीदों	27,180.00	मामला 28–2–78 तक समाप्त हो जाएगा ।

88	लाजवाना कला	लाजवाना कलां बिक किलन सह. औद्योगिक समिति लि.	21,735. 00	″
89	नरवाना	नरवाना ब्रिक कलन सह. औद्येगिक समिति लि.	6,800.00	″
90	नरवाना	नरवाना सह. विपणन समिति	11,784.40	उप सचिव सहकारिता के पास अपील ।
91	नरवाना	नरवाना सह. विपणन समिति	11,422.50	″
92	राजोद	राजोद हरियाणा सी. ए–एस.एस.	11,649.24	पुलिस जांच के अनुसार लगभग 3 मास में तथ्य सिद्ध होगे ।
93	विधाना	विधाना सी.ए. एस.एस.	8,078.00	″
94	उझाना	उझाना सी.ए. एस.एस.	1,184.00	मामले की जांच में एक मास लग जाएगा क्योंकि दोषी ने मान लिया है कि

				उसने राशि जमा करा दी
95	छात्तर	छात्तर सी.ए. एस.एख.	10308.53	विशेष आडिट के बाद यह मामला 2 मास में पुलिस को भेज दिया जाएगा ।
96	बरक भरा	उचाना सह. विपणन समिति ।	4,9764.48	अपील सह. रजिस्ट्रार के पास 2 मास में निपटा दी जाएगी ।
97	भैरो खेड़ा	जीन्द सह. विपणन समिति	6,314.27	″
98	शाहपुर	शाहपर सी.ए. एस.एस.	12,715.97	31—3—78 तक निपटा दिय जाएगा ।
99	दोरड	दोरड सी.ए. एस.एस.	3,268.70	मामला निपटा दिया है ।
100	लदाना	लदाना सी.ए. एस.एम.	1,240.00	जांच और सालसी कार्यवाह पूर्ण हो गई है, एवार्ड दे दिया गया है ।
101	जीन्द	जीन्द सह. विपणन समिति	2,516.85	″
102	जीन्द	जीन्द सह.	5,454.31	″

		विपणन समिति		
103	बडीदं	बडीद सी.ए. एस.एस.	1,459.98	″
104	उचाना	उचाना सह. विपणन समिति–	5628.30	″
105	लदाना	लदाना सी एएस.एस	450.00	जांच और सालसी कार्यवाहीपूर्ण हो गई हैं एवार्ड दे दिया गया है ।
106	लदाना	लदाना सी एएस.एस	750.00	″
107	जीन्द	जीन्द केन्द्रीय सह. उपभोक्ता भंडार	28695.12	जांच 2 मास 'में पूरी हो जाएगी ।
108	वराह कलां	बराह कलां सी. ए.एस.एस.	300.00	″
109	वराह कलां	बराह कलां सी. ए.एस.एस.	837.68	″
110	सिंधवी	सिंधवी खेड़ा	100.00	″

	खेड़ा	सी.ए.एस.एस.		
111	सिंधवी खेड़ा	सिंधवी खेड़ा सी.ए.एस.एस.	1478.25	″
112	सिंधवी खेड़ा	सिंधवी खेड़ा सी.ए.एस.एस.	280.00	″
113	सिंधवी खेड़ा	सिंधवी खेड़ा सी.ए.एस.एस.	495.00	″
114	लदान	लदाना सी.ए. एस.एस.	1018.55	″
115	लदान	लदाना सी.ए. एस.एस.	1050.00	″
116	रामपुरा	रामपुरा सी.ए. एस.एस.	600.00	″
117	पाजू कलां	पालू कलां सीएएस–एस.	2,535.92	″
118	वांगडा	दड़ाना सी.सी. एस.एस.	375.00	″
119	बडनपुर	बडनपुर सी.सी.	730.00	″

		एस.एस.		
120	सदकनखुरद	सदकनखुरद सीसी–एसएस.	4,054.50	″
121	कालवान	कालबान सी. सी.एस.एस.	3,000.00	मामला एक मास में निपट दिया जाएगा ।
122	जीन्द	जीन्द विपणन सहः समिति	1780.54	″
123	जीन्द	जीन्द विपणन सहः समिति	6,248.95	जांच 2 मास में पूर्ण कर दी जाएगी ।
124	निमना बाद	निमना बाद सीसीएस. एस.	1,000.00	″
125	पाजू कलां	पाजू कलां सी. सी.एस.एस.	2352.12	″
126	हाट	हाट सी.सी.एस. एस.	538. 00	″
127	सूंदरपुरा	सुंदरपुर सी.सी. एस.एस	6,362. 00	″
128	हरनामपुरा	हरनामपुरा	3,439.00	″

		सीसीएस. एस.		
129	जुलाना शाखा	जीन्द केन्द्रीय सहकारी बैक लि	3,690.00	″
130	सच्चा खेड़ा	सच्चा खेड़ा सी.ए.एस.एस.	2435. 00	″
131	हबतपुर	हबतपुर सी.ए. एस.एस.	1,137.00	″
132	रिटौली	रिटौली सी.सी. एस.एस.	1,111.00	″
133	राम राय	राम राय सी. सी.एस.एस.	5,121.00	सहाः रजिस्ट्रार के पास अपीलें ।
134	राम राय	राम राय सी. सी.एस.एस.	2,578.90	″
135	कैलरम	कैलरम सी.सी. एस.एस.	4,702.00	जांच 2 मास में पूर्ण कर ली जाएगी ।
136	आलनजोगी खेड़ा	आलनजोगी खेड़ा सी.ए. एस.ए स.	400. 00	″

137	अलीपुरा	अलीपुरा सी.य. एस.एस.	4,450.20	मामला सालस के पास है और एक मास में निपटा दिया जाएगा ।
138	न्यूतलाडा खेडी	न्यूतलाडा लेड़ी सी.ए. एसएस.	8000.00	उप–सचिव सहकारिता के पास अपील अधीन ।
139	सिंधाना	सिंधाना सी.सी. एस.एस.	25,355.80	जांच 2 मास में पूर्ण कर ली जाएगी ।
140	कुराड़ा	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	8,828. 23	″
141	चुसाला	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	6,018.17	″
142	उझान	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	3,581.15	″
143	खरडबाल	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	4,074.55	″
144	डाबी टेक सिंह	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	1,673.70	″
145	धमतान	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	6, 454.38	″

146	कैलरम	डी. डब्लयु. एस. जीन्द	9,627.31	"
147	दुरजनपुर	उचाना सहः विपणन समिति	1,224.72	"
148	खटकड	उचाना सहः विपणन समिति	1,328. 90	"
149	बडनपुर	उचाना सहः विपणन समिति	537. 45	"
150	सूरबूरा	उचाना सहः विपणन समिति	3,613.74	"
151	जाजनवाला	उचाना सहः विपणन समिति	9, 494. 70	"
152	जाजनवाला	उचाना सहः विपणन समिति	2,059. 20	"
153	सिंधवाल	डी डब्ल्यु. एस. जीन्द	4,989.79	सालस नियुक्त कर दिया ह । जांच 2 मास में पूर्ण ह जाएगी ।
154	वेंलर खां	डी डब्ल्यु. एस. जीन्द	417.60	"

155	धीरोडी	डी डब्ल्यु. एस. जीन्द	3,562.79	″
156	दनोदा कलां	डी डब्ल्यु. एस. जीन्द	219.05	″
157	गुरसर	डी डब्ल्यु. एस. जीन्द	1841.96	″
158	चूशाला	नरवाना सहकारी विपणन समिति	2,128.00	जांच 2 मास में पूर्ण कर दी जाएगी? ।
159	संजूमा	नरवाना सहकारी विपणन समिति	4,46 8.00	″
160	कुरड	नरवाना सहकारी विपणन समिति	5,530.00	″
161	पदारथ खेड़ा	नरवाना सहकारी विपणन समिति	14,548.05	″
162	उझाना	नरवाना	7,270.00	″

		सहकारी विपणन समिति		
163	धरौडौदी	नरवाना सहकारी विपणन समिति	9,200.00	”
164	सिंधवाल	नरवाना सहकारी विपणन समिति	4,009.00	”
165	कलौदा कलां	नरवाना सहकारी विपणन समिति	8,912.00	”
166	लौषा	नरवाना सहकारी विपणन समिति	14,428.40	”
167	सदकैन कलां	नरवाना सहकारी विपणन समिति	7,450.00	”
168	बालू	नरवाना सहकारी	917.00	”

		विपणन समिति		
169	बडस्पीकरी	नरवाना सहकारी विपणन समिति	474.00	″
170	शीमला	नरवाना सहकारी विपणन समिति	10,045.85	″
171	अमरगढ	नरवाना सहकारी विपणन समिति	3201.09	″
172	दनौदा कलां	नरवाना सहकारी विपणन समिति	2,000.00	″
173	मालवी	मालूवी सी.ए. एस.एस.	1595.00	″
174	राजू माखू बम्बेवा	राजूमाखू बम्बेवा दुग्ध वितरण	1200.00	″
175	उगालना	उगालन दुग्ध	1,650.00	″

		वितरण		
176	शामंत्री–खुर्द	शामंत्री खुर्द दुग्ध वितरण	661.00	″
177	मोरखी	मोरखी दूग्ध वितरण	2,133.00	जांच एक मास में पूर्ण करदी जाएगी ।
178	भागखेडा	भागखेडा दुग्ध वितरण	3207.00	″
179	ढाकल	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	709.15	जांच और सालसी कार्यवाह पूर्ण हो गई है । एवार्ड क दिया गया है ।
180	पदारथ खोड	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	13906.1 9	जांच एक मास में पूर्ण क दी जाएगी ।
181	कालवांन	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	12,1 22.46	″
182	बडता	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	14,317.94	″
183	बिठोमडा.	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	376.83	जांच पूर्ण कर दी गई है एवार्ड दे दिया गया है ।

184	जीन्द	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	8,903.21	परिसमापक को जांच एक मास में पूरी करने को कह है ।
185	जीन्द	डीडब्ल्यू एस. जीन्द	2,000.00	″
186	जुलाना	जुलाना सह. विपणन समिति	11,040.24	जांच 2 मास में पूर्ण कर दी जाएगी ।
187	जीन्द	जीन्द सह. विपणन समिति	2,973.81	″
188	जीन्द	जीन्द सह. विपणन समिति	12,897.34	″
189	पिंडारा	जीन्द सह. विपणन समिति	3,497.62	सहा. रजिस्ट्रार के पास अपील एक मास में निपट दी जाएगी ।
190	शामसो कलां	जीन्द सह. विपणन समिति	3,956.64	जांच पूर्ण कर दी है । एवार्ड दे दिया गया है ।
191	खडकरामजी	सफीदों सह. विपणन समिति	580.50	″
192	सफीदों	सफीदों सह.	845.65	″

		विपणन समिति		
193	बुढा खेड़ा	सफीदों सह. विपणन समिति	3866.58	″
194	रोझाला	सफीदों सह. विपणन समिति	5,271.30	″
195	पिलू खेड़ा	सफीदों सह. विपणन समिति	410.15	″
196	होशियारपुरा	सफीदों सह. विपणन समिति	1227.53	सालस नियुक्त कर दिया ह। जांच 2 मास में पूर्ण क दी जाएगी ।
197	शिला खेडी	सफीदों सह. विपणन समिति	5,551.48	जांच पूर्ण कर दी है । एवार्ड दे दिया है
198	मल्लड	मल्लड खी.ए. एस.एस.	260.00	सालस नियुक्त कर दिया ह। जांच 2 मास में पूर्ण क दी जाएगी ।
199	मल्लड	मल्लड खी.ए. एस.एस.	400.00	″
200	मल्लड	मल्लड खी.ए. एस.एस.	662.80	″

201	मल्लड	मल्लड खी.ए. एस.एस.	2634.23	"
202	कवेरक्षा	कवेरक्षा सी.ए. एस.एस.	4,224. 34	"
203	देहडी	वेहड़ी सी.ए. एस.एस.	200.00	"
204	चूड़पूर	चूडपुर सीएएस–एस.	1250.00	"
205	जुलानी	जुलानी सी.ए. एस.एस	350.00	"
206	कालका	कालका सी.ए. एस.एस.	10716.25	जांच चूर्ण कर दीं है । एवार्ड दे दिया है ।
207	भैरोखेडा	भैरोखेडा सी.ए. एस.एस.	2,606. 00	"
208	भैरोखेडा	भैरोखेडा सी.ए. एस.एस.	2,860.00	"
209	भैरोखेडा	भैरोखेडा सी.ए. एस.एस.	2586.00	"

210	भैरोखेडा	भैरोखेडा सी.ए. एस.एस.	1750.00	″
211	बुटा खेड़ा लाठर	बुढा खेडी लाठर सी.ए. एसएस.	3000.00	″
212	दोहाना खेड़ा	उचाना सह0 विपणन समिति	8,577.64	″
213	भखंणड	उचाना सह0 विपणन समिति	5, 645.15	″
214	भैरोखेडा	भैरोखेडा सी.ए. एस.एस.	1,000.00	″
215	बीबीपुर	बीबीपुर सी.सी. एस.एस.	900.00	″
216	डूमर खा कला	नरवाना सहः विपणन समिति	10575.05	″
217	झील	नरवाना सहः विपणन समिति	87.60	″
218	हरीगड	हाट सी.सी.एस. एस.	1720.30	″

219	कडूखाना	कडखाना सी. सी.एस.एस.	900. 00	"
220	हाट	हाट एसी.एस.	6,360.00	जांच पूर्ण कर दी है ।
221	उचाना खुर्द	उचाना खुर्द सीसीएस. एस	3,009.50	जांच पूर्ण कर दी है । एवार्ड दे दिया है ।
222	उचाना खुर्द	उचाना खुर्द सीसीएस. एस	3,024. 50.	जांच 2 मास में पूर्ण कर दी जाएगी ।
	कुल जोड़		1760,174.96	

चौधरी शेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कोआप्रेटिव सोसायटीज में जो सब से ज्यादा एम्बैजलमैट होता है यह कहीं सरकारी कर्मचारियों' की वजह से तो नहीं होता?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जैसे ही किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है । ऐसी बात कहना कि इस डिपार्टमैंट में सब से ज्यादा एम्बैजलमैंट होता है यह बात बिल्कुल निराधार है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : अभी बताया गया है कि जिस अफसर के खिलाफ ' शिकायत आती है उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है । क्या मंडी महोदय बताने की. कृपा करेंगे कि

कितने सरकारी कर्म चारियों के खिलाफ शिकायत आई और कितनों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जितने अफसरों के विरुद्ध शिकायत आई उनके खिलाफ ऐ क्शन लिया जा रहा है ।

मास्टर शिव प्रसादः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने कोआप्रेटिव सोसायटियों से गल्त तरीके से रुपया लिया उनमें से कितनों के खिलाफ केस चल रहे हैं और क्या किसी को सजा हुई है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : सजा भी काफी को हुई है और काफी के खिलाफ केस भी चल रहे हैं ।

मास्टर शिव प्रसादः क्या मंत्री महोदय स्पैशली किसी केस का नाम बताने की कृपा करेंगे जिसमें सजा हुई हो?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, हिसार किले का तो मैं बता सकता हूं लेकिन इस समय अम्बाला जिले का कोई केस मुझे याद नहीं है ।

श्री हीरा नंद आर्य : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि कोआपेटिव सोसायटियों में एम्बैजलमैंट न हो इसके लिए सरकार कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : . इस चीज के लिए एक कमेटी बनाई. जा रही और है इसके चैयरमैन श्री रामधन शर्मा हैं, जो

एम. एल.सी. भी रहे हैं । चौधरी शमशेर सिंह, राव दलीप सिंह उसके मैम्बर हैं । बहुत जल्दी एक या दो दिन में ही नोटिफिकेशन होने वाला है ।

श्रीमती शान्ति देवी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह कमेटी कब तक अपना कार्य करना शुरु कर देगी?

श्री बीरेन्द्र सिंहः बहूत जल्दी ही नोटिफिकेशन होने वाला है । दो–चार दिन थे नोटिफिकेशन हो जाएगा । चीफ मिनिस्टर साहब से ऐप्रूयल मिल चूकी है । ज्यों ही नोऐंटिफिकेशन हो जाएगा, कमेटी काम करना शुरू कर देगी ।

श्री गया राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि सोसायटीज के कितने केसिज कोर्ट में हैं, कितने पुलिस ने है और डिपार्टमेंट मे कितने हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : जींद की बाबत पूछ रहे है या सारे हरियाणा की बाबत पूछ रहे हैं । जींद के न्यायालय मैं 2 हैं, पुलिस में 4 हैं और विभाग में 90 है ।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, मै कहना चाहता हूं कि इस महकमे मे बहुत ही गन्द है । यह महकमा हर गांव में खुला हुआ है । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि थाना छप्पर में कोआप्रेटिव सोसायटियों के कितनी रयान के केस दर्ज हैं और वे लोग कब तक पकड़े जाएगे?

(कोई उत्तर नही दिया गया)

श्री मांगे राम गुप्ता : क्या मन्त्री महोदय बता ने की कृ पा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जींद मे साम्बलोकलां के मिनि बैक के मैनेजर के खिलाफ जुलाई, 1 977 में एम्बैजलमैट का तक केस रजिस्टर हुआ था उसका क्या हुआ?

श्री वीरेन्द्र सिंह : अलग से नोटिस दीजिए बता दिया जाएगा ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : मै मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि अम्बाला से हम सभी के सभी 9 एम.एल.एज. ने, सरकार को जो कोआप्रेटिव सोसायटीज में दो करोड़ के गबन के बारे लिख कर दिया है, सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस की इंकवारी के लिये आर्डर किये जा चुके है।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मिनिस्टर साहब फरमाएंगे कि एम्बैजलमैट के जितने केसिज पकड़े जाते हैं उन्के हैंडल करने के लिये सरकार के पा स के ई प्रोसीक्यूटिंग एजेसी है जोकि इन सोसायटीज का चौक करे अगर है तो कहां तक वह कामयाब रही हें?

श्री वीरेन्द्र सिंह : फिलहाल नही है ।

चौधरी खुरशीद अहमद : क्या मिनिस्टर साहब यह समझते हैं कि यह जो कोआप्रेटिव सोसायटीज को चौक करने के लिये अलग प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी स्थापति करने की तजवीज है, ठीक रहेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसको कंसिडर किया जाएगा ।

चौधरी संत कंवर : हरियाणा में जो तमाम कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं, उनमें बहुत सी ऐसी सोसायटीज हैं जोकि बोगस हैं और गल्त तरीके से उन में से पैसा निकलवाया गया है, क्या सरकार इन सब को चौक करने का विचार रखती है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इस सारे काम को चौक करने के लिये हमने एक कमेटी बनाई है ताकि इन सारी बुराइयों को द्र किया जा सके । कमेटी जो रिर्पोट देगी, सरकार उस पर एक्शन लेगी । इस कमेटी के मेम्बर साहेबान श्री शमशेर सिंह, राव दलीप सिंह तथा श्री रामधन होंगे । इसकी एप्रूवल सी एम. साहब से मिल चुकी है और दों–चार दिन में शीघ्र ही इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी –अभी मन्त्री महोदय ने फरमाया कि मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से नाम बता सकता हूं तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में कितनी ऐसी सोसायटीज हए जिन्होंने गबन कर रखा है और

कितने ऐसे लोग हैं, जिनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया या लिया जा रहा हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैंने यह कहा था कि एक आध नाम बता सकता हूं और वह भी सेम्पल के तौर पर और जिसको कि सजा हो गई है ।

Schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High

***283. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise total number of Schools upgraded from Primary to Middle and Middle to High School during the period of five years from 1st April, 1972 to 31st March, 1977 ; and

(b) the constituency-wise number of Schools which are likely to be upgraded in the current financial year alongwith the details thereof (Primary to Middle and Middle to High Schools), separately ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह :) :

(क) सूची 1, तथा 2 सदन की मेज पर रखी जाती है ।

(ख) प्रश्न विचाराधीन है ।

सूची–1

अप्रैल, 1972 से मार्च, 1977 तक जिन प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक किया गया था की सूची ।

	जिला का नाम	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
1	अम्बाला	–	–	1	–	1
2	कुरुक्षेत्र	–	–	–	–	–
3	करनाल	–	–	–	–	–
4	रोहतक	–	–	1	1	1
5	जीन्द	–	–	–	1	
6	सोनीपत	–	–	–	–	–
7	हिसार	–	–	–	–	–
8	सिरसा	–	–	–	–	–
9	गुडगांवा	–	–	–	–	–
10	महेन्द्रगढ़	–	–	–	–	1
11	भिवानी	–	–	–	–	–
	जोड़ :			3	2	3

सूची–2

अप्रैल, 1972 से मार्च, 1977 तक जिन माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया था की सूची ।

	जिला का नाम	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76	1976–77
1	अम्बाला	–	–	–	–	–
2	कुरुक्षेत्र	–	–	–	1	–
3	करनाल	–	–	–	–	–
4	रोहतक	–	–	2	2	2
5	जीन्द	–	–	–	–	–
6	सोनीपत	–	–	–	1	2
7	हिसार	–	–	–	–	–
8	सिरसा	–	–	–	–	–
9	गुडगांवा	–	–	–	–	1
10	महेन्द्रगढ़	–	–	–	–	1
11	भिवानी	–	–	–	–	–
	जोड़ :			3	4	6

चौधरी शिव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की ओर से जो उत्तर पटल पर रखा गया है, उस में पिछले पांच सालों में जो स्कूल प्रइमरी से मिडल तक अप–ग्रेड किये गये हैं, वे हैं केवल 8 और इन में से करनाल में एक भी स्कूल अप–ग्रेड रही किया गया है । दूसरे जो स्कूल मिडल से हाई किये गये है, वे है कुल 13 और दुर्भाग्यवश इन में से भी कोई ऐसा स्कूल नही है जो करनाल से सम्बन्धित हो । क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि करनाल में एक भी स्कूल अप–ग्रेड न करने के क्या कारण हैं?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, 1972 से 1977 तक जो भी स्कूल अप–ग्रेड किये गये थे, वह पिछली सरकार ने ही अपनी सूझ–बूझ से किये हैं । करनाल में कोई भी स्कूल अप–ग्रेड नहीं किया गया, इस वक्त इस बारे में कुछ नही बताया जा सकता ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार जो कर गई, सो कर गई, क्या आइन्दा के लिये अपनी जनता सरकार हर कांस्टीचुएन्सीवाईज बराबर स्कूल अप–ग्रेड करने का विचार रखती है?

कर्नल राय राम सिंह : इस बारे में तो मैं पिछले सवाल मे ही सब कुछ अर्ज कर चुका हूं । फिर भी मैं मैंम्बर साहेबान की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि अपग्रेडेशन के वक्त

व्योगराफीकल एरिया के लिहाज से कोशिश की जाएगी कि हरेक कांस्टीचुएन्सी में कम से कम एक स्कूल अप–ग्रेड किया जाएगा । एक स्कूल का मतलब है कि 90 स्कूल अप–ग्रेड किये जाएंगे जबकि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों के अन्दर केवल 21 स्कूल ही अप–ग्रेड किये थे ।

श्री मूल चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब के पार्ट 'बी' में यह कहा है कि विचाराधीन है । यह करैन्ट फायनेनशियल ईयर 31 मार्च, को खत्म हो जाएगा । क्या वे इस बारे में बताएंगे कि इस फायनेनशियल ईयर के बारे में कब तक विचार करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मामला अभी फाईनल स्टेज पर है और मुझे उमीद है कि इस फाइनेनशियल ईयर में बजट का कुछ हिस्सा हम साईस इक्विपमैट और फर्नीचर खरीदने पर इस्तेमाल करेंगे ।

श्री कन्हैया लाल पोसवाल : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो जिले पढ़ाई के लिहाज से बैकवर्ड हैं, उनके लिये कोई खास प्रेफरेन्स देने का सरकार का कोई विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : यह फैसला किया गया था कि हरेक कांस्टीच्यूऐसी वाईज एक–एक स्कूल अप–ग्रेड किया जाएगा । इसलिये पैसे का ध्यान रखते हुए यह कोशिश की जाएगी कि जो एरियाज एजुकेशनल शिक्षा के लिहाज से बैकवर्ड होंगे. उनको

सब से पहले अप–ग्रेड करने में तरजीह देने की कोशिश की जाएगी ।

श्री हीरा नन्द आर्य : अभी मन्त्री महोदय ने फरमाया कि हरेक कांस्टीचुऐंसी वाईज स्कूल अप–ग्रेड किये जाएंगे और जो बैकवर्ड एरियाज होंगे उनको तरजीह पहले दी जाएगी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि भिवानी और नारनौल में ऐसी कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है?

कर्नल राव राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब तो पहले दिया जा चुका है कि जो इलाके एजुकेशनल प्वांयट से बैकवर्ड होंगे, वहां के स्कूलों को अप–ग्रेड करने में सब से पहले तरजीह दी जाएगी । जैसे कि हमारी जनता सरकार और हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय लड़कियों के स्कूलों को अप–ग्रेड करने के ज्यादा इच्छुक हैं और वे चाहते हैं कि इस काम को पहले तरजीह दी जाए ।

चौधरी हरी चन्द हूडा : स्पीकर साहब, मेरा एक सूझाव है कि हरेक गांव में जितने भी लडकियों के प्राईमरी स्कूलज हैं उनको मिडल और मिडल स्कूलों को जल्दी से जल्दी हाई कर दिया जाए, बाकी कालेज और स्कूलों को तब तक न छेडा जाए ।

सरदार लछमन सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि स्कूलज अप– ग्रेडेशन के मामले में सब–मा0ंटेनियस एरियाज का भी ख्याल रखा जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : हरेक एरिया मेंजो बैकवर्ड करार दिया जा चुका है, डिस्ट्रिक्टवाईज हम लिस्ट बनाकर जहां जहां स्कूलों की अप ग्रेडेशन की आवक्यकता होगी उनको इक्युलाइज करने की कोशिश करेंगे ।

मास्टर शिव प्रसाद : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेगे कि 1977–78 में डिस्ट्रिक्ट–वाईज कितने स्कूलों को अप–ग्रेड किया गया है?

कर्नल राव राम सिंह : जब से जनता सरकार बनी है, 5 स्कूलों को अप–ग्रेड किया गया है । रोहतक में एक और हिसार में चार ।

श्री कन्हैया लाल पोसवालः क्या मन्त्री महोदय बतानेका कष्ट करेंगे कि क्या सरकार ने यह सारा सर्वे करवा लिया है कि एजुकेशन के लिहाज से कौन–कौन सा एरिया बैकवर्ड है?

कर्नल राव राम सिंह : जो स्कूल प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई करने हैं, इस बारे मे हमने सारा सर्वे करवा लिया है और दूसरा जो सुझाव आनरेबल मेम्बर साहेबान ने दिया है, उसको मैंने नोट कर लिया है, बहुत अच्छा सुझाव है, यह इन्फर्मेशन जल्दी से जल्दी इकट्ठी करवा ली जाए गी ।

चौधरी संत कंवर : अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि 90 स्कूल अप–ग्रेड करने है पर जो 5 स्कूल नये अप–ग्रेड किये हैं, वे कौन–कौन से हैं, और कौन कौन से हल्के में है?

कर्नल राव राम सिंह : इसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है । अगर किसी को भी तरजीह दी गई है तो वह गर्ल्ज मिडल को गर्ल्ज हाई स्कूल बनाने मे ही दी गई है क्योंकि लड़कियां मिडल तक ही लड़कों के साथ को–ऐजुकेशन दे रह सकती हैं ।

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Separation of Account from Audit

***298. Shri Devender Sharma : Will** the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the Government has implemented the scheme of separation of accounts from Audit in the State ;

(b) the total expenditure incurred by State Government for setting up Directorate of Accounts in the State upto 31-12-77 togetherwith the time required to set up the said Directorate ; and

(c) whther there is any proposal under consideration of the Government to introduce Internal Audit in all the Departments of the State ; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) :

(क) जी नही ।

(ख) 31– 12– 77 तक 3, 9 7, 530. 70 रुपये का व्यय किया गया है । लेखा निदेशालय बनाने सम्बन्धी मामला भारत सरकार के पास लम्बित है । इस को जल्दी से जल्दी स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) जी हां । इस प्रस्ताव का निरीक्षण किया जा रहा है । परन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि इस स्कीम को लागू करने में कितना समय लगेगा?

Lining of Sunder Branch

***321. Shri Tek Ram :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any complaint has been received by the Government that while lining the Sunder Branch the lesser ratio of cement and bricks of inferior quality are being used and some of the officers are earning money in league with the contractors ; If so, the steps being taken by the Government to conduct any enquiry in this connection ?

सिचाई तथा विजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

घटिया प्रकार की ईंटों (टाईलज) के प्रयोग की दो शिकायतें थीं परन्तु कम सीमेंट लगाने की कोई शिकायत नहीं थी इन शिकायतों की जांच की गई थी । टाईलज तकरीबन सपैसीफिकेशन के अनुसार पाई गई थी ।

Quota of Stainless Steel, Wax, Brass and Aluminium

***325. Rao Dalip Singh :** Will the Minister of Industries be pleased to State—

(a) the method by which the quota of stainless steel, wax, brass, aluminium are given for licences issued ; and

(b) the names and address of the persons and firms who have been issued quota as referred to in part (a) above during the years 1976-77 and 1977-78 ?

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सेन) :

(क) स्टेनलैस स्टील, मोम, पीतल व एल्यूमिनियन का कोटा देने के लिये लाईसैस देने की आवशयकता नही । अतः लाईसैस के अनुसार कोटा देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नही उठता ।

Enquiries against Municipal Committees

***327. Lala Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether any enquiry is being conducted against the Municipal Committees of Karnal and Panipat togetherwith the time by which these are likely to be completed ?

Interim Reply

मंगल सैन मन्त्री गृह तथा उद्योग विभाग,

हरियाणा, चण्डीगढ ।

दिनांक फरवरी, 1978

विषय – श्री बलवन्त राय तायल, एम 0 एल 0 ए 0 द्वारा नगरपालिका करनाल तथा पानीपत के विरुद्ध चल रही जांच बारे पूछा गया प्रश्न क्रमांक 327

प्रिय श्री रण सिंह जी

मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 327 नगरपालिका करनाल तथा पानीपत के विरुद्ध चल रही जांचों बारे, जो श्री बलवन्त राय तायल, एम0 एल 0 ए 0 द्वारा पूछा गया है, का उत्तर विधान सभा में दिनांक 2– 3– 78 को दिया जाना है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह लिखना अनुचित नही होगा कि वह प्रश्न इतना विस्तृत तथा अस्पष्ट है कि इसका स्पष्ट रुप से उत्तर दिया जाना न केवल असम्भव है बल्कि भरसक प्रयत्न करने पर भी इस प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर देने के लिए विस्तृत सूचना उपलब्ध करना कठिन है । मैं आशा करता हू कि आप इस बात से सहमत होंगे कि एक अस्पष्ट प्रश्न का सरकार द्वारा अस्पसट उत्तर दिया जाना भी उचित नहीं होगा । समस्त स्थिति पर विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपसे अनुरोध करुं कि आप इस प्रश्न को उत्तर के लिए स्वीकार करने

के मामले पर पुनरू विचार करके इससे उपास्त करने का कष्ट करें । मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि तब तक इस प्रश्न के सम्बन्ध में आप द्वारा विचार करके इसे उपास्त करने का निर्णय नही लिया जाता उस समय तक इस प्रश्न का उत्तर देने केलिए 31—3—1978 तक समय बडाने का कष्ट कर ।

सादर,

आपका

श्री रण सिंह हस्ताक्षर

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा । (मंगल सैन)

Sarpanches and Panches Suspended

***334. Shri Des Raj :** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the district-wise and block-wise total number of Sarpanches and Panches suspended during emergency together-with the number out of them re-instated so far ?

Slnterim Reply

Tara Singh, D.O.No. LA2-78/9630

Development Minister, HaryanaDated Chandigarh,

the 28th Feb., 1978.

Subject :—Starred Assemby Question No. 334. My dear,

The Starred Assembly Question No. 334, asked by Shri Des Raj, M.L.A. has been fixed for answer on 2nd March, 1978. Notice for this was received on 20th Feb., 1978. The reply to the Assembly Question is not ready as the required information is awaited from the Deputy Commissioners.

I shall be grateful, if you kindly extend the time for answering the question under proviso (2) of Rule 41 (11) of the Rules of procedure and conduct of business in the Punjab Legislature Assembly, 1950. This question may be included in the list of questions for any date after one month.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/—

(Tara Singh)

Brig. Ran Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.

Endst. No. LA 2 (DPH)-78/9631 dated 28-2-78.

A copy is forwarded to the P.S./C.M. for the information of Chief Minister, Haryana.

Sd/—

Development Minister,

A.C.Rs of Medical Officers

***355. Dr. Brij Mohan Gupta :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the A.C. Rs of Medical Officers are being countersigned by the Deputy Commissioner or S.D.O. (Civil) ; and

(b) if so, whether the Government intends to change the procedure so as to get them countersigned by the officer of their own department ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) :

(क) चिकित्सा अधिकारियों की रिपोर्ट लिखने तथा उन पर प्रतिहस्ताक्षर करने की कार्यवाही उनके विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा ही की जाती है । तथापि उपायुक्त तथा उप–मण्डल अधिकारी (सिविल) चिकित्सा अधिकारियों के बारे मेंकुछ सीमित पहलुओं परही अपनी टिप्पणी देते हैं, जैसा कि ईमानदारी के बारे प्रतिष्ठा, जनता से व्यवहार तथा विकास योजनाओं और सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने में योगदान ।

(ख) वर्तमान कार्यप्रणाली को बदलने का कोई विचार नही है ।

Scale of the Assistants working in the Secretariat

***376. Shri Ran Singh Maan :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the pay scales of the Assistants working in the Secretariat and other 'A' Class Offices have been identical for the last 30 years ;

(b) whether it is also a fact that the Government has recently sanctioned selection grade for the Assistants working in the Secretariat ;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above are in the affirmative, the reasons for the discrimination ; and

(d) whether the Government has received representations from Assistants working in other 'A' Class Offices for the provision of Selection grade on the pattern of the Secretariate ; if so, action taken thereon ?

वित्त मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) :

(ए) जी हां ।

(बी) जी हां ।

(सी) सचिवालय (वित्तायुक्त कार्यालय 'सहित) के सहायकों के लिए अन्य 'ए' श्रेणी के कार्यालयों के सहायकों की अपेक्षा उपाधीक्षकों (अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के अवसर

बहुत कम है, जबकि अन्य 'ए' श्रेणी कार्यालयों के सहायकों के लिए पदोन्नति के बहुत अवसर उपलब्ध हैं ।

(डी) हरियाणा शिक्षा निदेशालयमें कार्य कर रहे सहायकों तथा स्टाफ एसोसिएशन शिक्षा निदेशालय, हरियाणा तथा हरियाणा सिंचाई कलेरिकल संघ की ओर से इन कार्यालयों के सहायकोंको 2 0प्रतिशत स्थाई पदों पर प्रवरण वेतनमान देने बारे प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । तदानुसार राज्य के समस्त 'ए' श्रेणी कार्यालयों के सहायको को 20 प्रतिशत पदों के लिए 300– 2 5–600 रुपये का प्रवरण वेतनमान दिये जाने का मामला इस विभाग के विचाराधीन है ।

Drain No. P

***360. Kanwar Ram Pal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is proposed to construct Drain No. P in Karnal District starting from village Jhiwaheri to village Phurlak via villages Upli and Hasanpur ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Drain is likely to be completed ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) करनाल जिला में ड्रेन नम्बर (पी) पहले ही बनी हुई है । इसकी अनुरक्षण और बहाली का काम दिनांक 3 0– 6– 78 तक पूरा हो जायेगा ।

Hired jeeps or other vehicles for recovery of loans

***364. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state whether the Co-operative Department has been taking the Jeeps or other vehicles on hire for making recovery of loans, if so, the annual amount spent thereon during the last three years togetherwith the amount of loans recovered annually by using the above said vehicles ?

सिंचाई एवं बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): नहीं ।

Rent for School Buildings

***378. Shri Kanwal Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total amount being spent per month as rent for buildings, taken on rent for schools, in urban areas in the State ; and

(b) whether the same facility of taking buildings on rent for schools, is likely to be extended to rural areas and if not, the reasons therefor ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह :) :

(क) रुपये 10,154. 97 पैसे प्रति मास ।

(ख) इस समय यही सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है । फिर भी, सरकार भविष्य में स्कूल भवन किराये पर

लेने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है और यह आकस्मिकता केवल विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगी ।

Haryana High School 'Sonepat

***379. Shrimati Shanti Devi :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Haryana High School, Sonepat, has deposited the amount, equal to the six month's salary of the staff in the name of D.E.O., Sonepat vide standing orders and instructions of the Education 'Department ;

(b) if not, what action is being taken in the matter ;

(c) whether it is a fact that said school is collecting unauthorised funds through enhancement of fee, paid classes, paper fund etc.

(d) whether it is a fact that on the complaints made by some of the guardians the enquiry was held last year by the departmental officials and auditors and lakhs of rupees were found to be collected through unauthorised funds by this institution ; and

(e) if so, the action taken by the Government ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिह) :

(ए) जी नही ।

(बी) जांचों के दौरान स्कूल अधिकारी अध्यापकों के 6 मास के वेतन के बराबर राशि का रिजर्व फण्ड जमा कराए जाने हेतु रिकार्ड उपलब्ध नही कर सके ।

उनका कहना था कि पूर्व प्रबन्धकों ने पुराना रिकार्ड उनको नही दिया । इस सम्बन्ध में रिकार्ड न प्रस्तुत किये जाने के कारण तथा स्कूल द्वारा की गई अन्य अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए स्कूल की ग्रान्ट रोक ली गई है ।

(सी) मामले में की गई जांचों के दौरान अनाधिकृत फण्डज जैसा कि पेपर फण्ड, पूअर फण्ड, हवन फण्ड तथा टीचर्ज फण्ड, इकट्ठा किया जाना जाहिर हुआ । अधिक दरों पर फीस लिये जाने हेतु पुष्टि नहीं हो सकी ।

(डी) विभागीय अधिकारियों ने गत वर्ष जांचे कीं । अनाधिकृत फण्डज लिये जाने हेतु स्थिति विभागीय जांचों केदौरान नोटिस में आई । लेखा परीक्षकों ने अभी अनाधिकृत फण्डज की राशि का अनुमान लगाना है ।

(इ) अन्तिम जांच के निर्णय तक स्कूल की ग्रांट रोक ली गई है ।

अताराकित प्रश्न एवं उत्तर

Unemployed Educated Persons in the State

45. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for

Finance be pleased to state—

(a) the number of unemployed educated persons in Haryana as on 31-12-1977 who are Middle, High, Higher Secondary, Graduates and Post-Graduates togetherwith the number of unemployed Technical Graduates and Post-Graduates and the number of unemployed Doctors and trained I.T.I. registered with Employment Exchanges in the State ;

(b) the number of unemployed B.As, M.As, J.B.Ts, P.T.Is, D.P.Is, Shashtri's and O.Ts registered in the Employment Exchanges in the State as on 31-12-1977 ; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to give unemployment allowance to the aforesaid unemployed until and unless they get employment ?

वित्त मन्त्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : (ए)

क्र. सं.	शिक्षा स्तर	रोजगार कार्यालयों में प्रतीक्षा कर रहे शिक्षित बेरोजगार प्रार्थियों की संख्या
1	मिडल	32842
1	हाई	56856
2	हायर सैकेण्डरी	7572
3	ग्रेजुएट आर्टस, साइंस तथा	15304

	कोमर्स)	
4	पोस्ट–ग्रेजुएटस (आर्टस, साइंस तथ कोमर्स)	2541
5	टै क्नीकल ग्रेजुऐटस (इंजीनियरज)	357
6	टैक्नीकल पोस्ट ग्रेजुएटस (इन्जीनियरज)	12
7	डाक्टर	431
8	ट्रेण्ड आई. टी. आई.	8899
	(बी)	
1	बी.ए.	12306
2	एम. ए.	1922
3	जे. बी. टी.	6799
4	पी. टी. आई.	1339
5	डी. पी. ई.	382
6	शास्त्री	यह सूचना पृथक रूप से एकत्रित नही की जाती ।

(सी) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Construction of Bridge Between-Burji No 53 and-54

46. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to construct a bridge between Burji No. 53 and 54 over the Utawar Minor ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री(श्री वीरेन्द्रसिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Gounchi Drain

47. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) whether any land was acquired by the Haryana Government from the farmers for digging the Gounchi Drain and its other link drains in Palwal and Nuh tehsils of district Gurgaon ;

(b) if so, the number of persons to whom compensation has not been paid as yet ; and

(c) the time by which compensation will be paid to all such persons

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) 265 व्यक्ति ।

(ग) अगले छः मास में ।

Saving Mewat Area from the Dora Station of Floods

48. Swami Aditya Vesh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to save the Mewat Area from the destruction of floods permanently ; if so, the details thereof toeetherwith the time by which it is likely to be implemented ; and

(b) whether the Government has any short term scheme to save the residents of Mewat Area from waterlogging who have been uprooted by floods and waterlogging.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(क) हां जी, मेवात क्षेत्र का बाढ़ से स्थाई बचाव करने के लिए निम्न कार्य चलाने प्रस्तावित है –

(1) रबी की फसल को समय पर बीजने के लिए काफी माता में बाढ़ के पानी के. निकास हेतू उजीना डाईवर्सन ड्रैन का बनाना ।

(2) कोटला झील के किनारों को पर उठा कर बाढ़ के पानी को एकत करके सिंचाई के काम में लाना ।

(3) जिन गांवों की आबादी के बाढ़ सें घिरने की सम्भावना है, के चारों और रिंग वर्ष बनाना ।

(4) बनी हुई ड्रैनों का सुधार ।

यह आशा की जाती है कि ये कार्य 30–6–81 तक पूरे कर दिये जायेंगे ।

(ख) जी हां, इस दिशा में निम्नलिखित कार्य शुरु किये जा चुके हैं ।

(1) उजीना डाईवर्सन ड्रैन का पाईलट सैक्शन 500 क्यूसिक की माला का बनाना ।

(2) गांवों की आबादी के चारों ओर रिंग बांध बनाना ।

(3) बनी हुई ड्रैनों में सुधार ।

Transfer of Fazilka Abohar Areas

69. **Shri Surrender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the steps taken by the Haryana Government to get implemented the decision of the Central

Government for transfer of Fazilka Abohar areas to Haryana ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल) : केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार, जो उनकी प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 29 जनवरी, 1970 में लिखा है, सम्बन्धि त राज्यों की सीमाओं में फेर–बदल करने के लिये एक आयोग भी स्थापित किया जाना था । इस निर्णय के अनुसार इस आयोग की सिफारिशों पर आधारित अन्य क्षेत्रों तथा फाजिल्का व अबोहर के क्षेत्रों का लेना–देना एक साथ ही होना है । केन्द्रीय सरकार ने अभी तक यह आयोग नियुक्त नही किया और न ही केन्द्रीय सरकार का निर्णय कायीन्वित हुआ है ।

Stadium at Bhiwani

70. **Shri Surrender Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state whether a stadium was sanctioned for Bhiwani ; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह :) : हां । स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है । किन्तु इसके पूर्ण होने की निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती । परन्तु इसकी निकट भविष्य में पूर्ण होने की आशा है ।

Possession of Head Works

91. Shri Surrender Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the three head works

namely Ropar, Harika and Ferozepur are in exclusive possession of Punjab Government ; and

(b) if so, the steps taken by the State Government to get the relevant provision of the Punjab Re-organisation Act implemented and put the above said three head works under the control of the B.M.B. ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) हां

(बी) हरियाणा और राजस्थान द्वारा पंजाब पुनार्गठन एक्ट, 1986 के अन्तर्गत लिखे पलों पर भारत सरकार ने हाल ही में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के अन्तर्गत रोपड़ू, हरिके तथा फिरोजपुर, इन तीनों हैड वर्कस को भाखडा व्यास प्रबन्धक बोर्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में देने सम्बन्धी धारा को लागू करने के लिए निर्णय लिया है ।

Persons Registered in Employment Exchanges

60. Chaudhri Surrender Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of persons registered in Employment Exchanges upto 15th June, 1970 in the State ;

(b) the total number of persons out of those referred to in part (a) above have been provided employment according to the declared policy of the Government ; and

(c) whether the persons absorbed in employment

are equal to the proportionate ratio achieved in the State within 10 years ?

वित्त मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) :

(ए) राज्य के रोजगार कार्यालयों में 1—11—1906 से 30—6—1970 तक की अवधि के दौरान 4, 87, 789 प्रार्थियों ने अपना नाम रोजगार सहायता के लिये दर्ज करवाया ।

(बी) रोजगार कार्यालयो के माध्यम से जितने प्रार्थियों को 1— 11—88 से 3 1— 1 2— 77 तक की अवधि के दौरान रोजगार मिला, उनकी संख्या छा 1 8, 746 है ।

रोजगार कार्यालयों में प्रार्थियों का पंजीकरण तथा उनकी व्यवसायों में नियुक्ति एक लगातार प्रक्रिया है यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त अवधि में जिन आवेदकों को रोजगार मिला उनके नाम रोजगार कार्यालयों में 3 0—6— 70 से पूर्व ही दर्ज हुए हों क्योंकि इनमें ऐसे प्रार्थी भी है जिनका नाम जुलाई., 1970 से दिसम्बर, 1977 तक रोजगार कार्यालयों में दर्ज किया गया ।

(सी) नियुक्तियों का पंजीकरण पर औसत प्रतिशतता अनुपातिक अनुपात नवम्बर, 1966 से जून, 1970 तक तथा पूर्व के 10 वर्ष अर्थात् 1968 से 1 977 तक की अवधि के दौरान क्रमश. 18. 9 व 16. 3 रहा ।

Ad-hoc and Stipendiary Teachers

122. Chaudhri Har Swaroop Bura : Will the

Minister for Education to be pleased to state—

(a) the total number of Ad-hoc and stipendiary teachers category-wise i.e. trained and graduates/JiBiTs/ Shashtris/Hindi teachers etc ; and

(b) the step taken or proposed to be taken by the Government to regularise their services and the time by which they will be regularised ?

Interim Reply

''विषय :— एड—हाक स्टाईपैन्डरी अध्यापक । अतारांकित विधान सभा प्रश्न क्रमांक— 122

अतारांकित विधान सभा प्रश्नों की 2—3— 1978 की सूचि में श्री हर स्वरुप बूरा, विधान सभा सदस्य के नाम दर्ज विधान समा अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ । ज्यों ही सम्बन्धित सूचना इकट्ठी हो जाएगी अपेक्षित उत्तर भेज दिया जाएगा ।

हस्ता—

शिक्षा मन्त्री, हरियाणा ।

सेवा में

सचिव,

हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ ।

अशा 0 पल संख्या 11/14/78–शि–।।।(।)दिनांक 28 फरवरी 1978 **गैर–सरकारी संकल्प**

(1) राज्य में एच 0 सी 0 एस 0 कार्यपालिका तथा एच 0 सी 0 एस 0 न्यायपालिका सेवाओं के सदस्यों के वेतमानों में विभेद को तत्काल दूर करने सम्बन्धी

Shri Baldev Tayal (Hansi) : Sir, I beg to move—

This House recommends to the State Government that the discrimination between the Pay scales of the members of H.C.S. Executive and H.C.S. Judicial services in the State be removed forthwith.

स्पीकर साहब, आज मैं न्याय पालिका केलिये न्याय मांगने केलिये आपके सामने उपस्थित हुआ हूं । आपको तथा अन्य सब को विदित है कि परतन्त्र भारत के अन्दर न्यायपालिका नाम की कोई वस्तु नहीं थी । वही अफसर जोकि एग्जैक्टिव में होते थे वही न्याय को निर्धारित करते थे यानी उन्ही में सेकुछ अफसर सिलैक्ट करके न्यायपालिका में भेज दिये जाते थे और सरकार का न्यायपालिका पर पूर्ण रूपेण कन्ट्रोल था । इस कारण जनता को न तो न्याय की आशा रहती थी और नही पूर्ण रुप से न्याय मिलता था (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।) सन 1947 तक यही हिसाब किताब चलता रहा । 1947 में भारत आजाद हुआ और आजाद होने के बाद संविधान बना जिसके अन्दर स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या की गई और हुतने अर्से के बाद स्वतंत्र

न्यायपालिका हमारे सम्मुख आई । न्यायपालिका तभी अपना काम स्वतंत्र रूप में कर सकती है जब न्यायपालिका को आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो । एमरजैसी के दौरान आपको पता है कि सबोरडिनेट जुडीशियरी जोकि सैशन जज के लेवल तक की होती हैएक ऐसी सर्विसिज थीं या ऐसा न्याय पालिका का हिस्सा था जिसने न्याय का झंडा बुलन्द रखा । इस हाउस के सभी आदरणीय सदस्यों को विदित है कि पिछली सरकार ने एमरजैसी केदौरान अनगिनत झूठे,बे–बुनियाद डी 0 आई 0 आर 0 और 107 तथा 151 के केसिज बनाए । अगर इन दोनों का मुकाबिला किया जाए तो 107 और 151 के केसिज जो हैं, यह एग्जैक्टिव मैजिस्टेरट के पास जाते थे और डी0 आई 0 आर 0 के केसिज जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाते थे । अगर इतिहास उठा कर देखा जाए तो 107 और 151 में जिस आदमी का चालान होता है उसको कानून से यह अधिकार प्राप्त है कि जिस समय वह मैजिस्ट्रेट के सामने पेश हो तो मैजिस्ट्रेट उसकी जमानत अपने आप स्वीकार करता है और उसको आज्ञा देता है कि इनकी जमानत दाखिल करोगे तो आप पुलिस से मुक्त हो सकते हो और दूसरा डी 0 आई 0 आर0 का बड़ा सख्त कानून था जितने सरकार ने आने फायदे के लिये दुनिया भर की रिस्ट्रकशज दुनिया भर की रुकावटें न्यायपालिका पर लगा रखी थीं । इतिहास यह बताता है कि जहां जमानत का अधिकार पूर्ण रूप से था वहां पर तो लोगों से दो–दो लाख की जमानत मांगी गई जिसकी वजह से लोगोंको इन्कार करना पड़ा और जेलों में सडना पड़ा लेकिन जब डी0 आई

0 आर 0 के केसिज आए तो मुझे यह कहते हुए बडीं खुशी होती है कि न्यायपालिका ने भारत की जनता को इन्साफ दिया और अधिकतम केसिज एक्विटल में खत्म हुए । कुछ केसिज में तो यहां तक हुआ कि स्ट्रिक्चर भी पास किये गये । यह न्यायपालिका का इतिहास है । मैं सबको शामिल तो नहीं करूंगा लेकिन एच 0 सी 0 एस0 एग्जैक्टिव में कुछ अंग अवश्य ऐसा था जिसने आगे बढ कर एमरजेंसी में भाग लिया और उसे पिछली गुप्ता मिनिस्टरी ने 1– 1– 1977 से जाते वक्त ईनाम के रुप में उनके ग्रेड रिवाइज किये और एच0 सी0 एस0 जुडिशियरी जिसने ईमानदारी से काम किया उसको सजा के तौर पर वहीं रखा गया । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज इस सदन से न्यायपालिका के लिये न्याय की मांग करता हूं । मैं उम्मीद करता हूं कि मदन स्टेट गवर्नमैंट को रिकमैड करेगा कि एच0 सी 0 एस0 एग्जैक्टिव और एच0 सी 0 एम0 जुडिशियल के ग्रेड में कोई फर्क नही होना चाहिये क्योंकि इससे ंउक तो जुडिशियल साइड में हीनता की भावना पैदा होती है और वह सदा अपने आपको एग्जैक्टिव साइड से हीन समझने लग जाते है । दूसरी बात यह है कि एच 0 सी 0 एस 0 जुडीशियल के पास अधिक काम है, अधिक अख्तियार हैं । उनका काम तो अधिक जिम्मेदारी का हो और तन्खाह कम हो यह कहा का न्याय है? इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि सरकार दोनों के ग्रेडों को बराबर करने के लिये कदम उठाए । मैं एक बात की तरफ सदन का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि एग्जैक्टिव वालों को सुविधाएं भी ज्यादा हैं जैसे सरकारी

मकानोंकी, गाड़ियोंकी तथा अन्य सुविधाएं जोकि जुडिशियल साइड को नही मिलती हैं । इनको एक दायरे में ही सीमित रहना पड्हा है, अपने आप में बन्द रहना पड़ता है । इन सब बातों को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि इस सदन को यह रिकमैंडेशन करने में कोई एतराज नही होगा कि दोनों साइडों के ग्रेड बराबर होने चाहियें । धन्यवाद ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

This House recommend s to the State Government that the discrimination between the Pay scales of the members of H.C.S. Executive and H.C.S. Judicial services in the State be removed forthwith.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई). डिप्टी स्पीकर साहब, श्री बलदेव तायल ने जो रैजोल्यूशन सदन में पेश किया है, मैं इसकी ताईद करता हूं क्योंकि एच0सी0एस 0 जुडीशियरी और एच 0 सी 0 एस 0 एग्जैक्टिव दोनों बराबर होनी चाहिए । एग्जैक्टिव पब्लिक की बडी सेवा करती है लेकिन जुडिशियरी इससे भी ज्यादा करती है । एस0 डी 0 एम0 बाहर जाते है, जनता से मिलते रहते हैं लेकिन जुडिशियरी वाले स्टेट के बाहर नही जा सकते इसलिए उनको सरकार की तरफ से मकान की, कार की और दूसरी बातों की फैसिलिटी एग्जैक्टिव से ज्यादा होनी चाहिए ताकि वे ईमानदारी से जनता को अच्छा इन्साफ दे सकें । अगर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को तन्खाहें कम हों, उनको फैसिलिटीज कम हों तो वे दूसरी तरफ चले जाते है, कई प्रकार की शिकायतें

मिलती हैं । जो सैशन जब साहेबान है, उन को हर तरह की एमेनिटी, हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिएं ताकि वे ज्यादा ईमानदारी से काम कर सकें । भाई साहब ने जो रैजोल्यूशन पेश किया है, मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इसको यूनानिमसली पास किया जाए । इस मेंदो राय नही और हर आदमी समझता है कि जब तक जुडीशियरी को इडिपैडेंस नहीं होगी, पूरी सहूलियत नही होंगी, ईमानदारी से काम नहीं चल सकता. और न ही वे ईमानदारी से काम कर सकते हैए । जब जुडीशियरी की डिक्टेटरशिप हिन्दुस्तान में लागू करदी गई थी उस वक्त मैजिस्ट्रेट साहेबान ने बड़ी दलेरी से जमानतें ले ली और काफी हद तक लोगों को इन्साफ दिया । हाई कोर्ट ने भी दिलेरी दिखा दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दलेरी पर डिक्टेटरशिप की मोहर लगा दी थी और यहां तक कह दिया था कि रीजन्ज बताने की जरूरत नहीं है । डिप्टी कमिश्नर जो जिले का मालिक है, उसने तो जिले में जुल्म किया लेकिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट के जजिज ने जनता को इन्साफ दिया । बार–बार इंदिरा गांधी ने मीसा को लागू किया और रूस से सलाह लेकर एक साल के लिए एक्सटैड कर दिया और अकेला सुप्रीम कोर्ट को मालिक बना दिया और कह दिया कि सुप्रीमकोर्ट आखिरी मोहर होगी । मीसा के अन्दर जो तकलीफ सही, उसको ब्यान नहीं किया जा सकता लेकिन एच 0 सी 0 एस 0 मैजिस्ट्रेट साहेबान ने हमारी मदद की है और हम उनके शुक्रगुजार हैं । उन्होंने दुनियांकी बडी सेवा की है और करते हैं इसलिये उनको ज्यादा तन्खाह दी जाए ।

इसके इलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मेरे भाई श्री गंगा राम ने, मिनी जनता पार्टी जो बनी है, उसमें मेरे से पूछे बगैर मेरा नाम दे दिया है । डैमोक्रेसी में अपोजीशन जरूरी है । सारी पार्टियां इसमें इकट्ठी हो जाएं और मजबूत अपोजीशन बने और हमारी जनता सरकार इसकी स्पोर्ट करे और लीडर बनाएं । लीडर तो कोई भी बन सकता है, मैं इस बात को वैलकम करता हूं । (व्यवधान) मैं अपने भाई से कहना चाहता हूं, अखबार वाले भी सुन लें, जो खबर वे अखबार में छापें, उसको पहले कन्फर्म कर लिया करें । मैं विशाल हरियाणा पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, राव साहब के साथ हू और वे हाउस में मेरे लीडर है ।

चौधरी खुरशीद अहमद (ताउडू) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे साथी श्री बलदेव तायल ने जो रैजोल्यूशन सदन में पेश किया है, मैं इसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसमें बेसिक बात यह है कि जमहूरियत में जुडिशियरी थोड़ी बहुत कमजोर रही है । इस कमजोरी की वजह से जुडिशियरी का सर्विसिज पर या दूसरी चीजों पर क्या हशर होगा, यह अलग बात है लेकिन यह जरूर है कि जुडिशियरी की कमजोरी की वजह से खुद डैमोक्रेसी खतरे में पड़ जाती है । इसलिए यह जरूरी है कि जमूहरियत निजाम के अन्दर जो भी अदालत की कार्यवाई करने वाले आफिसर है, उनको एग्जैक्टिव–विंग के बराबर ही नहीं बल्कि उन से ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएं । यह जमहूरियत के लिए अच्छा है । मैं इस बात को समझता हूं कि जुडिशियरी के साथ

जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रटिमैंट होता रहा है या इस वक्त है, उसको फौरी तौर पर जितनी जल्दी हो सके, दूर किया जाएगा और यह मुल्क के मुफाद के लिए ठीक होगा । अगर डिस्क्रिमिनेशन जारी रहा तो जमहूरियत के अन्दर जुडिशियरी में फस्टेशन आ जाएगी । अगर हकूमत की तरफ से जनता के साथ ज्यादती हो तो सिटीजन के पास कोई रास्ता नहीं रहता, वह कहां जा सकता है । जब एक आदमी जुडिशियरी में इन्साफ लेने के लिए पहुंचता है जुडिशियरी दूसरे विंग से दबने लगे तो इंडिविजुअल की लिबार्टी खतरे में पड़ जाती है । जुडिशियल अफसरों में जब फरस्ट्रेशन हो जाए तो वह सही इन्साफ लोगोंको नहीं दे सकते । मेरे दोस्त पोहलू साहब ने ठीक ही कहा है कि यह फरडेशन उनको गलत रास्ते पर डालती है और अलग–थलग से ब्रांच बनी रहती है । वे किसी के साथ मिक्स– अप नहीं कर सकते । किसी से अगर बात कहते हैंतो कहा जाता है कि शायद इन. लोगों में कोई कमी है और तरह तरह के चार्जिज उनके खिलाफ लग जाते हैं । जब उनको एक गलास–हाउस में रखा जाए तो उन्हें फैसिलिटीज ज्यादा देनी चाहिए ताकि वे कुदरती तौर पर किसी टैम्पटेशन में न पड़ जाएं, कोई गलत हरकत न कर जाएं । यह बात बिल्कुल बेजा है, दुरुस्त है । जो रैजोल्युशन हाउस के सामने आया है, यह बिल्कुल सही है और इनकी तमाम फैसिलिटीज को एट पार किया जाए ।

चौधरी शेर सिंह (मुलाना–अनु सूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब, श्री बलदेव तायल ने जो रेजोल्यूशन हाउस के

सामने रखा है, मैं इसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हू । दरअसल कुछ लोगों को बिना पाप किए सजा मिल जाती है (व्यवधान) मैं भारत के संविधान के बारे में डायरैक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट्स पालिसी पर कहूंगा । पहले प्रथा यह थी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार एक ही आदमी के पास हुआ करते थे । इसके बाद जुडिशियरी को अलग कर दिया गया । हरियाणा में तरीका यह है कि एच0 सी0एस0 एग्जैक्टिव में कोई भी आदमी थर्ड डिवीजन बी0ए0 पास अपीयर हो सकता है और एच0 सी0एस0 एग्जैक्टिव बन सकता है, लेकिन जहां तक जुडिशियरी का ताल्लुक है, एच 0सी0एस0 जुडिशियरी ने अपीयर होने के लिए कम से कम ला–ग्रेजुएट होना चाहिए और ला में भी सैकंड क्लास वाले होते है, थर्ड क्लास वाले नहीं होते । इसके अलावा ऐसे भी आदमी अपीयर होते हैं जिन्होंने एल0एल0बी0 पास करने के बाद छ–छ. साल प्रैक्टिस की हुई होती है और जुडिशियरी के लिए आते हैं । जहां तक पेका सम्बन्ध है, आई 0 ए0एस0 और आई0 पी0एस0 की पे 700 रुपये से शुरू होती है और दोनों की बराबर है । स्टेट में एग्जैक्टिव का सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सैक्रेटरी है और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है । चीफ जस्टिस को 4500 रुपये मिलते हैं और आई 0ए0एस0 का हाईएस्ट स्केल 3500 पर खत्म होता है । इसलिए यह कोई वजह नहीं है कि जुडिशियल सर्विसिज के स्केल ठीक न हों । बैक में एक अकांउटैन्ट को ज्यादा तनख्वाह दी जाती है और इसका कारण बताया जाता है कि वह स्पैशलाइज्ड है । अगर यही बात है

तो जुडिशियरी के जो लोग हैं वे अपनी लाईन में स्पैशलाइज्ड हैं । एच0सी0एस0 ऐग्जैक्टिव के लिए यी जरूरी नही कि कोई विशेष पेपर ही लिए जाएं । व्यक्ति चाहे संस्कृत का पेपर ले ले, चाहे भूगोल का ले ले, चाहे इतिहास का ले ले या किसी और भाषा का ले ले लेकिन एच0सी0एस0 जुडिशियल के लिए उसे ला के पेपर ही लेने पड़ेंगे । इस दृष्टि से तो ये उनसे भी ज्यादा स्पैशलाइज्ड कैटेगरी है । डाक्टर्ज और इंजीनियर्ज को भी 400 रुपये का स्टार्ट मिलता है । पिछले दिनों कालेज टीचर्ज को सात सौ रुपये के लगभग स्टार्ट दिया गया था और उसमें दलील यह दी गई थी कि उम्मीद की जाती है कि वे बच्चों को ज्यादा ध्यान से पढाएंगे और इधर–उधर ट्यूशन के लिए नहीं जाएंगे । दूसरी तरफ जुडीशियल सर्विसिज को स्केल तो देते है साढ़े तीन सौ रुपये का और उम्मीद करते हैं कि वे इन्साफ करें । जो लोग एचमी 0एस0 में जाते हैं वं न सिर्फ बी0ए0 पास बनते हैं बल्कि अगर मैं गलत न हूं तो हर साल कुछ आदमी एच0आई0 एस0 में नामिनेट भी किये जाते हैं । होता यह है कि स्टेट सैक्रेट्रैरियेट में जो अस्सिटैट्स वगैरा होते हैं वे भी एच0 सी0एस0 में आ जाते हूं । इसके अलावा आप देखें कि एस0डी0ओ 0 के पास अपनी कार होती है, बी0डी0ओ 0 के पास भी जीप होती है मगर बेचारे जूडीशियल मैजिस्ट्रेट को साईकिल भी उपलब्ध नहीं होती । मैंने तो देखा है कि जगाधरी में एक मैजिस्ट्रैट मकान की तलाश में ही लगा रहता है । उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात मानेंगे कि जिस आदमी को साढ़े तीन सौ रुपया मिलता है वह जब मकान लेने जाएगा तो

जरूर सोचेगा कि उसे दस बीस रुपये सस्ता मकान मिले । हो सकता हे कि उसकी वजह से किसी बात के लिए किसी की लिहाज भी हो । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहुंगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेटस की तनख्वाह ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटस के बराबर नहीं बल्कि अधिक होनी चाहिए ।

राव राम नारायण (साल्हाबास) : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी जुडिशियरी की इंडिपैन्डैन्स की कहानियां ब्रिटिश डेज से ही मशहूर हैं । ब्रिटिश डेज में जब कांग्रेस ऐजिटेशन हुआ करती थी तब भी कई जुडीशियल आफिसर्ज बड़ी इंडिपैन्डेन्स दिखाते रहे और पिछले दिनों भी जब काले दिन आए तो आपको याद होगा कि हमारे हाई कोर्ट्स ने काफी जगह अच्छे वर्डिक्ट दिए लेकिन मामला डूबा तो जाकर सुप्रीम कोर्ट में । अब जनता पार्टी का राज है और जनता पार्टी तथा इसकी गवर्नमैंट वचनबद्ध है कि पिछली गवर्नमैंट की ताना– शाही के वक्त में जो विक्टेमाइजेशन हुआ था उस विक्टेमाइजेशन को वकेट किया जाएगा । यह भी इसी किस्म का एक मामला है । इसकी बैकग्राउन्ड यह है कि कई जुडीशियल आफिर्ज इंडिपैन्डैन्ट होते थे जो इंडिपैन्डैन्ट फैसला दे देते थे । उनको विक्टेमाइज करने के लिए बंसीलाल तानाशाह ने बहुत कुछ जुल्म करना चाहा जिसमें (एन0एस0राव का केस बड़ा मशहूर है । उस केस को लड़ने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े और लगभग 50 हजार रुपये हमारे खर्च हुए । उस केस के अन्दर गवर्नमैंट को जो डिफीट हुई थी वैसी किसी केस

में नहीं हुई होगी । उस केस के अन्दर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट का यह रूलिंग हुआ था कि जुडीशियल आफिसर्ज की अप्वांयटमैंट और कन्फर्मेशन हाई कोर्ट के हाथों में होगी वरना पहले ऐग्जैक्टिव वाले जुडीशियल आफिसर्ज के पर काबू रखते थे और उनकी इंडिपैन्डैन्स कायम नही रहने देते थे । इससे गुस्सा खा कर बंसी लाल ने ऐसे डिसक्रिमिनेटरी ढंग से पे स्केल को रिवाइज किया कि जुडीशियल आफिसर्ज को ऐग्जैक्टिव आफिसर्ज से इनफिरियर रखने की कोशिश की । इसलिए मैं पुरजोर सिफारिश करता? हूं और हाउस से प्रार्थना करता हूं कि यह डिसकिमिनेशन जितनी जल्दी दूर की जाए उतनी ही बात बेहतर होनी । इसके साथ ही मैं समझता हूं कि यह आउट आफ प्लेस नही होगा अगर मैं कहू कि ऐमरजैसी के दिनों में आई तानाशाह गवर्नमैंट ने बदले की भावना से जितने भी विक्टेमाइजेशज किए हैं वे सारे बकेट होने चाहिएं । अभी भी जो विक्टेमाइजेशन करने वाले आफिसरर्न थे, जो विक्टेमाइजेशन की नोटिंग करते थे, वे उसी जगह मौजूद हैं और जितने रिप्रैजैन्टेशज विक्टेमाइजेशन के – अगेन्सट किए गए हैं वे अभी भी पैंडिंग पड़े हैं और अल्मारियों में सड़ रहे हैं । लोग इधर– उधर चक्कर काटते फिरते रहते हैं यह जानने के लिए कि उनके रिप्रैजैन्टेशन का क्या हुआ । मैं तो यह सजैस्ट करूंगा कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एक दो एम 0एल 0ए 0 या नौन– आफिशियल्ज भी शामिल हो जो कंटिनुअसली बैठ कर ऐसे रिप्रैजैन्टेशज को निपटाने का काम करें ।

श्री शमशेर सिंह (नरवाना): उपाध्य महोदय, मैं श्री बलदेव तायल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस प्रस्ताव के बारे में कोई दो राय नहीं हैं । हाउस के किसी मैम्बर को भी इसमें एतराज नही है और उम्मीद है कि सरकार की भी राय, हाउस की राय जैसी होगी और वे इस मांग को स्वीकार करेंगे । लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में कुछ जरुरी बातें, मेरे ख्याल के मुताबिक, रह गई हैं । मैं इसके लिए रै गुलर अमैंडमैंट तो नहीं दे सका हूं लेकिन अब भी जिन्होंने यह प्रस्ताव मूव किया है वे अगर चाहे तो इनको ऐक्सैप्ट कर सकते हैं । एक बात तो यह है कि जो जुडीशियल सर्विसिज है इनकी प्र मोशन का कोटा पहले तीन चौथाई होता था लेकिन बाद में इसे रिड्यूस करके दो तिहाई कर दिया गया । इसके बारे में काफी हार्ट बर्निंग और रिजैन्टमैंट सर्विसिज में हैं । अगर इसे रैस्टोर कर दिया जाए तो यह बहुत अच्छी बात होगी । दूसरी बात यह है कि एग्जैक्टिव ब्रान्च का जब–पे स्केल रिवाइज किया गया तो उसका सिलैक्शन ग्रेड कोटा भी पन्द्रह परसैन्ट से बढ़ा कर बीस परसैन्ट कर दिया गया जबकि जुडीशियल सर्विसिज का सिलैक्शन ग्रेड कोटा अभी तक पन्द्रह परसैन्ट है । अगर इसको एट पार कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह भी उचित बात होगी । तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इनकी केडर स्ट्रैन्थ को भी रेज करके कम से कम 150 तक ले जाया जाए । आज कचहरियों में इतने ज्यादा मुकदमें पैंडिंग हैं कि चार–पांच साल से पहले किसी दीवानी मुकदमे का फैसला नही

होता और दो तीन साल तक फौजदारी मुकदमे के लिए लोगों को आना–जाना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, आपको जाति तौर पर, हाउस के बहुत से सदस्यों को और मंत्रीगणों को भी मालूम है कि इतनी ज्यादा पेशियां हुक–एक मुकदमें में लगती हैं कि इन्साफ नाम की कोई चीज लोगों को नही मिलती । इसका मुख्य कारण एक ही है । आपको मालूम है कि हाई कोर्ट रूल्ज एंड आर्डर्ज के मुताबिक एक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और सब–जज के पास लगभग चार सौ फाइलें होनी चाहिएं जबकि आज एक–एक मैजिस्ट्रैट के पास पन्द्रह–पन्द्रह सौ, दो–दो हजार और अढाई–अढाई हजार फाईलें फैसले के लिए पैन्डिग है । इतना ज्यादा ऐक्यूमुलेशन आफ वर्क जाए है, इसका इलाज यदि सरकार चाहती है, सरकार यदि यह चाहती है कि लोगों को जल्दी इन्साफ मिले, मुकदमों का निपटारा जल्दी हो, तो इसका तरीका यह है कि उनके पास फाइलों का नम्बर कम किया जाए । नौर्मली चार सौ, पांच सौ और छः सौ से ज्यादा केसिज एक कोर्ट में नहीं होने चाहिएं। इसका इलाज, जैसा मैंने पहले कहा यह है कि इनकी केडर स्ट्रैन्थ रेज करके कम से कम 1 50 कर दी जाए जो कि आज बहुत कम है । तो मैं मुख्य तौर पर यही बात कहने के लिए खड़ा हुआ था । हाउस का ज्यादा टाईम लेने से मेरा मतलब नही है लेकिन बैठने से पूर्व एक बात जरूर मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह सरकार जुडीशियरी की इंडिपैन्डैन्स और जुडीशियरी की हमदर्द होने के मगरमच्छ के आंसू बहाती है । (विघ्न)उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के पिछले सैशन में एक दर्जन से ज्यादा

सदस्यों ने इसी विषय के बारे में मांग की थी कि जुडिशियल सर्विसिज के ग्रेड रिवाइज किए जाएं, उनकी सर्विस कंडीशज ठीक की जाएं और मन्त्री महोदय ने जवाब देते हुए वायदा ' किया था कि इस पर विचार किया जाएगा लेकिन 8 महीने गुजरने के बाद भी सरकार ने अभी तक फैसला नही लिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात कह कर ही अपना स्थान ग्रहण करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इस रैजोल्यूशन को न सिर्फ हाउस अडौप्ट करेगा बल्कि सरकार भी इसको मंजूर करेगी ।

श्री मूल चन्द जैन (समालखा) : डिप्टी स्पीकर साहब, श्री बलदेव तायल जी ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है, मैं दिल से इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्री तायल को मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को ला कर न केवल उन्होंने जुडीशियल अफसरों के मन में जो तड़प थी, जो हीन भावना थी, उसको खत्म करने का प्रयत्न किया है बल्कि कांग्रेस सरकार के काले यग में जो चीज शरु की गई थी उसको भी समाप्त करने की बात की है । **चौधरी** शमशेर सिंह जी ने खड़े हो कर जुडीशियल अफसरों की बातें कीं लेकिन उन्हें अपने लीडर पर भी अफसोस होना चाहिए और उनको भी अफसोस जाहिर करना चाहिए था कि यह डिस्क्रीमेनेशन वाले नियम कांग्रेस सरकार के राज में लागू हुए । उनके।' यहां हाउस में कहना चाहिए था कि मैं इसके लिए शर्मिन्दा हूं । अगर वे इस बात को यहां हाउस में कहते तो उनको मैं हार्दिक तौर पर बधाई देता, और उनकी

तारीफ करता । मुझे विश्वास है कि यह हाउस इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करेगा । मैं **चौधरी** शमशेर सिंह जी की हस बात की ताईद करता हू कि हमारी सरकार ने इस पर अब तक क्यों नही अमल किया । यह एक ऐसी चीज थी जिसने जुडीशियल अफसरों के दिल में बहुत ही हीन भावना पैदा की थी । उनके दिल में बड़ी नाराजगी थी । डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में ऐसा इमतयाजी सलुक जुडीशियरी के साथ नहीं किया जैसा कि हरियाणा में कांग्रेसकी कालयुग की सरकार ने किया । यह पहले पुराना रिवाज था जब संसार में डैमोक्रेसी नही थी । उस युग में कहा जाता था किं बादशाह के हाथ में एग्जैक्टिव की पावर्ज थी, वह गलती नही करसकता लेकिन दुनियां के विचारकों ने, थिकरों ने यकेबाद दीगरे सोचना शुरू किया कि इस बात को किस तरह से कन्ट्रोल किया जाये? आखिर में गुणी लोग इस नतीजे पर पहुंचे. कि जो सत्ता है, प्रभुसत्ता है, सौवरेनटी है अगर वह एक आदमी के हाथ में रहेगी, तो चाहे वह राजा हो, चाहे डिक्टेटर हो, चाहे चुने हुए तरीके से प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे अमेरिका का प्रेजीडेन्ट हो, चाहे किसी भी प्रणाली का आदमी हो, वह न्याय नहीं कर सकेगा । इसलिए उन विचारकों ने, गुणी लोगों ने प्रभुसत्ता को तीन हिस्सों में बांटा है । एक एग्जैक्टिव है जैसे हरियाणा की वजारत है । दूसरी लैजिसलेचर है जैसे हम बैठे हैं । अगर वजारत कोई गलत काम करे, चीफ मिनिस्टर कोई गलत काम करे और हाउस उस काम को ठीक नहीं समझता है तो उसको हाउस की बात माननी पड़ेगी । तीसरी पावर जुडीशियरी

की है । हाउस भी गलती कर सकता है । जुडीशियरी उसके।– ठीक करेगी, उसको विधान में अख्तियारात हैं । विधान के खिलाफ कानून पास कर दे तो जुडीशियरी को पावर है कि उस कानून को री कर दे । प्रजातंत्र में चाहे कोई प्रान्त की असैम्बली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, वह संविधान के खिलाफ, कांस्टीच्युशन के खिलाफ कोई कानुन पास कर दे, तो जुडीशियरो उसको नाजायज करार दे सकती है । यह बात उसी जगह हो सकती है जहा पर नेक–नीयती से प्रभुसत्ता, सौवरेनटी को बांटा हो । एक चौथी पावर प्रैसकी है । उसको भी डैमोक्रेसी में पावर है । मैं तो इन प्रस्ताव के अन्तर्गत इसबातपर जोर देना चाहता हू कि जुडीशियरी जो है वह हर डेमोक्रैटिक कन्ट्री में बहुत जरूरी अंग है । अगर एग्जैक्टिव अपनी पावर से तानाशाह बनना चाहे तो उसको चोट लगती है । लोकतंत्र में यह घातक सिद्ध होती है । मुझे अफसोम भी है और शम' भी आती है कि हमारे देश में भी इस किस्म का 19 महीने का जमाना आया और उसी जमाने का नतीजा था जब हरियाणा की जुडीशियरी को भभि रखा गया । अभी यहा हाउस में हमारे एक नौजवान साथी ने बताया, जिसके साथ मैं सहमत हू । उनकी क्वालीफिकेशन का मुकाबला एग्जैक्टिव वाले नही कर सकते । जुडीशियरी का अफसर एल0ल0बी 0 किये बगैर जुडीशियल ब्रांच में नहीं आ सकता, लेकिन एग्जैक्टिव ब्रांच में, जैसा कि श्री खुरशीद जी ने बताया है कि ऐसे केसिज भी नोटिस ये हैं जहां पर सिर्फ मैट्रिक पास या असिस्टेन्ट जो किसी मिनिस्टर के साथ पी 0ए 0 लगा हुआ है, उसको वह बहुत प्यारा लगता है, उसने

मिनिस्टर की सेवा की है वह भी एच 0सी 0एस 0 बन जाता है । मैं इस बात की तसदीक नही कर सकता लेकिन मेहतानी जी कीएक मिसाल है । उसको एच0 सी 0एस0 बना दिया गया था । एच 0सी 0एस0 से आई0ए 0ए स0 हो जाते हैं, उनके दरवाजे खुल जाते है, फिर वह चीफ सैक्रेटरी तक बन सकता है । जुडीशियरी ने एल 0एल0बी 0 के बगैर नही बन सकता । ऐसे अफसरों के साथ इमतयाजी सलूक क्यों किया गया? जहां तक इमतयाजी सलूक को हटाने का सवाल है यह बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था । इसको हटाने में भी काफी देरी हो गई । इसमें सी क्यों हुई? यह तो एक मिनट का काम था । ज्यों ही आपके नोटिस में यह बात आयी थी जब भी वे चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे उसी वक्त ही उनका यह काम कर देना चाहिए था । यह बात सरकार की नैगलिजैसी का सबूत है । जो बात एक दिन में हो सकती है उसको दस–दस महीने क्यों लगते हें?

मैं चौधरी शमशेर सिंह की बात का भी समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं । श्री बलदेव तायल जी भी इस बात को लिखित रूप में नही दे सके और हें भी नही दे सका । उन्होंने भी संशोधन के तौर पर सुझाव दिया है कि एच0सी 0एस0 आफिसर्ज का सिलैक्शन ग्रेड का कोटा 15 से 20 परसैन्ट कर दिया है और जुडीशियरी का यों का यों है । इस बारे में बताना इसलिए जरूरी है कि आज मान लो जुडीशियरी में कोई आफिसर भर्ती हुआ और उसी समय कोई एग्जैक्टिव अफसर के रूप में भर्ती हुआ । आठ

या दस बरस के बाद सिलैक्शन ग्रेड मिलना है तो जिसका कोटा बढ़ा है उसको सिलैक्शन ग्रेड पहले मिल जायेगा, उसकी तन्ख्वाह भी बढ़ जायेगी औरदूसरी सहूलियतें भी उसको मिलेंगी और जो जुडीशियरी का अफसर है वह वही का वहीं रहेगा । और उन में हार्ट बरनिंग होगी बकरी दूध भी दे और मिंगने डाल करके दे तो इससे अच्छा है कि पहले ही दे दिया जाये ।

चौधरी लाल सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । डिप्टी स्पीकर साहब, भैस 11 महीने बाद व्याहती है लेकिन अभी इस जनता सरकार को तो बने 8 महीने ही हुए है, तो फिर यह जनता सरकार इतनी जल्दी दूध कैसे दे देगी? (हंसी).

श्री मूल चन्द : जैन मेरा कहना यह है कि जो भी जुडीशियल अफसरों के माथ डिस्क्रीमिनेशन है, वह दूर होनी चाहिये । ु सके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, जो जुडीशियल अफसर्ज का केडर है, उसकी तादाद कम है । मैं **चौधरी** शमशेर सिंह जी से सहमत हू कि इसमें बढ़ौतरी होनी चाहिये । जहां तक मुझे पता लगा है, हमारी सरकार यह विचार कर रही है कि जोरैंट के केसिज या मुकद्दमे बेदखली के जो केसिज हैं, वह फिर से इन जुडीशियल आफिसर्ज को देने जा रही है । यह केसिज पिछली सरकार के उन काले दिनो की याद कराते. है जबकि उसने एकदम से एक बिल ला करके के जुडीशियल आफिसर्ज से लेकर के एग्जैक्टिव आफिसर्ज को दे दिये थे । अच्छा होता अगर चौधरो शमशेरसिंह इस बात पर अपना अफसोस जाहिर करते या आंसू

बहाते मेरा कहना यह है कि जब यह रैट के केसिज जब उनके पास फिर दोबारा से चले जाये गे तो उनका वर्क लोड बाबु जायेगा । इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर उनके केडर की तादाद में बढ़ोतरी करदी जाये तो हममें से किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता । हां, यह जरूर है कि इससे आपका थोड़ा मा खर्च जरूर बढ़ेगा । आज देखिये जो बी0ए 0, एम0ए 0, एल0 एल 0बी 0 हकारों की तादाद में हमारी स्टेट में बेकार मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी रोजगार की प्रौब्लम हलहोगी । जहां तक केडर बढ़ाने की बात का ताल्लुक है, मैं एक बात और कह कर बैठ जा0ंगा । इसप्रस्ताव मेंतो सिर्फ जुडीशियल और एग्जैक्टिव आफिसर्ज रैक के पे–स्केल में जोफर्क है, उसको दूर करने के लिये कहा गया है और हमारी सरकार, मैं चाहता हूं, यही पर यह एलान करे कि हमने इनके पे स्केलज आज से ही बढा दिये हैं क्योंकि मुझे पता है मिनिस्टर साहब यह कह सकते है कि सरकार इस बात पर हमदर्दाना तरीके से विचार कर रही है । आज ही इसी हाउस के अन्दर सरकार को यह एलान करना चाहिये कि हमने उनसे डिस्क्रिमिनेशन बन्द कर दी है । दूसरी बात जो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहने वाला हूं वह यह है कि यह ठीक है किजुडीशियल सर्विसिज की और एग्जैक्टिव आफिसर्ज की पे यकसां होनी चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी स्टेट में और हर दूसरी स्टेट में ओर सर्विसिज भी होती हैं, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग सर्विस या मैडीकल सर्विस । डिप्टी स्पीकर साहब आप शायद मुझ से भी ज्यादा जानते होंगे कि इंजीनियर्ज

कौन लोग बनते हैं, डाक्टर कौन लोग बनते हैं? जो हमारे प्रदेश की क्रीम होती है वह इंजीनियरिंग कालेज में या मैडीकल कालेज में जाती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि जो देश की क्रीम होती है वह ही इंजीनियर और डाक्टर बनती है । आपको यह भी पता है कि एच 0सी0एस 0 या आई 0ए 0एस0 की कम्पीटीशन में कौन बैठता है? इन कम्पीटीशनों में सिर्फ ग्रैजुएट्स बैठते हैं जबकि उन्हें 5 साल तक उन कालेजों में पढ़ना पड़ता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी स्टेट या एग्जैक्टिव अथोरटी तव तक उन सर्विसिज से काम नही ले सकती जब तक कि आप उन्हे संतुष्ट न रखें । मेरा विचार है कि अगर उनके दिलों में हर्ट बर्निंग होगी तो वे काम नही करेंगे । आप को याद होगा कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का पिछले दिनों अखबारों गे एक बनान आया था कि सर्विसिज वाले हमसे सहयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप रैज्योलूशन पर बोलिये ।

श्री मूल चन्द जैन : ठीक है जी । तो मैं उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जब तक आप सर्विसिज को कोआप्रेशन नही देंगे, उनका पूरा सम्मान नही करेंगे, उनसे कायदे–कानून के मुताबिक काम नही लेंगे, उनके मन में जो हीन भावना हए, उसको समाप्त नही करेंगे, उनके पे–स्केल बराबर नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे सहयोग की उम्मीद मत रखिये । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इंजीनियरिंग, मैडीकल और यदि कोई इस तरह की सर्विसिज हैं, इन सब के पे–स्केल्ज को बढ़ाने पर विचार किया

जाये । अन्त में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं ।

शिक्षा मंत्री (कर्नल राव राम सिंह :) : मैं जैन साहब से यह जानना चाहता हू कि वे जुडीशियल सर्विसिज से किस किस्म की कोआप्रेशन चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी रिजक राम ।

श्री मांगे राम गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से हाउस चल रहा है लेकिन हमें कभी टाईम नहीं मिला है । तीन–चार रोज हो चुके हैं लेकिन हमें इस साईड से बोलने का कोई अवसर ही नही दिया गया है । एक तो यह जो बीच में रुकावट पड़ती है जिससे हमारी नजरें नहीं मिल पाती है यह नही होनी चाहिये । हमें भी मौका मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्षः अब तो मैं चौधरी रिजक राम जी को काल–अपौन कर चुका हूं

कामरेड शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश यह है कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाये । आप सब की तरफ तो देख लेते हो लेकिन हमारी तरफ कभी देखते ही नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : पहलें चौधरी रिजक राम जी को बोल लेने दें उसके बाद आपको टाईम मिलेगा ।

चौधरी रिजक राम (राई) : डिप्टी स्पीकर साहेब, आज जो प्रस्ताव श्री बलदेव तायल ने इस हाउस के सामने रखा है और जिसकी दूसरे माननीय सदस्यों ने ताईद की है, मैं भी उसके पर अपने विचार पेश करना चाहता हूं । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए हें यह कहना चाहूंगा कि कोई भी सदस्य इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि जुडीशियरी प्रजातन्त्र का एक जरूरी अंग है और अगर देश में प्रजातन्त्र को सफल होना है तो जुडीशियरी के साथ न केवल इन्साफ होना चाहिये । बल्कि जुडीशियरी से किसी प्रकार का इम्तियाज नहीं होना चाहिये । किसी कारण अगर जुडीशियरी में असन्तोष पैदा हो तो प्रजातन्त्र की सफलता में रुकावट पैदा हो सकती है । डिप्टी स्पीकर महोदय, जो बातें मेरे से पहले दो ननें वाले सदस्यो ने कही हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता । मेरा विचार यह है कि मेरे ममी माननीय सदस्य और सरकार भी इम बात से मुत्तफिक होगी कि रैजोल्यूशन में जो दो बाते कही गयी हें, उन्हें अवश्य ही सरकार को मानना चाहिये । इसके साथ ही जुडीशियल अफसरों को जगह–जगह काम करने में दुश्वारियां हैं, कठिनाइयां हैं, न उनको मकान मिलते हैं और दूसरी तरफ उनकी तनख्वाहें कम हैं, हर किसी के मकान को किराये पर लेकर वह रह भी नहीं सकते क्योंकि जिस किसी का मकान किराये पर वह लेंगे यह खदशा रहता है कि वह मकान–मालिक उनके नाम को एक्सप्लायट कर सकता है । सरकार जहां एग्जैक्टिव को, जैसे नायब तहसीलदार या तहसीलदार के लिये तो क्वार्टर बना कर देती है, वहां उन्हें

जुडीशियल सर्विसिज के लिये भी क्वार्टर बनाकर देने चाहियें क्योंकि जहां पर नये जिले बने हैं, वहां पर तो आप देखे बहुत ज्यादा दिक्कत है । ये लोग किराये पर मकान लेने के लिये खुशामद करते फिरते है । वे ज्यादा किराया नही दे सकते, वे रियायत मांग नहीं सकते । इन सब बातों के कारण न्यायपालिका के जो लोग हैं उनको परेशानी है, उनमें असंतोष है । सरकार को चाहिए कि जिस तरह की सहूलियतें दूसरे अफसरान को दी जा रही हैं वह जुडीशियल अफसरान को भी दे । जैसा कि एक माननीय सदस्य श्री राम नारायण जी ने जिक्र किया और इसमें कोई शक नहीं कि पिछली सरकार के समय में कुछ अफसरान के साथ ज्यादती हुई, वे इन्साफी हुई और सुप्रीम कोर्ट में केस गए । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से श्री एन0एस0 राव को सुप्रीम कोर्ट ने इन्साफ दिया, और यह इन्साफ देने से हरेक को प्रसन्नता है, उसीप्रकार सरकार जिन जुडीशियल आफिसर्ज के साथ बे इन्साफी हुई है, उनके साथ इन्साफ करे । उस पिछली सरकार के द्वारा की गई बे इन्साफी को यह सरकार दूर करे । श्री एन0एस0 राव के साथ सरकार धक्का करना चाहती थी । एक्स्ट्रैरन्यूअस रीजन्ज के कारण श्री राव के साथ बेइन्साफी की गई । लेकिन जहां एक आदमी या एक अफसर को इन्साफ दिया, वहां सरकार ने आंख बन्द करके बिना सोचे–समझे रूल में अमैन्डमैंट की जिससे सुपिरियर जुडीशियल सर्विसिज में नाराजगी है और उससे सब के साथ बेइन्साफी हुई । मैं इस बात को विस्तार से कहूंगा । 1963 में रूल्ज थे जिनकी बिना पर

जुडीशियल आफिसर्ज की कन्फरमेशन के टाइम से उनकी सीनियरिटी काउन्ट होती थी लेकिन बाद में पंजाब अलग बनने पर नवम्बर, 1966 में पंजाब सरकार ने यह किया किकफरमेशन डेट की बजाए कटि– नूअस सर्विस के पीरियड को सीनयारिटी के लिए गिना जाए और हरियाणा सरकार ने 1972 मे चीफ सेक्रेटरी के थरू यह किया कि सीनयरिटी का काईटेरिया कन्टीनूअस सर्विस हो, डेट आफ कन्फरमेशन न हो और दूसरे कई सूबे जैसे आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात और मद्रास में यह नियम लागू है कि कटिनुअस सर्विस काईटेरिया हो सीनयरिटी का न कि डेट आफ कन्फरमेशेन । श्री एन0एस0 राव के फैसले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कन्फरमेशन की तारीख सीनयारिटी के लिए ली जाए यह बिल्कुल गल्त है क्योंकि कफरमेशन के लिए कोई काईटेरिया मुकर्रर नहीं है । जो कन्क्ररम करने वाली अथौरिटी है, उसकी आरबिट्रेरी डिस्थि फशन है कि वह जब चाहे किसी को कन्फर्म करे । वह चाहे तो एक साल में कन्फर्म कर दे और उसकी मर्जी नहो तो दस साल तक कन्फर्म न करे । कई दफा ऐसा होता हे कि एक आदमी जो डायरैक्ट जूडीशियल सर्विस में आया वह तो तीन साल के बाद कन्फर्म हो गया और दूसरा आदमी जिसे दस पन्द्रह साल जुडीशियल सर्विस में आए हो गए हैं लेकिन वह कन्फर्म किसी कारण से नहीं हो पायातो इसका मतलब यहहुआ कि जिसकी तीन साल की सर्विस है वह पन्द्रह साल वाले से सीनियर हो गया । श्री एन0एस0 राव के फैसले में लिखा है कि यह बिस्कूल गल्त है कि तीन साल की

सर्विस वाला सीनियर हो जाए और दस–बारह साल की जिसकी कंटिन्यूअस सर्विस है तथा जो प्रोमोटीज हैं, वे जूनियर हो जाएं, यह ठीक नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस चीज से जुडीशियल आफिसर्ज के अन्दर बड़ा असंतोष है । उसके नतीजे के तौर पर आन्ध्र, पंजाब, तथा महाराष्ट्र में माडल रूल 7 में तरमीम करके यह किया कि कंटिन्यूअस सर्विस से, प्रोबेशन पीरियड को निकालकर सीनियारिटी के लिए मुकर्रर हो न कि डेट आफ कफरमेशन । सरकार के सामने ऐसे कितने ही केसिज होंगे जिनमें कन्फर–मेशन अथोरिटी अपने सबौरडिनेट के साथ धक्का करती है, फेवरिटिज्म करती है और जिनकी कोई पहुंच नहीं हए वे व्यक्ति जूनियर हो जाते है और जो जूनियर होते हैं वे अपनी पहूंच के कारण सीनियर हो जाते हैं । पिछली सरकार ने कानून बदला और यह किया कि कंटिन्यूअस सर्विस ही सीनियरिटी का क्राईटेरिया होगा लेकिन जैसा कि श्री राम नारायण जी ने फरमाया– श्री एन0ए0स0 राव को नुक्सान पहुंचाने के लिए अथवा किसी और आधार पर वह तरमीम जो 1972 में की, उसके लिए कहा कि यह रिट्रोसपैक्टिवइफैक्ट से यानी 1970 से लागू होगी । इसलिए यह श्री एन0एस0 राव के हक में गया ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी खुरशीद अहमद पदासीन हुए)

डाक्टर मंगल सेन : और हमारे आई0पी0एम0 साहब काफी सुलझे हुए आदमी है । आई0पी0 एम0 साहब एक अच्छे

वकील हैं, जल्दी हर बात को समझ सकते हैं । मैं समझता हूं कि वे इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर जो भी पक्षपात इन जुडीशियल आफिसर्ज के साथ रूल्ज गल्त बनने के कारण या किसी खिलाफत के कारण हुआ है, उसको हम दूर करें और इसके लिए हम वचनबद्ध भी है । जुडीशियल आफिसर्ज मे, मकान न देने की वजह से अथवा किसी और वजह से, उनमें जो नाराजगी है उसको सरकार अवश्य दूर करे । इन्साफ के लिए यह जरूरी भी है कि उनकी तकलीफोंको दूर किया जाए । सैन्टर में इंदिरा गांधी और स्टेट में **चौधरी** बंसी लाल तानाशाही को कायम करने के लिए जुडीशियरी को अपने काबू में करने की फिक्र में थी लेकिन मैं पूरी तसल्ली के साथ कह सकता हूं कि सबोर्डीनेट जूडीशियल सर्विसिज ने अपनी आजादी का सबूत दिया । जुडीशियल मैजिस्टेरट्स तथा सैशन जजिज ने देश में यह वातावरणा या इम्प्रैशन पैदा नही होने दिया कि वे सिफारिंश से कोई काम करते हैं डी0आई0आर0 के जो केसिज एमरजैन्सी के' तहत दर्ज हुए तकरीबन उनमे लोगों को की किया । एक दो की बात तो मैं नही कहता लेकिन ज्यादातर जुडीशियल आफिसर्ज ने आजादी से काम किया। लेकिन एमरजैन्सी के टाईम में हाईकोर्ट जितनी बदनाम हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती । जजिज डिमौरेचाइज हुए । पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के जिन जजिज ने आजादान्त तौर पुरु काम करने की कोशिश की, उनकी लिस्ट बनाई गई । किसी को मद्रास भेज दिया और किसी को निकालकर कही और भेज. दिया । जैसा कि पोल्हू साहब ने कहा कि पंजाब क्या

हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पब्लिक मीटिग्ज में आफिसर्ज को एड्रैस कुरते. हुए कहते हैं कि हरियाणा के मुख्य मंडी ने हरियाणा की इतनी सेवा की है कि लोग प्रार्थना के समय उनका नाम याद करेंगे (व्यवधान) मैं तो खुले लफ्जों में यह कहना चाहता हूं कि हम तो उम्मीद करते थे कि जहां सरकार एग्जैक्टिव आफिसर्ज के खिलाफ कमीशन बैठाकर इन्कवायरी करा रही है वहां दूसरी तरफ उन लोगों के खिलाफ भी इक्वायरी की जाएगी जिन्होंने जुडीशियरी को बदनाम किया और जो सरकार के हाथ में कठपुतली बन गए । हमें उम्मीद थी कि ऐसे लोगों के खिलाफ इम्पीचमैट करके इंक्वायरी की जाएगी । हमें आशा थी कि उनकी इंक्वायरी करायेंगे कि एक्टिग गवर्नर होते हुए या चीफ जस्टिस रिटायर होने से पहले उन्होंने हरियाणा का दौरा किया और काफी रुपया इकट्ठा किया, कितने तोफे इकट्ठे किये, कितना स्टेट के खजाने में जमा किया और कितना वे लेकर भाग गये । इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिये कि उन्होंने सिफारिशों की बिना पर कितने फैसले दिये और कितने बेगुनाह आदमियों को सजा दी और इन्साफ का कितना खून किया, इसी बिना पर उन्होंने सरकार से रियायत हासिल करने की कोशिश भी की थी । मैं यह सब बाते नुक्ता– चीनी की बिना पर नही कह रहा लेकिन सारे देश में यह वातावरण पैदा हो गया था । चेयरमैन साहब, आपको पता है जि तीन जजों को सुपरसीड किया गया और यहां पर एक जज को सुपरसीड किया गया और जिसको चीफ जस्टिस बनाया गया उसके बारे में जितना कहा जाए, थोड़ा है । चेयरमैन साहब, लोग उनके

अन्याय के शिकार हैं । उस वक्त कोई भी इलैक्शन पेटीशन या सरकार की मर्जी के 'खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जाता था । यह सब बातें मानी हुई हैं, ये साबित हो सकती हैं, कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता ।

चेयरमैन साहब, आपको पता ही है कि गोलकनाथ के केस. में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि फन्डेमैन्टल राइट्स को पार्लियामैंट को बदलने का कोई अधिकार नही है, विधान मेंसंशोधन करके फन्डेमैन्टल राइटस में तरमीम नहीं कर सकते । भारत के एक चीफ जस्टिस जोकि पद मुक्त होकर आये और उस वक्त –की अपोजीशन ने और आज की सरकार ने उनको भारत के राष्ट्रपति पद के लिये खडा किया, उन्होंने यह फैसला दिया कि फन्डेमैन्टल राईट्स कों कोई पार्लियामेंट कभीभी नहीं' बदल सकती यह विज्ञान जो है, यह विधान हैं,. यह प्रजांतन्त्र– की जान है । चेयरमैन. साहब, आप. मानेगे कि हमारे –जो फन्डेमैन्टल राईट्स. है उसमें हर 'व्यक्ति को बैठने, बोलने और इकट्ठा होने की आजादी है, इसके इलावा

यह भी एक धारा है कि किसी शख्स की जान किसी कानूनी कार्यवाही किये बगैर नहीं ली जा सकती । यह भी एक धारा उस में है लेकिन ऐमरजैन्सी लागू हुई, फन्डेमैन्टल राईट्स समाप्त हुये । चेयरमैन साहब, गोलकनाथ केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके फैसला दिया कि इन फन्डेमैन्टल राईट्स को केवल मजबूत प्रजातन्त्र ही बदल

सकता है और बेसिक ढांचे को नही बदला जा सकता । चेयरमैन साहब, यहां तक ही नहीं बल्कि उस वक्त अटारिनी जनरल की तरफ से कहा गया था कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी के वारन्ट गिरफतारी पर यह लिख देता है कि इस आदमी को जेल में शूट कर दिया जाए तो उस आर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती थी । उन दिनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाये और हैबीअस कोरप्स रिट्स दायर कीं और जिन जजों ने हाई कोर्टस में कुलदीप नायर और दूसरों के हक में सुनवाई की उनको, रिवर्ट किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि कोई भी व्यक्ति हैबीअस कोरप्स रिट लाई नहीं कर सकता चाहे उन्होंने ईमानदारी से हो फैसला क्यों न किया हो लेकिन सारे देश में यह हवा फैली कि सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टिव के असर से काम करती है । यह सब से ज्यादा घातक और गल्ल ढंग काएक असर था जो सारे देश में पड़ा लेकिन ये सारी बातें होते हुए भी मैं यह खुशी के साथ कह सकता हूं कि उस समय सुप्रीम और सबोर्डीनेट जजों ने बड़ी ईमानदारी का वातावरण बनाकर काम किया, किसी को कोई शिकायत नही थी और आज जो उनके साथ बे इन्साफी हुई है, ग्रेडज के बारे में या उनकी प्रोमोशन के बारे में, उन सब के बारे सरकार को शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये । सरकार जहां कमिशन पर इतना पैसा खर्च कर रही है, वहां मेरा इतना ही कहना है इसी सैशन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिसने कि पंजाब हरियाणा का ही नही बल्कि जुडीशियरी का नाम बदनाम किया,

उसके खिलाफ इम्पीचमैन्ट की मोशन लाई जाए । इससे सरकार ने जो देश की जनता के साथ स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन लाने का वायदा किया है, वह पूरा होगा तथा जो न्यायपालिका को स्वतन्त्र करने का वायदा किया है वह भी पूरा होगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (मेहम) : चेयरमैन साहब, हाउस के सामने जो रेजोल्यूशन है, मैं उसकी पुरजोर शब्दों में ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हू कि जिन आदमियों के साथ खुद अन्याय हो रहा हो, हम उनसे न्याय की क्या उमीद कर सकते हैं । लेकिन फिर भी उन्होंने पिछले 19 महीनों में अपनी इन्सानियत दिखाकर जो न्याय हमें दिया वह किसी से छुपा हुआ नही है । चौयरमैन साहब, मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता क्योंकि सदन मे मेरे और भी बहुत से भाई बोलने के लिये बैठे हैं । वे लोग हमारे संविधान के रखवाले हैं, हम.। रें देश की परम्परा है कि कांस्टीचुशन सुप्रीम है और उसकी सुप्रीमेसी की वे लोग रक्षा करते हैं । यह मैं नहीं कहता, जैसे अभी श्री मूलचन्द जी जेन ने कहा कि उनके पे स्केलज में अन्तर है उसको दूर करके आज ही उन्हें एक सा पे स्केल दे दिया जाए, मैं इस की ताईद करता हूं लेकिन मेरा अपना सुझाव है कि विद रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट ही लागू किया जाना

चाहिये । इन शब्दों के साथ चेयरमैन साहब मैं आपका धन्यवाद. कुरता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु) : चेयरमैन साहब, श्री बलदेव तायल जी ने जो वह रेजोल्य्शन इस हाउस में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसमें दों राय नही है कि किसी भी प्रजातन्त्र में न्यायपालिका की आजादी, औंर स्वतन्त्रता का होना अति आवश्यक है और किसी भी आजादी के लिये सिर्फ राजनीतिक आजादी हो नही इसके साथ–साथ आर्थिक आजादी भी जब तक नही होती उस वक्त तक' सही माथेने–। में कोई, प्रणतन्त नहीं आ सकता जिस में आज हमें काफी दिक्कत है । आजं प्रजातन्त्र में न्याय की व्यवस्था ऐसी है, न्याय किस ढंग से दिया जाता है आज अगर आप देखे तो आप को पता चलेगा कि युका गरीब आदमी को न्याय मिलना कोई आसान बात ––ही है । यह सिस्टम ही ऐसा है, वैसे यह सारी व्यवस्था ही पूंजीपतियों के लिये है, जिन के पास पूजी है वही लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स तक जा सकते है, कोई गरीब आदमी वहां तक पहुंच नहीं सकता लेकिन फिर भी पिछले 1 9 महीने में इस प्रजतन्त्र में अगर किसी ने कोई लड़ाई लड़ी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे न्यायपालिका के क्षेत्र में, जो. हिम्मत. सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है उससे कही अधिक हाई कोर्ट ने दिखाई है और जो हाई कोर्ट ने हिम्मत दिखाई उससे अधिक नीचे वाले कोर्ट्स ने. हिम्मत दिखाई । उस वक्त बड़े बड़े पूंजीपति जो थे वे भी उन तानाशाहों के

साथ थे और जो गरीब किसान या हरिजन था वह जनता पार्टी के साथ था । आज मैंने नवभारत टाइम्ज अखबार में पडा जोकि पूंजीपतियों की देन है । उसमें हमारे साथी बलदेव तायल की तरफ से मुख्य मन्त्री की आलोचना के बारे में लिखा है । जैसे जिक्र अखबार में किया गया है, हम सभी सदस्य उपस्थित थे, हमारे सामने तो तायल साहब ने कोई आलोचना की बात नही की इसलिये मैं इन प्रैस गैलरी वाले भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि वे गल्त खबरें न दिया करें । अब मैं इस प्रस्ताव. के विषय में कहना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिये आर्थिक स्वतन्त्रता की भी बहुत आवश्यकता है । न्यायपालिका को जब तक अपनी रोटी–रोजी और रहने का इंतजाम मुहैया न हो तब तक वह आजादाना दिमाग से कोई फैसला नही कर सकती । जब तक उनके दिमाग में यह बोझ रहेगा कि उन्हें कहां पर मकान मिलना है, कहां रहना है, तब तक– वह आराम से काम नही कर सकेंगे । मकानौं के लिये उनको सेठों के पीछे भागना पड़ता है । आखिर इन्सान जिसका खाता है उसके आगे उसकी आंखें झुकती है । इसलिये जहां उनके पे–स्केलों का संबंध है, वहां उनके रहने के लिये जगह का भी प्रबन्ध होना चाहिये । जनता पार्टी ने लोगों के न्यायपालिका के स्वतन्त्र रखने का वायदा किया है और उसी के अनुसार मेरे साथियों ने सरकार से यह न्यायपूर्वक मांग मानने के लिये कहा । मैंतो कहता हूं कि जनता पार्टी ने जनता के सामने न्यायपालिका को उच्च स्तर पर रखने का वायदा किया है और जो

वायदा किया है वह निभाना पड़ेगा । इसके अलावा और कोई रास्ता नही । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हू

श्री रघुनाथ गोयल (कैथल) : चेयरमैन साहब, मैं तायल साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों को जरूर तरक्की दों जाए । धन्यवाद ।

चौधरी राजेन्द्र सिंह (बल्लभगढ) : चेयरमैन साहब, तायल साहब ने जो रैजोल्यूशन रखा है उसकी ताईद करते हुए अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं । देश के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे न्याय दिया जाए लेकिन बहुत खेद और दुख से साथ कहना पड्हा है कि जो न्यायधीश हमें न्याय देते हैं उनके साथ सरकार न्याय करने में असमर्थ रही है । देश का प्रत्येक नागरिक और बच्चा–त्र–च्चा यह जानता है कि आपात काल के दौरान प्रजातन्त्र की या स्वतन्त्रता की अगर किसी ने रक्षा की है तो वह हमारी न्यायपालिका ने की है । जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो लोगों को यह पूरी आशा थी कि जो न्याय हमारे न्यायधीशों के साथ हुआ था वह अब नहीं होगा । जो उनके अधिकार हैं, वह पूरे उन्हें दिये जाएंगे । मैं एक बात सदन के मामने रखना चाहता हूं कि जो आदमी अपनी तनखाह में अपना गुजारा नहीं कर सकता. तो कुदरती तौर पर उस आदमी को क्रप्ट होना पड़ेगा । मैं ऐसे अफसरों की मिसाल भी दे सकता हूं कि जिनका उनकी तनखाह से गुजारा नहीं होता । हमारे साथियों ने इस रैजोल्यूशन पर अपने विचार

रखे हैं और मेरा भी विचार है कि इस रैजोल्यूशन के खिलाफ इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलेगा । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह जो रैजोल्यूशन पेश किया गया है कि जो हमारे न्यायपालिका के सदस्य हैं उन्हें कार्यपालिका के सदस्यों के बराबर तनखाह दी जाए उभको सरकार माने और रिट्रोस्पैक्टिवली माने ।

श्रीमती शान्ति देवी (कैलाना) : आदरणीय चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा.

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मैं न्याय की आशा तो करता था लेकिन श्री' मूल चन्द जैन जो नेएक और रास्ता बताया इसलिये प्रैस वालों से जरूर प्रार्थना करूंगा कि वे हमें न्याय दिलवाएं मैं आपसे.....

Mr. Chairman : This is no Point of Order.

Chaudhri Ganga Ram : Again on a Point of Order

Mr. Chairman : You have had one Point of Order at a time and after that there has been no activity in the House necessitating another point of order. Shrimati Shanti Devi may please continue her speech.

श्रीमती शान्ति देवी : मैं माननीय सदस्य तायल जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । तो

चौधरी संत कंवर : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि येरें साथ खुद अन्याय होने लग रहा है जब मैं उधर बैठा था तब तो आप बार–बार उधर देख रहे थे और अब जब इधर अपनी जगह बैठा हूं तो देख ही नहीं रहे हैं ।

श्रीमती शान्ति देवीः अगर आपसे। अन्याय हो रहा है तो सभी के साथ ही अन्याय हो रहा है । सबसे ज्यादा समय बोलने केलिये इनको दिया जाता है फिर भी कहते हैं कि अन्याय हो रहा है (विघ्न) इन वाले काम हमारे से नहीं हो सकते ।

चौधरी हरस्वरूप बूराः चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मेरी गुजारिश यह है कि अगला रैजोल्यूशन भी इतना ही जरूरी है इसलिये जो भी सदस्य बोले टाईम को ध्यान में रख कर बोले ।

श्री सभापतिः इनकी बात ठीक है । मैं आनरेबल मैम्बर साहबान से निवेदन करूंगा कि वे अपनी किसी बात को रिपीट न करे ।

श्रीमती शान्ति देवी : चेयरमैन साहब, जो रैजोल्यूशन श्री तायल जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करती हूं । मैं आपकेद्वारा अपनी सरकार से और खासतौर पर डाक्टर मंगल सैन जी से पुरजोर अपील करूंगी कि जैसे सभी माननीय सदस्यों ने चाहा है वे इस प्रस्ताव को सर्व सम्पति से मानेंगे । मैं एक और छोटी सी बात कहूंगी कि जैसे एग्जैक्टिव वालों का सिलैक्शन ग्रेड

का कोटा 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है उसी तरह से जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों का भी कोटा 20 प्रतिशत किया जाए जोकि अभी तक 15 प्रतिशत ही है । धन्यवाद ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता (जगाधरी) : माननीय चेयरमैन साहब, मैं भी इसी प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हु आ हूं लेकिन मेरे वरिष्ठसाथी बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो बात कही है ।

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । चेयरमैन साहब, मैं हाउस से और इस चेयर से समय नही मांगता और न ही बोलने का इतना शौक रखता हूं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हुस सदन के अन्दर एक मैम्बर साहबान कोबोलने का समय देने का कोई तरीका होना चाहिए । मैं इस हाउस से और चेयरमैन से प्रार्थना करूंगा कि वे इस चीज का ध्यान रखें... (व्यवधान)

श्री सभापति हाउस : में ठीक तरीका है और उस तरीके के मुताबिक टाईम दिया जाता है ।

डाक्टर बरज मोहन गुप्ता : एच0 सी0 एस0 जुडिशरी और एच0 सी0 एस0 एग्जैक्टिव के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन मैडिकल प्रोफैशन

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ।

Mr. Chairman : If you want to take the whole time in raising Points of Order, what time will be left for speeches ?

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर बड़ा जरूरी है (व्यवधान)

Mr. Chairman : Whatever Points of Order you raised were hardly a Point of Order. Pleas do not misuse the procedure of the House.

चौधरी गंगा राम : मैंने आपसे एक बात कही थी और अब फिर कहना चाहता हूं कि जो प्रोसीजर बनाया गया है, एटलीस्ट वह तो मुझे बता दिया जाए कि क्या है? (व्यवधान) **श्री सभापति :** प्रोसीजिर जानने के लिए एक किताब है उसको पढ लीजिए । (व्यवधान) If you do not find anything in the book 'Rules of Procedure', then come to me.

डाक्टर मंगल सैन : चेयरमैन साहब, मेरी एक रिक्वैस्ट है और मैं हाउस के सारे सदस्यों से कहना चाहूंगा कि प्वायंट आफ आर्डर वही होता है जिसमें रूल के खिलाफ, पास्ट प्रैक्टिस के खिलाफ, कस्टिच्यूशन के खिलाफ कोई बात हो । जिस प्वायंट आफ आर्डर में ये बातें हों वही इन्टर्टेन होता है ।

श्री सभापति : ठीक है, प्वायंट आफ आर्डर का मिसयूज कम होना चाहिए ।

डाक्टर बृज मोहन गुप्ताः चेयरमैन साहब, मैं कह रहा था कि जहां एच 0सी 0एस 0 एग्जैक्टिव और एच 0सी 0एस0

जुडिशरी को इस रैजोल्युशन में शामिल किया है वहां मैडिकल प्रोफैशन और इंजीनियरिंग प्रोफैशन को भी इस में शामिल किया जाना चाहिए । लेकिन मैडिकल प्रोफैशन और इंजीनियरिंग प्रोफैशन को शामिल नही किया गया है, जैसा कि श्री मूल चन्द जैन ने अपनी स्पीच में कहा कि हुनको भी शामिल किया जाना चाहिए । एच0 सी 0 एस0 एग्जैक्टिव और एच0सी0एस0 जुडिशरी के बारे में यह कह दिया जाता है कि वे एग्जाम देते हैं और सिलैक्शन में जो आए उसको लगाया जाता है । मैं इस हाउस के मैम्बरान को बताना चाहता हूं कि क्या मैडिकल प्रोफैशन और इजीनियरिंग प्रोफैशन वाले टैस्ट कम देते है? इनको कालेज में जाने से पहले टैस्ट देना पड़ता है और मैरिट के हिसाब से इनकी सिलैक्शन होती है..

Shri Kanwal Singh : The resolution is regarding Judicial services and not medical and engineering professions.

Mr. Chairman : Reference has been made to these professions also in the speeches made by some of the Members.

डाक्टर बृज मोहन गुप्ता : चेयरमैन साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस रैजोल्यूशन के अन्दर जहां एग्जैक्टिव और जुडिशियरी का जिक्र है वहां मैडिकल प्रोफैशन और इंजीनियरिंग प्रोफैशन को भी शामिल कर लिया जाए । धन्यवाद ।

चौधरी गजराज बहादुर नागर (मेवला महाराजपुर) : चेयरमैन साहब, मैं इस रैजोल्यूशन की ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बहरहाल इस पर पहले भी बहुत कुछ कहा गया है । चौधरी रिजक राम, श्री मूल चन्द जैन और हाउस के दूसरे साथियों ने अपने–अपने विचार रखे और ऐसा मालूमहोता है कि इस हाउसका कोई भी मेम्बर ऐसा नहीं हे जो इस रैजोल्यूशन की ताईद न करता हो । मैं हाउस से प्राथैना करूंगा, जैसे कि मांग की जा रही है, इसरैजोल्यूशन को पास कर दिया. जाए और आज से ही इसको लागू कर दिया जाए । इसके इलावा एक बात और है जो बहुत से स्पीकरों ने नहीं कही और वह बहुत जरूरी है । मैं इनके रिहायशी मकानों के बारे में कहना चाहता हूं । यह चीज जो जुडीशियल अफसरों को तंग कर रही है, इसका कोई न कोई हल होना चाहिए । उन को मकान तो कई जगहों पर मिले हुए हैं लेकिन गवर्नमैंट उनसे मार्केट–रैट डिमाड करती है । जबकि एग्जैक्टिव अफसरों से मार्केट रैट नहीं लिया जीता । मैं पूछता हूं इनके साथ इतनी ज्यादती क्यों की जाती है? क्या उनको तन्खाह ज्यादा देते है? मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि उन से वही रीक– नेबल रैट चार्ज किया जाए जो दूसरे एग्जैक्टिव अफसरान से चार्ज 'किया जा रहा है और इस चीज को विद रिट्रोसपैक्टिव इफैक्ट लागू किया जाए । इन शब्दों के साथ मैं तायल साहब के रैजोल्यूशन की मजीद ताईद करता हूं ।

राव दलीप सिंह (महेन्द्रगढ़) : चेयरमैन साहब, तायल साहब ने जो प्रस्ताव हाउस में रखा है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और तायल साहब को मुबारिकबाद देता हूं । पिछले सैशन में एक बिल कोर्ट के बारे में था, उस पर चर्चा करते हुए मैम्बरों ने कहा था और सारे हाउस की सैन्स थी कि जुडीशियल सर्विसिज के जो मुलाजिम हैं उनकी तन्खाहों को बढ़ा दिया जाए और एग्जैक्टिव को जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, वे सारी फैसिलिटीज जुडीशियरी को भी दी जाएं । पिछने सैशन में हाउस की यह सैंस थी और गवर्नमैंट को कनवे हो चुकी थी कि एग्जैक्टिव और जुडीशियरी को एट–पार लाया जाए । आज हाउस की सैंस को देखतेहुए मैं समझता हूंकि हरएक मेम्बर यह चाहता है कि जुडिशियल सर्विमिज को एग्जैक्टिव के एट–पार लाया जाए और गवर्नमैंट को हाउस में स्टेटमैंट देनी चाहिए कि हम एट–पार कर रहे हैं ताकि दूसरे रैजोल्य्शन जो एजंडे पर हैं, उन पर डिस्कशन हो सके । बजाये इसके कि सरकार इस हाउस का टाईम वेस्ट करवाए, इसको मान लेना चाहिए और हाउस में स्टेटमैंट देनी चाहिए ।

डाक्टर मंगल सैन : बोलना तो मेम्बर साहिबान का अधिकार है, हर एक को बोलने दे ।

एक सदस्य : यह तो मान लिया हैं... (व्यवधान)

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, बीकन चूंकि हाउस की डिगनिटी का सवाल है, इसलिए कहना जरूरी है । .....(व्यवधान)

Mr. Chairman : I think, this is no Point of Order. Rather it is an aspersion on the Chair.

Dr. Mangal Sein : I suggest that these remarks should be expunged.

Mr. Chairman : These remarks should be expunged.

चौधर्री देस राज (इंदरी) : चेयंरमेन साहिब हाउस में जो रैजौल्युशन पेश है, मैं उसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जनता सरकार बनने से पहले सारे 'हिन्दुस्तान में तनाशाही की नीति थी और उस नीति के अन्दर तानाशाहों ने जुडीशियरी को मजबूर किया, परेशान किया । कुछ मजबूर हुए कुछ डी मौरेलाईज हुए लेकिन वह दौर खत्म हो गया और अब जनता सरकार है । आज जो रैजोल्यूशन हाउस के सामने पेश किया साया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं औंर अपने साथियों से अपील करता हूं कि इस रैजोल्यूशन की जब से जनता सरकार बनी है, उसी रोज से इफैक्टिव बनाया जाए और जुडीशियल अफसरान की पे बढाकर एग्जैक्टिव अफसरान के बराबर कर दी जाए । जो सहूलियात एग्जैक्टिव अफसरान कोदो जाती हैं वही जुडीशियल अफसरान को दी जानी चाहिए क्योंकि कोई इन्सान चाहे किसी भी प्रोफैशन में हो, जब तक उसकी मैन्टल

सैटिस्फैक्शन नही होगी, उसके दिमाग में सरकार की तरफ से डिस्क्रिमिनेशन किए जाने की बात होगी तो वह काम ठीक तरह से नही कर सकता । पे–स्केल बढ़ने से जुडीशियल अफसरों के दिमाग में डिस्कन्टैटमैंट नही होगी और वे एफिशिएंटली काम करेंगे । जिस तरह से सरकार एग्जैक्टिव के पे–स्केल बढ़ाती है उसी तरह से जुडिशयरी के पे–स्केल बढाने चाहिएं । इन शब्दों के साथ मैं रैजोल्यूशन का समर्थन करता हू ।

श्री रण सिंह मान (बाढड़ा) : चेयरमैन साहब, इस सदन के मान्यवर साथी जो इस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं, मैं उन से जुदा राय रखता हूं । इस देश का प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजों के समय से लेकर, साम्राज्यवादी रूप को बनाये रखने के लिए खड़ा किया गया था । सन 1947 के बाद जब कांग्रेस की हकूमत बनी तो वही ढाचा कार्य–पालिका और न्याय– पालिका के रूप में हमारे सामने आया । या यूं कहिए कि काग्रेस पार्टी जो. धनिकों के हितों की रखवाली कर रही थी, उसने उस ढांचे को यूं का यूं कायम रखा और कार्यपालिका और न्याय पालिका ने हमेशा उन गरीबों को, इस देश के उन मजदूरों को, किसानों को सताया और अपनी लूट की तेज तलवार से हमेशा उनकी जेबें काटी । मैं यदि यूं कहू कि इस दै। की न्यायपालिका ने भी कुछ मामलों में धनिक वर्गकी सेवा की हैतो अतिशयोक्ति नही होगी । तेलंगाना में आप देखें कितने गरीब लोग मारे गए थे लंकिन हुस देश की न्यायपालिका ने यह कह कर बड़े जमींदारों को छोड़ दिया कि अब

पुरुष यह काम नही कर सकते । मेरे कुछेक साथी यह दलील देते हैं कि जनता सरकार को लाने में न्यायपालिका का बड़ा हाथ रहा है । इसके बारे में–मेरा तो यह कहना है कि जनता सरकार– को लाने में न्यायपालिका का नहीं बल्कि मेहनतकश और मजदूर तबके का हाथ रहा है । मुझे बड़ा अफसोस. है कि आज यहां न्यायपालिका और कार्यपालिका के बड़े आफिसर्ज के वेतन बढ़ाने के बारे में तो वात हो रही है लेकिन छोटे मुलाजिमों के बारे में जो जनता की बेहतरीन सेवा करते हैं किसी ने कोई मामला नहीं उठाया जबकि प्राईस इंडैक्स की बढ़ौतरी को देखते हुहु केन्द्र अपने कर्म– करियो को दो किश्तें दे चुका है । मेरे विचारानुसार तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग आम आदमी से कही 0ंचा जीवन स्तर व्यतीत कर रहे हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि न्यायपालिका की सर्विसिज की तनख्वाह बढाने की बजाय कार्यपालिका की सर्विसिज की तनख्वाह उनके बराबर कर दी जाए ताकि डिसक्रिमिनेशन खत्म हो जाए ।

चौधरी गंगा राम : (गोहाना. आदरणीय चेयरमैन साहब, मैं बलदेव तायल जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सदन का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं । जिस समय हम लोग ऐमरजेंसी के टाईम में जेलों में पड़े हुए थे उस समय **चौधरी** बंसी लाल के समय में जुडीशियरी के इम्तहान हुए थे जिसके द्वारा जुडीशियल मैजिडेट्स और सैशन जजिज की सिलैक्शन होनी थी । हमारे साथ भी कुछ ऐसे नौजवान थे जो उस इम्तहान और

इन्टरव्यू में आना चाहते थे । लेकिन बंसी लाल की जालिम सरकार ने मीसा के अन्दर उनको जेल में डाला हुआ था । उनमें से बहुत से नौजवान एल0एल0बी0 पास थे, बहुत इन्टैलिजैन्ट और क्यालिफाईड थे लेकिन उनको उस समय टैस्ट औरइन्टरव्यू मेएपीयर होने के लिए पैरोल पर भी नहीं आने दिया गया । इसलिए मैं जनता सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह इस ज्यादती को दूर करे क्योंकि इसने वायदा किया है कि ऐमरजेंसी के समय में जितनी ज्यादतियां हुई हैं उनको दूर किया जाएगा । मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि उस समय जितने भी मैजिस्ट्रेस लिए गए, सैशन जज लिए गए, उनमें से लगभग 70 फीसदी केवल सिफारिश के तौर पर लिए गए थे । ये लोग बंसीलाल जी के, उनके वजीरों के और उनके मिलने वालों के रिश्तेदार थे । (विघ्न)

श्री सभापति : देखिए, एच0 सी0एस0 आफिसर्ज की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन करता है । Therefore, any criticism of the Public Service Commission should not be made.

चौधरी लाल सिंह : ..... (हंसी)

श्री सभापति : चौधरी लाल सिंह जी जान तो आपकी और कमीशन की बराबर है लेकिन इस हाउस के रूल्ज को फ्लाउट करने की कोशिश न करें । Please do not cast any

aspersions on the Public Service Commission except through the procedure contained in the Rules.

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है ।.....

Mr. Chairman : This is no point of Order. Please take your seat.

चौधरी लाल सिंह : यह मानना पड़ेगा कि ....

श्री सभापति : कमीशन के बारे में जो रिमार्कस पास किए गए हैं, वे ऐक्सपंज किए जाएं ।

चौधरी गंगा राम : चेयरमैन साहब, मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि जुडीशियरी में भी यह हुआ कि जो डिजर्विन्ग कैडिडेट थे वे तो नही आ सके लेकिन जो सिफारिशी कैडिडेट थे वे ले लिए गए । (विघ्न)

Mr. Chairman : Again you are repeating the same thing. Please limit your speech within the guidelines laid down in the Rules of Procedure of the House.

चौधरी गंगा राम : तो मेरी यह मांग है कि ऐसी जो सिलैक्शन थी उसकी इंक्वायरी करवाई जाए ।

इसके अलावा चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूं कि न्याय की आधारशिला लोअर कोर्ट से शुरू होती है लेकिन आज

हरियाणा के अन्दर लोअर कोर्टस की बहुत बुरी हालत है । मैं अनुभव के तौर पर बताना चाहता हूं कि आज से पांच महीने पहले गोहाना में हुक मैजिस्ट्रेट था । उसको तीन दिन सोनीपत जाना पड़ता था और चार दिन गोहाना रहना पड़ता था ' सोनीपत उसे रिक्शा में बैठकर बस स्टैड और फिर वहां से बस से जाना पड़ता था । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जुडीशियरी के मैजिस्ट्रेस के साथ, सब–जजिज के साथ बड़ा भारी अन्याय हे रहा है । उन्हें आज कोई सहूलियत उपलब्ध नही है । एक नायब तहसीलदार को जीप मिंत्री हुई है, बंगला मिला है, सर्वेन्ट मिला है लेकिन जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के पास कोई बंगला नही है, कोई मकान नहीं है और उनकी अदालतें भी बहुत सी जगह ऐसे मकानों के अन्दर है जो पुराने बंगले हुआ करते थे । तो इस सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैजिस्ट्रैट रात दिन मेहनत करता है अगर उसके लिए पूरी सहूलियत न हो तो यह कोई अच्छी बात नही है । इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि अगर यह सरकार न्यायपालिका के मैजिस्ट्रैस से हमदर्दी रखती है क्योंकि वे हमेशा हमे न्याय देते रहे हैं, किसी सरकार से डरे नहीं, तो उनको सारी सहूलियते दी जानी चाहिएं ।

चेयरमैन साहब, एक अर्ज मैं और करना चाहता हूं । हमारी सरकार ने कई महकमों के अन्दर लीगल ऐडवाइजर्ज लगा रखे हैं । लेकिन हमें ताज्जुब होता है यह देखकर कि उन्हें कोई तजुर्बा नहीं होता । आज हरियाणा के अन्दर कितने ही रिटायर्ड

मैजिस्ट्रेस और जज बैठे हुए हैं जो कि लीगल साईड में बहुत अच्छी राय दे सक्ते हैं, बहुत अच्छी ओपिनियन दे सकते हैं ऐडमिनिस्ट्रैशन के काम में, पुलिस के काम मे और दूसरे महकमों में । आज, जैसा मैंने पहले कहा, कई ऐसे ऐडवाइजर सरकार ने रखे हैं जिनपर कोई अनुभव नहीं है, बिल्कुल इन ऐक्सपीरियन्सड हैं और जिनकी सर्विसीज भी बिल्कुल लोअर कैटेगरी की रही है । इसलिए मैं जुडीशियरी की लिहाज से, न्याय की लिहाज से यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो ऐडवाइजर है, वे बहुत अच्छे लीगल माइन्ड के होने चाहिए । (विघ्न–).. चेयरमैन साहब, मैं तो यह समझता है कि न्याय पालिका के और कार्यपालिका के वेतनमान बराबर तो होने ही चाहिए

लेकिन यह और भी अच्छी बात होगी यदि न्यायपालिका के वेतन कार्यपालिका से ज्यादा हो. जाएं ताकि हमारे न्यायमूर्ति भ्रष्ट न हो सकें और अच्छा न्याय दे सके । इन शब्दों के साथ मैं बलदेव तायल जी के डंस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

मास्टर शिव प्रसाद (अम्बाला शहर): चेयरमैन साहब, ऐग्जैक्टिव और जुडीशियल सर्विसिज के वेतन मानों मैं जो भेद है उसको दूर करने के लिए श्री बलदेव तायल जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उसके सम्बन्ध में मैं भी कुछ कहना चाहता हू । इसमे कोई शक नही है कि जो खुशदिल मजदूर होता है वह अधिक कार्य करता है । यदि उसके दिल पर यह बोझ हो तो वह सोचेगा कि मैं योग्यता में ज्यादा हूं इसलिए मुझे योग्यता के

आधार पर स्थान मिलना चाहिए । आज के युग में कौन बड़ा है, कौन छोटा है उसका सबूत इस बात से भी मिल जाता है कि किस व्यक्ति को अधिक वेतन मिलता है और किस को कम मिलता है ।

चौधरी राम किशन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर. सर । 'चेयरमैन साहब मैं आपके माननीय सदस्य से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस रेज्योलूशन पर ज्यादा न बोला जाये, काफी सदस्य बोल चुके है । आगे जो रेज्योलूशन आ रहा है, उस पर भी सदस्यों ने बोलना है । टाईम थोड़ा है ।

Mr. Chairman : This is no point of Order. Please take your seat.

मास्टर शिव प्रसाद : इसलिए पिछले 19 महीने का इतिहास ऐसा रहा है कि जुडीशियरी के पास कोई ताकत ही नही है । जब हम जेल में थे तो वहां बैठे हुए यह सोचा करते थे कि ऐग्कैक्टिव तो इस सरकार का दुमछल्ला बन कर रह गई है । लोगों में कोई आशा की किरण नही थी । आशा की किरण अगर कही टकराती थी तो वह जुडीशियरी पर टिकती थी । जेल में बैठे देखते थे कि किसी साथी कीं लड़की की शादी है तो उसको भी पैरोल पर नहीं जाने दिया जाता था । इनएग्जैक्टिव के लोगों ने अपने दिमाग पर ताला लगा कर उसे– बन्द कर लिया था । सरकार की तरफ से जो भी आदेश होता था केवल उसकी पालना करते थे ।. यी सब खुशनूबी हासिल करने केलिए किया जाता था । सरकार की जो भी आज्ञा होती थी, वही. मानते थे । लोगों को

तंग करनें और नुक्सान पहुंचाने में आन्नद लेते थे । कुछ लोग विवश हो कर, मजबूर हो कर, न चाहते हुए भी जो सरकार कहती थीं वह करते थे लेविन हमें देखने में ऐसा आया कि जुडीशियरी के बहुत से ऐसे अफसर थे कि अपनी नौकरी को दाव पर लगा कर भी इंसाफ करना चाहते थे । मैं अधिक नही कहता हुआ एक बात जरुर कहना चाहता हूं कि 19 महीने के अन्धकारमय माहौल के अन्दर, अन्धकारमय वातावरण के अन्दर आशा की किरण कहीं टिकती थी तो जुडीशियरी के पर टिकती थी । तो इसलिए उन लोगों को बराबर ले जा कर नही खडा करना चाहिए क्योंकि एक आदमी अच्छा काम करता है तों उसको प्रोत्साहित करने के लिए बराबर नहीं खड़ा करना चाहिए । मैं तो यह कहूंगा कि उसको एग्जैक्टिव के मुकाबले में अधिक सहूलियतें मिलनी चाहिएं । वेतन के तौर, रहन–सहन के तौर पर उनको अधिक सहूलियतें मिलनी चाहिए । शिक्षा भी जुडीशियरीं वालों की अधिक होंती है, इसलिए इसी अनुपात से वेतन भी दिया जाना चाहिए । जुडीशियरी वालों का वेतन अधिक होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman : The Minister for Parliamentary Affairs.

चौधरी भजन लाल : चेयरमैन साहब, मैं चाहूंगा कि जिस दिन से ऐग्जैक्टिव को ग्रेड दिये गये हैं उसी दिन से

जुडीशियरी को भी ये प्रेडज दिये जायें । (श्री सुरेन्द्र सिंह की ओर से विघ्न)

चौधरी संत कंवर : चेयरमैन साहब, भाई सुरेन्द्र सिंह बहुत ज्यादा बोल रहे थे ।

Mr. Chairman : Do not make it personal. Please take your seat.

चौधरी संत कंवर : .....

Mr. Chairman : This is irrelevant.

चौधरी संत कंवर : .....

Mr. Chairman : Please take your seat. You are not having my permission to speak. These remarks will not be noted.

चौधरी लाल सिंह : चेयरमैन माहव, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है ।

Mr. Chairman : Please do not try to misuse the procedure of the House. 1 have already called upon the Hon. Minister and would request the Hon. Member to maintain the discipline of the House.

चौधरी लाल सिंह : मेरी रिक्वैस्ट है । आप सुन तो लें । आपने करन भी– मेरे साथ ऐसा ही किया और आज भी मेरी बात सुनने केलिए तैयार नही है ।

उद्योग मन्त्री (डा 0 मंगल सैन) : चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज सदन में मेरे माननीय मित श्री बलदेव तायल जी ने एक प्रस्ताव रखा है । उन्होंने यहां हाउस में एक आवाज बुलन्द की, उन लोगों की जो 'किसी राजनैतिक मंच पर बोल नही सकते, जो समाचार पल में किसी प्रकार का वक्तव्य नही दे सकते । जो अपने दिल के बलबले अपने दिल मेंही रखते है और यही लोग जमहुरियत को कामयाब करने का तीसरा पाया माने जाते हैं । मेरे माननीय मिड ने न्यायपालिका की परिभाषा बहुत सुन्दर शब्दों में की है । मेरे पास ऐसे शब्द नहीं कि मैं उनमें कुछ और जोड़ सकू । न्यायपालिका का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है । हमने स्वाधीनता के संग्राम में भी और बाद में भी बार–बार कहा है कि हम न्याय सस्ता और जल्दी देंगे । लोगों के साय न्याय करेंगे । चेयरमैन साहब, हमारी 'पिछली' सरकार ने जमहूरियत को पामेल किया और उसकी वैल्यू को खत्म करके रख दिया । पिछली सरकार ने न्यायपालिका को बिल्कुल पंगू बना दिया । मेरे अजीज अब यहां से उठ कर चले गये, उनके बुजुर्ग जो यहां के मुख्यमन्त्री होते थे, उन्होंने यहां पर तानाशाही लादी थी । हरियाणा में उनकी विहम के खिलाफ जिसको उर्दू में झख कहते हैं, कोई बात हो जाये तो अबाही–तबाही कर देते थे । चेयरमैन साहब, मैं क्या बता0ं? उन्होंने एक गुनाह किया हो तो बता0ं, कितने ही गुनाह किये । एक लड़का उनकी ही तहसील का था । उसका जुडीशियरी में सिलैक्शन हो गया । उस बेचारे को मीसा में दे दिया, उसको ही नहीं, उसके बाप और उसके दादा तक को जेल

में दे दिया । यह थीं उनको ताना–शाही । आज **चौधरी** शमशेर सिंह की मजबूरी है, गुनाह किस ने किया है और भुगतना उन्हें पड़ रहा है । ये बहुत सज्जन आदमी हैं इन्होंने कई पार्टियां बदली हैं आखिर में कांग्रेस में पहूंच गये हैं । चेयमैन साहब, यह उनकी कनविक्शन की बात है । आज सारे गुनाहों का गन्द इनको उठाना पड़ रहा है । खुद इनका गुनाह नही है । चेयरमैन साहब, सारे हरियाणा के लोगों की मिट्टी प्लीद करके रख दी । जब वे खुश होते थे, यह कहा करते थे कि लगा दिया सारो को बर्फ में । यह बात आप सब लोग जानते हैं, ऐसी उनकी विचारधारा थी । जैसे कि उन्होंने आर्डर किये कि एस0 पी0 की कानफिडैन्शल रिपोर्ट डी'0सी0 लिखा करेगा और भी कई ऐसी बाते हैं । चेयरमैन साहब, आप तो काफी काबिल वकील हैं, इस बात को जानते होंगे कि एक जज बनने के लिए किसी को कितनी तपस्या करनी पडती है । उसकी कोई पब्लिक लाईफ नहीं है । उसके घर में दो बार कोई आदमी घुस जाये तो यह शक किया जाता है कि फलां आदमी कैसे चला गया? वह बेचारा कहीं कुछ बोल नहीं सकता । हो सकता है चोरी से बोल भी पड़े लेकिन फिर भी उसको सावधान रहना पड़ता है । इस जमहूरियत को सब से ज्यादा सफल करने का श्रेय किसी को जाता है तो वह न्यायपालिका को जाता है ।

चौधरी रिजक राम जी ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इम्पीचमेंट का जिक्र किया कि यह सरकार का पहला काम होना चाहिए था कि उस चीफ जस्टिस की इम्पीचमेंट करते ।

चौधरी रिजक राम : मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नहीं कहा था बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहा था ।

डाक्टर मंगल सैन : मैंने तो वकालत की नहीं, हां जेल में वकालत की किताबें जरूर पढ़ी हैं । किसी को रिमूव करने के लिए इम्पीचमैंट करनी होती है । अब वह सर्विस में नहीं है । उनकी भावना तो ठीक है । इतने गुनाहगार को माफ नहीं करना चाहिए था । हमें एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी लेकिन हमारे पहुंच में नही था ।

चौधरी रिजक राम : संविधान में प्रोविजन है । अब भी इम्पीचमेंट कर सकते है ।

डाक्टर मंगल सैनः चेयरमैन साहब, यह बात ठीक है कि उनके निवास के लिए, बौरडिंग के लिए ठीक प्रबन्ध नहीं है, उनको परेशानी होती है । पिछली सरकार ने तो उनको घसियारा बना कर रखा हुआ था, दर–दर की ठोकरें खाने के काबिल बना रखा था । चेयरमैन साहब, मैं प्रसन्न हूं कि उनकी बात आखिर किसी ने तो कही है और वह भी मेरी पार्टी के एक आनरेबल मैम्बर ने कही है । उस का समर्थन सब ने किया है । एक भाई ने तो अपने दिल का दर्द और ढंग से ही जाहिर किया है उन्होंने यह

कहा है कि दूध दे देना, मींगने डाल कर न देना । चौधरी लाल सिंह बड़े सिवाने मैम्बर हैं । उन्होंने वक्त भी बता दिया कि भैंस कब दूध किया करती है ।

श्री शमशेर सिंह : क्या यी सरकार डंगर है जैसा कि चौधरी लाल सिंह का इशारा है?

डाक्टर मंगल सैन : चौधरी शमशेर सिंह जी आप डंगर तो खुद देख लीजिये कौन थे । वह कहा करते थे कि मैंने तो की पूंछ पकड़ रखी है. (व्यवधान) वह यह कहा करते थे कि अगर मैं की पूछ पकड़ लू तो 20 मील तक घिसटता चला जा0ं लेकिन वह न छोडू और यह तो राज गद्दी है लेकिन बहिन चन्द्रावती जी ने ऐसा लट्ठ मारा कि पूंछ कहां गयी और वह कहां गया इसका उसको पता भी नहीं चला । इसलिये डंगरों की बात आप न करे तो अच्छा रहेगा । तो मैं चेयरमैन साहब, यह कहना चाहता हू कि हम दूध मीगने डाल कर नहीं देंगे । मै माननीय सदस्य मूल चन्द जी को यह बताना चाहता हूं कि हम मीगने डाल कर दूध नही देंगे बल्कि प्योर दूध देंगे और ऐसा दूध देंगे जिसमें से फ्लेवर आयेगा, जिससे पीने वाले को भी आनन्द आ जाये और देखने वाले को भी आनन्द आ जाये । मै एक बात और बाबू मूत्र चन्द जी से कहना चाहता हूं । शायद वे मेरे से कुछ नाराज भी होंगे । यह हमें इन–एफीशीयेंट तो न कहें । एक तो यह भाई हमें जाते हुए टोटा दे गये और दूसरे बाटु आ गयी । इसलिये मै इन्हें यह अर्ज करना चाहता हूं कि ये हमें इन– एफीशीयेंट तो न कहे ।

टाईम तो थोड़ा–बहुत हरेक काम में लगता ही है । इसलिये' मै आपसे यह अर्ज करूंगा कि आप हमें कम से कम इनएफीशीऐंट तो न कहें । हम जाग रहे हैं । हम मैम्बरों की बात के बड़े रिस्पौसिव है । मुझे यह बात कहने में भी बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने उनकी बात को इग्नोर नहीं किया हुआ है । एक बात उन्होंने यह कही कि इनके केडर मे जो 150 लोग हैं ये थोड़े हैं और वर्क लोड ज्यादा है । यह बात भी बाबू जी ने ठीक फरमायी कि जो किरायेदारो के बारे में अमैडिंग बिल आ रहा है, उससे इनका वर्क लोड और बढ़ने वाला है क्योंकि आपको पता है कि इन कांग्रेसियों का काम तो यह था कि किराये– दारों के साथ धक्का करना और सरमायेदारों का घर भरना । चेयरमैन साहब, आप तो खुद तजुर्बेकार है, मुझे मेरे भाई माफ करेंगे, मैं आपके द्वारा इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं वह समय जब एस0डी 0एउम0 को एग्जैक्टिव चलाया करती थी, कांग्रेस पार्टी चलाया करती थी । चन्दे भी जमा करती थी हाजिरी भी इकट्ठी करती थी ट्रकों के जरिये, चेयरमैन साहब, जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है, हरियाणा में चाहे देश का बड़े से बड़ा नेता आया है, हमने 'कभी एस0 डी0 एम 0 को या थानेदार को यह नहीं कहा कि जाओ, जनता को भर लाओ । (**चौधरी** शमशेर सिंह की ओर से विघ्न) वह अपनी झेंप उतारना चाहते है उतार लें । इतना तो मौका इनको भी मिलना चाहिये वरना तो कोई भाई उठकर इनको मारेगा । चेयरमैन साहब, मै भी उनकी इस बात से इत्फाक करता हूं कि जुडीशियल सर्विसिज को एग्जैक्टिव के बराबर सहूलियतें मिलनी

चाहिये । आपने तो वह काम किया नही लेकिन हम जरूर करेंगे ताकि आपके मन में यह बात अधूरी न रह जाये । इनको मगरमच्छ के आंसू बहानेकी जरूरत नही है । जब हम उनकी तकलीफ खुद दूर कर सकते है तो हम जरूर वह तकलीफ दूर करेगे । चेयरमैन साहब, उन्होंने सिलैक्शन ग्रेड की बात कही कि हरियाणा में एग्जैक्टिव के तो 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत बडा दिये लेकिन उनके 15 प्रतिशत ही रह गये । मै एक्सपैक्ट करता था कि **चौधरी** शमशेर सिंह जी कबूल करेंगे, कन्फैस करेंगे कि हमारी सरकार ने उनके साथ सख्त बेइन्साफी की थी, न्यायपालिका के साथ धक्का कर रखा था और हमे यह कहते कि अब आप उन्हें ठीक कर दो । अगर वह ऐसा करते तो मै उनकी फराखदिली की, स्पोर्टस मैनशिप की दाद देता उसके एप्रीशीयेट करता लेकिन उन्होंने ऐसा नही किया । हम जब अपोजीशन में थे, तो **चौधरी** बंसी लाल की कोई अच्छी बात होती थी तो हम उसको खुले मन से कहा करते थे । इनको हिम्मत सीखनी चाहिए । तो मैं यह कहना चाहता हूं **चौधरी** शमशेर सिंह अपने मित से कि उनमें सच बात कहने की हिम्मत हो नी चाहिये । अगली बात मै यह कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रोफैशनल सर्विसिज का सम्बन्ध है जिसमें इंजीनियरिंग और मैडीकल साईन्स वगैरा आती है, जिन्हें जुडीशियल सर्विसिज से भी पर बताया गया और जुडीशियल सर्विसिज को एग्जैक्टिव से पर बताया गया, यह मेरे ख्याल से ठीक नही है 1 क्योंकि उनका कोई नुमायन्दा यहां पर बोलने वाला नहीं है इसलिये अगर मै ज्यादा कुछ कहूंगा तो उनके साथ ज्यादती हो जायेगी । आपको बता दू

कि ये लोग कम्पीटीशनज से आते हैं । इसलिये मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमें थोड़ा मा न्यायप्रिय होना चाहिये । हमें किसी के पीछे लट्ठ उठा कर नही पड़ जाना चाहिये । जो इन्होंने यह कहा कि इन्होंने मर्दानगी का सबूत मुसीबत के दिनों में दिया, इसमे कोई शक की बात नही है । चेयरमैन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि अगर ये लोग किसी को गोली से उड़ा भी दें या थानेदार इनको जेलों की चारदीवारी में भूखा मार दें तो भी हम कुछ नही कर सकते क्योंकि इनके फन्डामैटल राईट्स सस्पैड किये हुए हैं । लेकिन छोटी अदालतों ने जो छोटे–छोटे मुकदमें बने हुए थे डिफैस आफ इंडिया रूल्ज के अन्डर या किसी दूसरे कानून के अन्डर, उनकी जमानतें लीं, बरी भी किया । एकाध नही बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों की जमानते ली और उन्हें बरी भी किया । तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायपालिका ने आपात काल में भी, घोर अन्धकार में भी, जुल्म की इन्तहा में भी अपने आपको न्यायप्रिय बनाये रखा और न्याय की ज्योति को प्रज्जवलित किये रखा । मेरा सिर उनके सामने उनकी न्यायप्रियता के लिये नतमस्तक हो जाता है । क्योंकि अब अगला प्रस्ताव आने वाला है इसलिये मेरे मित श्री बलदेव तायल जी ने जो प्रस्ताव दिया है कि राज्य में एच0 सी0 एस0 कार्यपालिका तथा एच0सी 0एस0 न्यायपालिका सेवाओं के सदस्यों के वेतनमानों मे विभेद को तत्काल दूर किया जाये, उसके बारे मे मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं । हमारी सरकार में आज से नही, आज से पहले ही इस मामले की फाईल चल रही है,

हम बहुत जल्दी ही कैबिनट में डिसीजन ले करके इनमे जो विभेद हैं वह हम दूर कर देंगे । मै इस बात का आश्वासन दे रहा हूं कि यह काम जरूर किया जायेगा और यह जो पिछली सरकार द्वारा उनके साथ धक्का किया गया था, वह जरूर ठीक कर दिया जायेगा । चौधरी रिजक रामू जी ने जो एक बात कही कि इस राज में तुक ऐसा संशोधन हो गया है कि जो बड़ा गलत था 1 वह ठीक नहीं था । उनका मैमोरैडम हमारे पास आया हुआ है । हम क्लोजड माईन्ड के आदमी नहीं हैं । चेयरमैन साहब, हमारे से जो पहले हुआ करते थे वह ऐसा थे कि जो एक बार कह दिया सो कह दिया जिनको हम झक्की भी कह सकते हैं । लेकिन हम ऐसे नही हैं । हम उनके कहे अनुसार अपने उस संशोधन पर पुनर्विचार करने के लिये तैयार हैं । मै आपके द्वारा सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार जो जुडीशियरी के साथ धक्का किया हुआ है, उसको ठीक– करेगी और यह सरकार उनको वह सारी सुविधाये देगी जो हम कार्यपालिका को दे रहे हैं ।

Shri Baldev Tayal : Mr. Chairman, I must express my gratitude to my Hon. Member colleagues who have given support to this resolution. I also express my gratitude to the Hon. Minister and, in view of the statement made by him, I beg to withdraw this resolution.

Mr. Chairman : Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw the resolution ?

(Voices : Yes)

The resolution was, by leave of the House, withdrawn.

गैर सरकारी संकल्प

(11) मार्किट कमेटियों को होने वाली कुल आमदन ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च किये जाने तथा ऐसी मार्किट कमेटियों द्वारा अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यय की गई राशि का विवरण प्रत्येक वर्ष सदन की मेज पर रखे जाने सम्बन्धी

12.30 बजे '

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, आपके आदेशानुसार मैं अपना मूत्र प्रस्ताव इस सदन की सेवा भे प्रस्तुत करता हू––

'' यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि मा र्किट कने रियो से होने व ली कुल आमदन ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च की जाए तथा ऐसी मार्किट कमेटिये द्वारा अगने सम्बन्धित क्षेत्र पर व्यय की गई रा शि का वि वरण प्रत्येक वर्ष सदन की मेज पर रखा जाए । ''

चेयरमैन साहब, इस प्रस्ताव से ऐसा मालूम होता है कि असैम्बली सैक्रिटेरियट से अनुवाद करने में या किसी और तरीके से शब्द रह गए हैं और खासतौर पर मेरा जो प्रस्ताव था..... मै समझता हूं कि सेक्रेटरी साहब आप से कुछ कह रहैं हैं ।

Mr. Chairman : The Secretariat would go into that aspect also. But you may please continue your speech.

श्री मूल चन्द जैन : मै एक बात खासतौर पर कहना चाहता हूं कि रूल्ज आफ बिजनैस में स्पीकर साहब को यह अधिकार है कि वह प्रस्ताव की भाषा को तबदील कर सकते हैं । वह रूल 175 है जिसके अधीन प्रस्ताव की भाषा तबदील की जा सकती है लेकिन चेयरमैन साहब, आपके द्वारा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाषा तबदील करने के बाद जो भाषा बचे, उसमें कम से कम मूल प्रस्ताव की सैस बिल्कुल ठीक तरीके से आनी चाहिए । यह चीज मैं खास तौर से बता0ंगा । मेरे प्रस्ताव लाने का जो मूल कारण था, वह यह था कि कांग्रेस के जमाने में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट एक्ट में संशोधन हुआ था । मेरे पास वह संशोधन नहीं है । मै काफी तलाश कर रहा था कि वह संशोधन क्या था । उसकी बाबत मुझे मालूम नही है । चेयरमैन साहब, तकरीबन सभी जिलों में जहां–जहां मंडिया हैं, जैसे करनाल, पानीपत, घरौंडा, सम्भालखा आदि, वहां मार्किट कमेटीज हैं । पांच–सात वर्ष पहले मार्किट कमेटी की जो आमदनी होती थी वह आमदनी उसी मार्किट कमेटी के जुरिरिडक्शन में जो गांव आते थे अथवा जो. उस कमेटी का क्षेत्र था उसी क्षेत्र में खर्च होती थी । पांच छः सात्र से पता नही एक्ट में संशोधन हुआ या रूल्ज ने संशोधन हुआ और उस संशोधन की बिना पर वह आमदनी स्टेट के कसोलिडेटिड फंड मे जमा होने लगी । **चौधरी** बंसी लाल के जमाने में यह बात हुई थी । एक अन्याय तो

न्यायपालिका के साथ किया गया और यह दूसरा अन्याय है जो मार्किट कमेटियों के साथ किया गया और जो रुपया मार्किट कमेटी के क्षेत्र मे खर्च होना चाहिए था वह सरकार के खजाने मे जमा होने लगा । मै सिर्फ सम्भालखा की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि सारी स्टेट जहां–जहां मार्किट कमेटीज है, सभी की बात कर रहा हूं । 1974 तक मार्किट कमेटीक से जो आमदनी हुई वह कसोलिडेटिड फंड में जमा हुई और वह पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा सड़के बनाने आदि में खर्च हुई लेकिन 1974 के बाद 1978 आ गया है एक पैसा भी सम्भालखा मार्किट कमेटी में सिवाए पांच परसैन्ट आमदनी के मार्किट कमेटी के एरिया में खर्च नहीं हु आ । पहले तो कांग्रेस सरकार थी लेकिन अब हमारी सरकार आई है उसकी तवज्जह भीइस तरफ नहीं गई । यह मेरे लिए परेशानी की बात है । मै इस बात के लिए अपनी सरकार पर जोर देता हूं कि वह मेरी बात को स्वीकार करे । आखिर एक एरिया के किसान अपनी प्रोडयूस को मंडी मे लाते हैं, और उनकी प्रोडयूस पर पहले दो परसैट था अब हमने तीन परसैट कर दिया है, उस पर टैक्स लगता है । उस क्षेत्र के तीस चालीस गाय होते हैं फिरे क्या हक है कि उस क्षेत्र से जो आमदनी हुई है, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में खर्च किया जाए । चेयरमैन साहब, दो किस्म के फंड है । एक तो मार्किट बोर्ड फंड है और दूसरा मार्किट कमेटी फंड । मार्किट कमेटी को जो आमदनी होती है उसका कुछ परसेन्टेज मार्किट बोर्ड फंड में जाता है और बोर्ड फंड जिस काम में खर्च होता है वह भी इस एक्ट में लिखा हुआ है । मार्किट कमेटी को जिन मदो

से आमदनी होती है उनका दफा 27 मे जिक्र किया हुआ है और दफा 28 में दिया हुआ है कि मार्किट कमेटी फंड कहां–कहां पर खर्च होगा । इस एक्ट के अनुसार प्रान्तीय सरकार को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वह मार्किट में कमेटी के रुपए को जहां चाहे वहां खर्च कर दे और पिछले चार साल से सरकार गल्त काम करती आ रही है । 1972– 73 कें बाद यह बात जारी हुई है कि मार्किट कमेटी फंड का पैसा सरकार अपनी मर्जी से खर्च करती आ रही है और इसका नतीजा यह हुआ है कि सम्भालखा, घरौंडा पानीपत आदि जहां भी मार्किट कमेटीज है, वहां की सड़कें खराब पड़ी हुई है । वहां एक भी सक्त न्हीं बनी । एक्ट के सैक्शन 29 में 17 मदें हैं जिनमें दिया हुआ हैं कि यह पैसा कहां–कहां खर्च हो सकता है उनमें से कुछ इस प्रकार है ––

(i) acquisition of sites for the market ;

(ii) maintenance and improvement of the market ;

The words are 'the market'. Then in clause (viii), it is stated—

"(viii) providing comforts and facilities, such as shelter, shade, parking accommodation and water for the persons, draught cattle, vehicles and pack animals coming or being brought to the market or on construction and repair of approach roads, culverts, bridges and other such purposes ;"

जो कुछ भी लिखा है वह 'दि मार्किट' लिखा है । मुझे पता नहीं है कि इन्होंने कैसे 'दि' का 'ऐनी' बना दिया ।

चेयरमैन साहब, मै इस वक्त इस पर ज्यादा बहस नहीं करता सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं यही कहूंगा कि कौन सी धारा के तहत सरकार मार्किट कमेटी के फंड को कसोलिडेटिड फंड में जमा करती है । कौन सी धारा के तहत प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह एक मार्किट कमेटी के फंड को उस मार्किट कमेटी के एरिया से निकाल कर दूसरी मार्किट कमेटियों के एरिया में खर्च करे । अगर यह सरकार यह समझती है कि जो कुछ पिछले चार–पांच साल से होता रहा है वह गल्त है तो मैं आशा करूंगा कि जो गल्त नीति अब तक बरती जा रही है उस गल्त नीति को यह सरकार बदलेगी और मार्किट कमेटियों को इजाजत देगी कि वे अपनी कमेटी की आमदनी को उन्ही गांवों के विकास में खर्च करेंगी जो उस कमेटी के एरिया मे आते हैं । पिछली कांग्रेस सरकार का यह एक अन्याय था जो मार्किट कमेटी के एरिया के लोगों के साथ वह करती रही ।

Mr. Chairman : Motion moved—

This House recommends to the State Government that the total income accrued to the Market Committees be spent on the development of the Rural area and the statement of the amount spent by such market committees in their respective areas be laid on the Table of the House each year.

श्री शमशेर सिंह (नरवाना) : चेयरमैन साहब, मै श्री मूलचन्द जैन जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ

हूं । मै जैन साहब को इस बात की मुबारिक बाद देता हूं कि वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पर ले कर आये हैं और इस में शक नहीं है कि यह प्रस्ताव लाखों किसानों और एग्रीकल्चर मार्किटिंग प्रोड्यूसर्ज से ताल्लुक रखने वाले लाखो लोगों के जजबात की तरजमानी करता है । टाईम बहुत थोड़ा है, चेयरमैन साहब, मैं जल्दी ही अपने ख्यालातों का इजहार करूंगा । यह जो डायवर्शन आफ फण्डज की बात है, इसका मुख्य कारण यह है कि मार्किट कमेटीज जो हैं, वे इलैक्टिड कमेटीज नहीं है । बहुत सी जगह एडमिनिस्ट्रैटर लगा रखे हैं और बहुत सी जगह नोमीनेटिड कमेटियां हैं और वे जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको किसी भी एरिया से कोई हमदर्दी नहीं है । न ही किसी काम से वाकफीयत है । बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यह जो जनता सरकार पिछले आठ नौ महीने से सत्ता में आई है, जो प्रजातन्त्र की बात करती है, इसने अभी तक इन मार्किट कमेटियों के चुनाव भी नही कराये है । यह एक बड़ी शर्म की बात है कि इस सरकार ने अधिकतर मार्किट कमेटियों में .....(विघ्न एवं शोर)

श्री सभापति : इन अल्फाज को एक्मपंज कर दिया जाए ।. ये अल्फाज अनपार्लियामेन्टरी हैं ।

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, इस सरकार के बार–बार वायदे किये जाने पर भी मार्किट कमेटियों के चुनाव कराने का अभी तक सरकार का कोई इरादा नही है ।

एक आवाज : हो सकता है कि इनकी बात सही न हो ।

श्री शमशेर सिंह : चेयरमैन साहब, यह नोमीनेशन वाला प्रोसैस अभी तक जारी है । डिप्टी कमिश्नर्ज से नाम आ चुके है, एम0एल0एज0 और वजीरों ने अपनी लिस्टें दे रखीं हैं, नाम दे रखे है और ये सारी बातें हो रही हैं । खास बात तो यह है कि सरकार के पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वह इस देहाती अदायरे के चुनाव न कराये । जब तक मार्किट कमेटियां इलैक्टिड न होंगी तब तक वह रुपया सही मायनों में नही खर्च होगा । इन शब्दों के साथ ही मैं फिर जैन साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हीरानन्द आर्य (लोहारू) : चेयरमैन साहब, श्री मूल चन्द जैन जी ने जो यह रेजोस्लूशन पेश किया है, उसका मै सिर्फ इस हद तक समर्थन करता हू कि जो पैसा इकट्ठा किया जाए वह सिर्फ देहाती इलाके में ही खर्च किया जाए लेकिन मैं इससे सहमत नही हूं कि जहां का पैसा हो, वही पर ही खर्च किया जाए क्योंकि जो दूसरे बैकवर्ड इलाके हैं, जिन की पैदावार पहले ही बहुत कम है, उनकी पैदावार में कोई बढौत्तरी नही होगी और वे इलाके वही के वहीं रह जाएंगे । अगर पैदावार घटेगी तो उस जगह मार्किट कमेटियों को भी नुकसान होगा, उसकी आमदनी भी घटेगी अगर ऐसा नही किया जाएगा तो जो इलाके बंजर हए, जिनकी पैदावार कम हैं, उन इलाकों के साथ यह बड़ी बेइन्साफी होगी, इस लिये

इस प्रस्ताव का मूल रूप से मै विरोध करता हूं कि जिन मार्किट कमेटियों से पैसा इकट्ठा किया जाए उसे वही पर ही लगाया जाए । इसलिये मैं सरकार से दर्खास्त करूंगा कि सरकार जल्द ही नोमीनेशन के बारे में ध्यान दे । इस प्रजातन्त्र में, हमने जो वायदे जनता से किये थे उनको जल्दी ही पूरा किया जाए । पिछली सरकार ने जो नोमीनेशन का तरीका अख्तियार किया था, मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जल्द ही उस कायदे कानून में तरमीम करके चुनाव' का तरीका अपनाये जिससे सही मायनों में जो वायदे हमने जनता से किये हैं, उन्हें पूरा किया जा सके । इन शब्दों के साथ चेयरमैन साहब., मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

*Expunged as ordered by the Chair.

(At this stage the Minister for Irrigation and Power as also several other Hon. Members rose to speak).

Mr. Chairman : The Hon. Minister for Agriculture has risen to' make a statement. I don't think there is any need for further discussion. Hon. Minister.

(इस समय बहुत से मैंम्बर साहेबान बोलने के लिये खडे हुए)

Mr. Chairman : I have called upon the Hon. Minister. I would, therefore, request the Hon. Members to please resume their seats.

चौधरी संत कंवर : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । आज आपने मुझे एक सीट बदलने की वजह से दो तीन मौका पर बोलने की इजाजत नही दी, कहीं ऐसा न हो–

Mr. Chairman : That is not a point of Order.

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : चेयरमैन साहब, वजीर साहब मान रहे है, आप नही मान रहे । यह तो बड़ी ज्यादती है । यह तो बंसीलाल के राज्य वाली बात हो गई ।

Mr. Chairman : I have already called upon the Hon. Minister.

Shri Shamsher Singh : The sitting of the House can be extended. मेरी आपसे दर्खास्त है कि सैशन का समय एक की बजाये डेढ़ बजे कर लें ताकि जो दो तीन मैंम्बर साहिबान बोलने वाले रहते है, वे बोल सकें ।

Mr. Chairman : When I have called upon the Hon. Minister, let him give his reply.

सिचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन साहब, मैं अर्ज करता हूं कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने जो रैजोल्यूशन मूव किया है उसको दो पार्टस में पढ़ा जा सकता है । पहला जो पार्ट है वहइस प्रकार है –

"This House recommends to the State Government that the total income accrued to the Market Committees be spent on the Development of the Rural area..."

इस विषय में किसी को कोई एतराज नही है और सारे का सारा पैसा जो हम मार्किट कमेटियों से वसूल करते हैं वह सारे का सारा रूरल डिवैल्पमेट के लिये खर्च किया जाता है । अगली बात जो उन्होंने इस रैजोल्यूशन में कही वह यह है

"and the Statement of the amount spent by such market committees in their respective areas laid on the Table of the House each year."

यह जो बाबू जी 'के कहने का मतलब है उन्होंने इस बात को अपने भाषण में तो बताया नही । इससे यह जाहिर होती है कि किन्ही लोगों को शक है कि उनका अकांउट प्रौपर मेन–टेन नहीं किया जाता । बाबूजी जोकि हमारे बुजुर्ग है और बड़े काबिल वकील है, मै उनको बताना चाहता हूं किं मार्किटिंग बोर्ड एक अटौनोमस बौडी है और हर मार्किटिग बोर्ड का या मार्किट कमेटी का जितना भी बजट है उसमें प्री–आडिट स्कीम लागू है । जो पैसा वे खर्च करते हैं उसका हर प्रकार से आडिट किया जाता है । इसमें गवर्नमैंट को तो केवल सुपरिनटेंडैस की ही पावर हासिल है । जहां पर प्री–आडिट लागू हो मै समझता हूं वहां पैसा खर्च करने में किसी तरह की हेरा फेरी नहीं हो सकती । इसके अलावा जो आजकल प्रचलित बात है कि मार्किट कमेटी का 30 प्रतिशत पैसा मार्किटिंग बोर्ड में आता है और 65 प्रतिशत पैसा पोश डब्ल्यू0 डी0 के पास डिपाजिट करवाया जाता है ताकि वह पैसा उन्हीं कामों पर खर्च किया जाए जिनका जिक्र की सैक्शन 28 में है ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि जब बाबू मूल चन्द जैन जी ने अपना प्रस्ताव रखा था तो उस समय चेयरमैन साहब की खुद की रूलिंग थी कि आपने जो अपना ओरिजीनल प्रस्ताव दिया है उसकी लाइट में कनसिडर करेंगे । तो मैं मिनिस्टर महोदय से यह कहूंगा कि रूरल एरियाज का मतलब यही था कि रिसपैक्टिव मार्किट कमेटीज । (विध्न)

Mr. Chairman : What is the point of Order in it ? The Hon. Minister is explaining the same thing.

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, मै अर्ज कर रहा था कि 30 प्रतिशत पैसा तो मार्किटिंग बोर्ड को जाता है और 65 प्रतिशत पी0 डल्यू0 डी0 के पास डिपाजिट करवाया जाता है ताकि उस पैसे को उन्ही बातों के लिये खर्च किया जाए जिमका जिक्र एक्ट के सैक्शन 28 में किया गया है । बाकी टोटल इंकम का जो 5 प्रतिशत पैसा है वह मार्किट कमेटियों के पास रह जाता है ताकि वे अपनी एस्टैबलिशमैंट बगैरह का खर्च चला सके । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किन्हीं लोगों को यह शंका है कि एक मार्किट कमेटी का जो एरिया बनता है उसके हिसाब से खर्च किया जाना चाहिये । इस के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का इंटैगिरेटिड रूरल डिवैल्पमैट का प्रोग्राम है और जो यह पैसा है यह बराबर डिस्ट्रीव्यूशन से खर्च किया जाना है । जनता पार्टी की सरकार यह विश्वास दिलाना चाहती है कि जहां तक हो सकेगा इंटैगिरेटिड रूरल डिवैल्पमैंट का जो प्रोग्राम है इस

पर इकुअल डिस्ट्रीव्यूशन से पैसा खर्च करने की कोशिश की जाएगी । चाहे इधर बैठने वालों के इलाके में काम होना है और चाहे उधर बैठने वाले के इलाके में । किसी तरह की डिसक्रिमिनेशन नहीं बरती जाएगी । इसके बाद बाबू जी ने यह बात कही कि सरकार कौन से कानून के तहत इधर का पैसा उधर खर्च करेगी इसके बारे में मैं आगे बता0ंगा । मैं अभी यह बताना चाहता हूं कि जो मेंबरों को नौमिनेट करने की पिछली प्रथा थी और केवल उन्हीं को नौमिनेट किया जाता था जोकि सरकार के चमचे होते थे उसकी बजाए जनता पार्टी डिसैटर लाईजेशन आफ पावर में यकीन रखती है । आज मेरे एक दोस्त कहने लगे कि मार्किट कमेटियों के इलैक्शन क्यों नहीं करवाते । उन्हें यह बात तभी याद आई जबकि हम इसी सैशन में इलैक्शनों के संबंध में एक बिल ला रहे हैं (विघ्न) । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब मार्किट कमेटियां और मार्किटिंग बोर्ड इलैक्टिड होंगे तो उनके पास जो पैसा आएगा उसका हिसाब–किताब वह अपने आप रख सकेंगे । अपने हिसाब से जहां खर्च करमा चम्मौ कर सकेंगें । यह इलैक्शन भी बहुत देर से नहीं होगी बल्कि इसी साल कें अन्दर–अन्दर करवा जाएगी । मै समझता हूं कि इलैकशन कें बाद किसी कमेटी को यहां शिकायत नही रहेगी कि उसके–साथ अन्याय किया जा रहा है ।

श्री शमशेर सिह : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसी साल में इलैक्शन करमा देने तो क्या वे वाकई इतने थोड़े समय में करवा देंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मेरे कहने का मतलब था कि अगले फाइनैशियल ईयर के अन्दर अन्दर इलैक्शन करवा देंगे । तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है ।

श्री मूल चन्द जैन : मिनिस्टर साहब यह अस्योरैसं दें कि जो 65 प्रतिशत राशि पी0 डब्ल्यू0 डी0 वालों के पाम जमा करवाई जाती है वह उनकी मर्जी होगी कि जमा करवाएं या न करवाए और अगार करवाए तो इस शर्त के साथ कि ऋ पैसा के एरिए में खर्च होगा ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : इलैक्टिड मैबरों को सारे अख्तियार होते हैं । जो एक्ट में प्रोवीजन है वह उसके मुताबिक कार्य करेंगे । इसलिये मेरा ख्याल है कि इसके लिये अश्योरैंस की जरूरत नहीं है । क्योंकि वह अटोनोमस बौडी है इसलिये सरकार उनको मजबूर नही कर सकती । जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मार्किट कमेटियों से, न सिर्फ उनकी फीस ही ली जाए तो इसके लिये यह अर्ज है कि जो बड़ी–बड़ी कमेटियां हैं जिनकी आमदनी ज्यादा है और अगर वे एक करोड़ रुपये देंगी तो वह काफी नहीं है उसमें सरकार अपने पास से भी देगी ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री सभापति : क्योंकि समय कम रह गया है इसलिये मैं हाउस की सिटिंग पांच मिनट के लिये एक्सटैड करता हूं । it the sense of the House ?

(Voices : Yes)

Mr. Chairman : The sitting is extended by five minutes.

गैर सरकारी संकल्प

(ii) मार्किट कमेटियों को होने वाली कुल आमदन ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च किये जाने तथा ऐसी मार्किट कमेटियों द्वारा अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में व्यय की गई राशि का विवरण प्रत्येक वर्ष सदन की मेज पर रखे जाने सम्बन्धी (पुनरारम्भ)

श्री बीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहव, मैं अर्ज करता हूं कि इन हालात में जबकि सरकार इन मार्किट कमेटियों. की इलैक्शन करावाने जा रही है और नोमिनेटिड की बजाए इलैक्टिड कमेटियां आने वाली हैं, इसलिये मै समझता हूं कि बाबू जी इस रैजोल्यूशन को विद्ड्रा कर लेंगे ।

जहां तक प्रोवीजन का ताल्लुक है वह दिया हुआ है । अमेंडमेंट के मुताबिक सैक्शन 28 की क्लाज 17 में प्रोवीजन दिया हुआ है और वह सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है । उसमें लिखा है

"(xvii) with the previous sanction of the Board, any other purpose which is calculated to promote the general interests of the Committee or the notified market area, or with the previous sanction of the State Government, any purpose calculated to promote the national or public interest."

With the previous sanction of the State Government, the money can be diverted for any purpose calculated to promote the national or public interest. इस क्लाज को पढ़ने के बाद बाबूजी मुझसे मुत्तफिक होंगे । फिर भी अगर कोई शंका होगी तो वे मेरे बजुर्ग है, किसी वक्त भी मुझे बुलाएं, मै उनके पास आ जा0ंगा । अगर मेरे पास आना चाहें तो आ जाएं, मै उनको वैल्कम करता हू । कोई शंका हो तो उसका समाधान करूंगा । इन शब्दों के साथ मै उन से प्रार्थना करता हूं कि वे इस रैजोल्यूशन को वापिस ले ले ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : चेयरमैन साहब, टाईम की कमी की वजह से इस प्रस्ताव पर ज्यादा बहस नही हो सकती । मन्त्री महोदय ने जो बातें कहीं उनको मद्देनजर रखते हुए इस प्रस्ताव के बारे में अन्तिम कदम क्या लेना है, उससे पहले मै यह कहना चाहता हूं एक्ट किस मक्सद के लिए बनाया गया । इसका मक्सद यह था कि जहां–जहां धांधलियां होती थी, किसान अपनी प्रोड्यूस जब मण्डियों में लाता था तो उसके साथ अन्याय होता था । इसी लिए मार्किट कमेटियों का यह कांस्टीच्यूशन बना । उस में यह है कि किसान के नुमायदे ज्यादा हों और फण्डज इकट्ठे हों । जो फण्डज इकट्ठे हों, उनको कैसे बढ़ाया जाए, इसके

लिए कानून बनाने वालों ने यह चीज रखी जैसा कि मन्त्री महोदय ने पढ़ कर बताया है । मार्किट कमेटी के क्षेत्र में जो फण्डज है उसके बारे में मन्त्री महोदय ने मान लिया है कि 65 फीसदी रुपया पी0 डबल्यू0 डी0 में जाता है । यह रुपया कहां खर्च होता है? अगर सम्भालखा, घरौंडा या पानीपत की मार्किट कमेटियों का 65 फीसदी रुपया वही खर्च कर दिया जाए तो मुझे कोई गिला–शिकवा नही । मन्त्री महोदय की बातों. से भी मुझे ऐसा ही लगा । सम्भालखा की मार्केट कमेटी की जो आमदनी है उसको अगर भिवानी, गुहला और सिरसा जैसे बैकवर्ड एरिया में लगा दी जाए तो भी मुझे कोई इतराज नहीं है । मुझे बैकवर्ड एरिए से बड़ी हमदर्दी है लेकिन हमदर्दी का क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा है । पसमांदा क्षेत्रों पर अगर खर्च करना है तो कसोलिडेटिड फण्ड में से करें, सम्मालखा की 30 लाख की आमदनी में से क्यों दूसरी जगह बंटवारा करते हैं? अगर सरकार बैकवर्ड एरिंए की' डिंवैल्पमैट करने के लिए पैसो खर्च करतीहै तो मुझे कोई इतराज नहीं, करें, लेकिन किसी मार्किट कमेटी का रुपया सरकार किसी दूसरी जगह खर्च करें, तो बिल्कुल गलत बात है । मेरे दोस्त वकील हैं, मै भी वकील हूं, विचार कर लें और किसी भाई मार्किट कमेटी का पैसा दूसरे एरिए में डाइवर्ट न करे। चूंकि उन्होंने कहा है कि इलैक्टिड कमेटियां हो जाएंगी और उनके पास अधिकार हैं । इन बातों को पैशेनजर रखते हुए मैं इस प्रस्ताव को वापिस लेता हूं ।

Mr. Chairman : Has the Hon. Member the leave of the House to withdraw the resolution ?

(Voices : Yes)

The resolution was, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Chairman : The House stands *adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

13.05 बजे ।

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 3rd March, 1978).